(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 2

सोमवार

4 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, खाद्य, राजस्व, जन-स्वास्थ्य, नगर विकास न्यास, कृषि, स्वायत्त-शासन, पशुपालन, खनिज, जागीर, वित्त, पंचायत, वाणिज्य एवं कर तथा उपनिवेशन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

ट्रैक्टर्स की खरीद के लिए कृषकों को ऋण

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा द्वारा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स की खरीद के लिए कुछ काश्तकारों को ऋण दिया गया ? यदि हां, तो कब किसको और कितना ? तथा इस प्रकार कुल कितनी धनराशि किस तारीख को दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रैक्टर्स एक वर्ष बाद प्राप्त हुए जबकि धनराशि एक वर्ष पूर्व कंपनी को दे दी गई थी ? यदि हां, तो इस एक वर्ष तक कंपनी ने धनराशि का क्या उपयोग किया ?

(3) क्या काश्तकारों को ट्रैक्टर हिन्दुस्तान ही दिए या अन्य ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। सहकारी भूमि विकास बैंक कोटा द्वारा हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स की खरीद के लिए निम्न सात काश्तकारों को उनके सामने अंकित तिथियों को अंकित

Page No 2

(श्री रामनारायण चौधरी)

राशि का ऋण दिया गया :

क. सं.	नाम काश्तकार	दिनांक	राशि
1.	श्री कंवरलाल पुत्र कान्हा लश्करी	7-1-65	7500)
2.	श्री मदनलाल पुत्र नंदकिशोर	3-11-66	8000)
3.	श्री भंवरलाल पुत्र दयालबक्स	6-2-67	8200)
4.	श्री मोहनलाल पुत्र रामनारायण	22-6-68	14000)
5.	श्री मोतीलाल पुत्र ओंकार लश्करी	22-7-68	20000)
6.	श्री गंवेरीलाल पुत्र मांगीलाल	28-1-69	10000)
7.	श्री मदनलाल पुत्र भूरालाल	9-3-70	20000)

(2) यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में ट्रैक्टर किस-किस तिथि को प्राप्त हुआ क्योंकि वर्ष 1972 से पूर्व ट्रैक्टर हेतु ऋण का भुगतान भौतिक प्रमाणीकरण के पश्चात् देने का प्रावधान नहीं था।

(3) जी हां। हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स दिए गए।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या यह सही है कि जो मैंने पूछा है कि ट्रैक्टर्स काश्तकारों को अवेलेबल नहीं हुए उससे एक वर्ष पूर्व धनराशि का भुगतान कर दिया गया जबकि ट्रैक्टर्स आए नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है कि उस समय नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ट्रैक्टर्स आने के बाद ही पैमेंट की जाए उस समय लोनी की रिक्वेस्ट पर बैंक की तरफ से कंपनी को भुगतान किया जाता था और ट्रैक्टर कंपनी से सीधा लोनी को देते थे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग ने बैंक को लिखा था कि इस कंपनी के पास ट्रैक्टर्स नहीं हैं और दूसरी कंपनी का नाम सजेस्ट किया था उसके बावजूद इसी को पैमेंट किया, और हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स ने ट्रैक्टर्स नहीं दिए उसके बावजूद इनको पैमेंट दिया गया और ट्रैक्टर्स दूसरी कंपनी ने दिए, सहकारिता विभाग ने लिख दिया कि इसको नहीं दो ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मेरे पास 15-20 पेज की एन्क्वायरी रिपोर्ट है। वहां की सहकारी समिति के किसी सदस्य ने शिकायत की और उस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने उस बात की जितनी शिकायतें थी, उसमें चार्जेज थे, जांच की, करीब 6 महीने हो गए, रजिस्ट्रार ने या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक तरफ हम चाहते हैं सहकारिता से लोगों को मदद मिले और दूसरी तरफ प्रूफ है कि फिर

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्या आप इसमें एक्शन लेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : यदि कोई जांच हुई है और जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई है तो उस रिपोर्ट के आधार पर अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ) : डीलर्स को एडवान्स देने का क्या कारण था जबकि उनका मार्जिन आफ कमीशन भारी होता है तब भी उनको इतनी बड़ी धनराशि एडवान्स में क्यों दी गई ?

श्री रामनारायण चौधरी : पहले भूमि विकास बैंक के नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था और जब यह सामने आया और अनुभव के आधार पर बात सिद्ध हुई कि बिना ट्रैक्टर लिए पेमेंट किया जाना उचित नहीं है तो बाद में 1971 में नियमों में संशोधन कर दिया गया और ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पेमेंट तभी किया जायगा जबकि फिजीकल वैरीफिकेशन ट्रैक्टर का हो जाएगा। उसके साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन बैंक और पार्टी के नाम पर जोइंट होगा । तो भविष्य के लिए ऐसी बात नहीं होगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ट्रैक्टर्स की जांच रिपोर्ट का लास्ट पैरा मैं पढ़ कर सुनाती हूं:-

"जांच में यह सही पाया गया कि भुगतान बिना बिल के, बिना रजिस्ट्रेशन चैक किए एवं बिना बीमा कराए तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि प्रार्थी को ट्रैक्टर उपलब्ध हो गया है, किया गया है । इस अनियमितता के लिए तत्कालीन सचिव व अध्यक्ष श्री सोरल जिम्मेदार हैं ।"

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावंली) : आपने एक्शन के लिए कहा लेकिन जिस अधिकारी ने देरी की है उसके खिलाफ एक्शन लेने की सोचते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जिस किसी का संबंध होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

राशन वितरण की व्यवस्था

2. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजस्थान के प्रत्येक नगर व ग्राम में राशन की एक सी मात्रा वितरित की जा रही है और की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राशन में दी जाने वाली मात्रा पर्याप्त है, यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो अपर्याप्त मात्रा को कब तक बढ़ाने का विचार है ?

(3) क्या विशेष अवसरों पर चीनी अधिक मात्रा में दी जाती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य में मिट्टी का तेल, सीमेंट तथा कोयला वितरित करने की प्रणाली में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक सुधार किस आधार पर किया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) आवंटन की कमी से शहरी क्षेत्रों में 3 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह गेहूं दिया जा रहा है कहीं कहीं इससे भी कम मात्रा में गेहूं दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। केन्द्र सरकार से अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के कारण पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जाना संभव नहीं है। केन्द्र से मात्रा बढ़ाने के लिए बार-बार प्रत्येक स्तर पर प्रयास जारी है।

(3) जी नहीं, क्योंकि केन्द्र से 9412 टन चीनी का आवंटन प्राप्त होता है जो राज्य की 1971 की जनसंख्या के आधार पर 325 ग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक दिया जाना संभव नहीं है।

(4) जी हां। जयपुर नगर में नई योजना 5-3-74 से मिट्टी के तेल के वितरण हेतु लागू की जा रही है जिसके अधीन तेल के वितरण हेतु कुछ केन्द्र निर्धारित कर वहां के रहने वालों को राशन कार्ड पर वितरण होगा। केरोसिन की दुकानें कायम कर समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को अवगत करा दिया गया है। अन्य नगरों में भी इसी प्रकार व्यवस्था शीघ्र ही की जावेगी।

सीमेंट तथा कोयला वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न बड़ा गंभीर है और उस गंभीरता के अनुरूप उत्तर नहीं दिया गया है। आप बतादें कि राजस्थान के अन्य नगरों में तीन किलो से अधिक मात्रा में अनाज दिया जा रहा था क्या ? कहां-कहां पर गेहूं तीन किलो से अधिक दिया जा रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने प्रश्न में पूछा है "दिया जा रहा है"।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि सारे राजस्थान में एक जैसी मात्रा में क्यों नहीं वितरण किया जा रहा है ? कहीं विशिष्ट लोग रहते हैं कहीं छोटे लोग रहते हैं ? आपने स्वीकार किया है कि राजस्थान में मात्रा के वितरण में साइजेबल गैप है, वह इंगित करता है कि कहीं विशेष कृपा हो रही है कहीं नहीं, कहीं बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके उत्तर से स्पष्ट है कि गांवों में नहीं दिया जा रहा है और जहां तीन किलो दिया जा रहा है वह कम है। उदयपुर में 6 किलो और डूंगरपुर में आज भी 4 किलो देते हैं, मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज्यादा देना चाहिए। भरतपुर में उप चुनाव जीतने के लिए 20 तारीख को वहां के लोगों को 5 किलो गेहूं दिया। यह कहां की नीति है ? जब आपने राष्ट्रीयकरण किया तो आपका कर्त्तव्य है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को पूरा अनाज मुहैया करें। एक व्यक्ति को कम से कम 10 किलो धान मिलना आवश्यक है। जिन नगरों के मैंने नाम लिए वहां पर अधिक मात्रा में दे रहे हैं।

दूसरा प्रश्न......

Page No 5

(5)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्नों की बौछार हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता पूछें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, आज जो धान दिया जा रहा है उससे किसी भी इन्सान का महीने भर तक पेट नहीं भर सकता । आज अब जो आपने तीन किलो माइलो देने की घोषणा की है वह ऐसी सड़ी गली माइलो है जिसे इन्सान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते . . .

(श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा दोनों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order please. One at a time please.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा है और यह बीच में इन्टरप्रेट कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूँ कि तीन किलो गेहूँ के हिसाब से 50 ग्राम गेहूँ प्रति व्यक्ति प्राप्त होते हैं आप यह देख लीजिये तराजू के अन्दर मैं आपको बता रहा हूँ और खाद्य मन्त्री जी को भी बता रहा हूँ क्या इस मुट्ठी भर अनाज से एक इन्सान दोनों वक्त खाना खा सकता है, इसका जवाब मन्त्री महोदय दें । क्या इस 50 ग्राम अनाज से पेट भर सकता है ? मैं यह अनाज मन्त्री महोदय को पेश कर रहा हूं ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव तराजू से गेहूँ मुट्ठी में भर कर मन्त्री महोदय को पेश करने गये ।)

श्री अध्यक्ष : No passing on, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): यह फ्लोर क्रास कर रहे हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन्होंने फ्लोर क्रास कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो इस तरह की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । इसमें सदन के नियमों की अवहेलना होती है ।

(कई माननीय सदस्यों के साथ में बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय को बता रहा हूँ कि जो मात्रा अनाज की दी जा रही है क्या उससे पेट भर सकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरी सुनें। आपको उधर नहीं जाना चाहिये था ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खाद्य मन्त्री जी को बता रहा था कि अनाज की मात्रा जो दी जा रही है वह कितनी कम है और कितना खराब अनाज दिया जा रहा है इसके अलावा आज जो सरकार की वितरण व्यवस्था है वह दूषित है । फरवरी का अनाज अभी तक नहीं मिल पाया है जयपुर में । तो फिर जनता क्या खाये आपने जब राष्ट्रीयकरण किया तो आपने जनता से यह वायदा किया था कि हम जनता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को अनाज मुहैया करायेंगे। लेकिन अभी तक फरवरी के बीत जाने पर भी जनता को अनाज नहीं मिल पा रहा है। मन्त्री महोदय बड़े प्रगतिशील बनते हैं। केवल तीन किलो माइलो और बढ़ा देने से ही काम नहीं चलता और आपने डी. एस. ओज. के तीन चार ट्रान्सफर्स कर देने से कोई काम नहीं चलने वाला है। आपको जनता को अनाज मुहैया कराना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपकी कान्स्टीटुएन्सी चौमू में पिछले दो माह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, आमेर में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। और जयपुर में भी 18-18 और बीस बीस तारीख हो जाती है और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने गिरधारीलालजी व्यास की अध्यक्षता में रैलियां निकालीं जिसमें आपने 12 किलो गेहूँ और एक किलो चीनी देने की मांग की थी। मैं आज मन्त्री महोदय से इस बारे में मांग करता हूँ कि जनता को 10 किलो अनाज और एक किलो चीनी दिलायी जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमने 10-12 किलो की मांग नहीं की थी। 8 किलो अनाज की मांग की थी। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं भाषण दे रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि राशन की जो वितरण व्यवस्था है वह दूषित है उसे ठीक की जाये। इसके अलावा जनता को 10 किलो गेहूं और एक किलो चीनी दिलायी जावे व केरोसिन तेल की दुकान होने की व्यवस्था होनी चाहिये तथा जनता को सीमेन्ट पूर्ण मात्रा में दिलायी जाय इसके बारे में मन्त्री महोदय से दिलाने का आश्वासन चाहूंगा।

(एक साथ दो तीन माननीय सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : One at a time.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राज्य सरकार जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसका मैन आधार क्या है? आज जयपुर जिले की आबादी 16 लाख है वहां आप किस आधार से अनाज लोगों को दे रहे हैं और गंगानगर जिले में 13 लाख की पोपूलेशन है उसमें अनाज देने का क्या आधार रखते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर जिले की आबादी 16 लाख नहीं 24 लाख है। आप आबादी की बात नहीं करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय उदयपुर की पोपूलेशन करीब 18 लाख है लेकिन वहां कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को एक छटांक अनाज भी नहीं दिया जा रहा है आज वहां के लोग जो आदिवासी हैं वह बेचारे पेड़ों के हरे पत्ते खा-खा कर अपना पेट भर कर जीवनयापन कर रहे हैं। यह सही है कि पहले उदयपुर में गेहूँ की मात्रा दूसरी जगहों से ज्यादा थी पर बाद में बन्द कर दिया गया। लेकिन अब मैं यह

Page No 7

(7)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
जवाब चाहूंगा खाद्य मन्त्री जी से कि आप कहां-कहां पर कितना-कितना राशन लोगों में वितरित कर रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक प्रश्न मेरा भी है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस साल भी कई गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं और अकालग्रस्त घोषित होने के बावजूद वहां पर अभी तक वहां की जनता को अनाज खाने को नहीं दिया जा रहा है इसके बारे में क्या राज्य सरकार उनको राशन दिलाने की व्यवस्था करेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो सारे का सारा समय एक ही प्रश्न में चला जायेगा। इसके लिए मैं आपको निवेदन करूं कि मेरा एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है वह आये जब उस पर बहस हो तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यही विचार है कि इस प्रश्न को अभी ज्यादा लम्बा नहीं किया जाय तो अच्छा है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने अलग-अलग प्रश्न दे रखे हैं और उनकी अलग-अलग समस्यायें हैं। अच्छा तो यही होगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को प्रश्नकर्ता तक ही सीमित रखें और जो अपने यहां विधान सभा की कार्यवाही के लिए समय का बंटवारा किया हुआ है उसकी सीमा में रह कर अगर आप काम करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना आप जो कहना चाहें वह कहें। दूसरे माननीय सदस्यों के जवाब रह जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इससे सारा राजस्थान प्रभावित हुआ है। आज आप राज्य सरकार की वितरण प्रणाली देखें तो पता लगेगा कि कितनी दूषित है। इसके अलावा गवर्नमेंट कहीं पर छः किलो कहीं पर तीन किलो और कहीं पर दो किलो और कहीं पर बिल्कुल नहीं आखिर यह डिस्पेरिटी क्यों है ? मैं यह गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा इसका जवाब मिलना चाहिए मैं इसमें प्रश्नकर्ता महोदय की तरह प्रश्नों की बोछार नहीं कर रहा हूं और प्रश्न की सीमा में रहते हुए नम्र निवेदन के साथ मन्त्री महोदय से इसका जवाब चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : यही प्रश्नों की बोछार ही कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं प्रश्नों की बौछार नहीं कर रहा हूं। मैं तो डिस्पेरिटी की बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए कि यह राजस्थान में राशन की डिस्पेरिटी क्यों है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। वह है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया है और मन्त्री महोदय जब जवाब देंगे तब वह इस प्रश्न को भी साथ ले लें कि भरतपुर जिले में जनवरी और फरवरी में कितना अनाज जनता को दिया गया है और उसके पहले कितना दिया गया और कितना राशन देने की अब व्यवस्था होगी। इसको भी उसमें शामिल करलें। कहीं ऐसा नहीं हो कि मन्त्री महोदय मेरे स्थगन प्रस्ताव

Page No 8

(8)

(श्री जयकिशन लाल वोगावडा)
का जवाब देते समय यह कह दें कि आपने यह तो पूछा ही नहीं था इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक दो प्रश्न सप्लीमेंट्री के रूप में पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न राशन की दूषित वितरण-प्रणाली का ही नहीं है अपितु प्रश्न यह है कि आज राजस्थान में कहीं पर कितना गेहूं दिया जा रहा है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, यह क्यों ? इस बारे में आज जनता में आक्रोश और जनता में असन्तोष है। आज कई नगरों में पांच किलो दिया गया कहीं नगरों में चार किलो कहीं पर तीन किलो और कई नगरों में दो किलो और कई गांवों में बिल्कुल ही नहीं दिया गया। पहले उदयपुर में छः किलो गेहूं दिया जा रहा था फिर कम कर दिया गया तीन किलो कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप भी तकरीर कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप जो दो-तीन किलो गेहूं दे रहे हैं उससे लोगों का पेट नहीं भर सकता राज्य सरकार को चाहिए कि चाहे आप कहीं से अनाज मंगाकर जनता को मुहैया करें चाहे केन्द्र से कोटा बढ़वा कर या अन्य किसी प्रकार से आपको जनता का अनाज मुहैया कराना पड़ेगा। दूसरे आप ऐसी व्यवस्था करे कि लोगों को कहीं कम और कहीं ज्यादा अनाज नहीं मिले। यह क्या कि पहले आप जोधपुर में छः किलो अनाज दे रहे थे और उसके बाद में आपने दो किलो कर दिया और बाद में आपने तीन किलो कर दिया इससे जन आक्रोश बढ़ता है इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। अब तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए प्रगतिशील विचारों के मन्त्री जी हैं और पोर्ट फोलियोज भी बदल गये हैं जो इधर-उधर होने वाले थे वह भी हो गये हैं और ट्रान्सफर्स भी आपने लोगों की करदी है अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है खाद्य मन्त्री जी को वह जनता को 10 किलो गेहूं और एक किलो चीनी मुहैया करावें। इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं यह इनसे करना चाहता हूं कि जब रेलीज वगैरह होती है तो पता नहीं यह कहां छिप जाते हैं और अब यह 10–12 किलो अनाज की मांग कर रहे हैं पता नहीं यह किसके साथ हैं गवर्नमेन्ट के साथ है या गवर्नमेन्ट के खिलाफ हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गवर्नमेन्ट के साथ तो आप हैं। गवर्नमेन्ट से समझौता करते हैं। सारे गाय के बछड़े बन कर गाय का दूध पी गये।

(सर्व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, योगेन्द्र नाथ हांडा और गिरधारीलाल **भार्गव के एक साथ बोलने पर** अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जवाब दें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है छोटा सा ही है। मेरे क्षेत्र में पदमपुर में जनवरी और फरवरी दो महीनों में सिर्फ डेड किलो ही अनाज दिया गया और करणपुर और गजसिंहपुर में भी दो महीनों में पिछले जनवरी और फरवरी के दो महीनों में सिर्फ एक बार ही अनाज मिला इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जो प्रश्न अभी पूछे गये हैं वे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और माननीय सदस्यों की चिन्ता भी उसके सम्बन्ध में स्वाभाविक है। परन्तु इन सारे प्रश्नों की जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में मिलना कठिन है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करेंगे और आप सब इन बातों को वहां पर रख सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : हमारे रखने की बात नहीं है।। आप ही यहां अपने उत्तर के रूप में रखिये।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न स्पेसिफिक किया गया है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में स्वीकार किया है कि राशन की मात्रा जो दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है। कहीं इससे इन्कार नहीं किया गया है। राशन की स्केल तो गेहूं की उपलब्धि के ऊपर ही तो हो सकती है। जितना भारत सरकार से उपलब्ध होगा उसी प्रकार से उसको बंटवाने की व्यवस्था ही तो की जा सकती है। जुलाई में 60 हजार टन का कोटा दिया गया था उसके बाद 25 हजार दिया गया और सितम्बर से तो 15 हजार टन के आधार पर मिल रहा है। आप हीं इसके अनुसार हिसाब लगा कर देख लीजिये तीन किलो के हिसाब से भी बांटें तो शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए जो पचास हजार के करीब होता है यह हिसाब बनता है। भारत सरकार से उपलब्ध होने से हम यहां से जिलों को आवंटित करते हैं। जिलाधीश अपनी आवश्यकतानुसार यहां की स्थिति को देखते हुए अपने क्षेत्रों को आवंटित करते हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर गेहूं अधिक पैदा न हो और दूसरा अनाज अधिक पैदा होता है। मोटे तौर पर सन् 1971 की जनसंख्या को आधार मान कर जिलों को आवंटित किया गया है। कहीं कहीं आधा किलो एक किलो की कमी हो सकती है। यह हकीकत है, वास्तविकता है। मूलतः इसका परिणाम यही निकलता है कि जहां बाजार से गेहूं उपलब्ध है वहां पर कमी की हालत में पूर्ति की जाती है जनता के द्वारा स्वयम्। अतः जो भी कोटा मिलता है उसमें मूल आधार आबादी का है और उसमें आवंटन की दृष्टि से कहीं कोई अन्तर आने का नहीं है।

छोटे 2 कस्बों में भी गेहूं का वितरण हो उसके लिये भारत सरकार को अधिक कोटा बढ़ाने के लिये कहा है। दिल्ली में जाकर और चिट्ठियों के द्वारा खाद्य मंत्रीजी को बार बार निवेदन करते रहे हैं कि वे राजस्थान के आवंटन को बढायें। केन्द्र में भी जो स्थिति है उसके अनुसार

(श्री शिवचरण माथुर)
वे देते । अभी तीन हजार टन गेहूं भारत सरकार ने और दिया है और उसके आधार पर हम यह मानते हैं कि तीन किलो प्रति व्यक्ति के आधार पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों को आवंटित हो जावेगा । निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना उपलब्ध हो जावेगा और कितना दिया जावेगा । जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब दिया गया है ।

दूसरी बातें जो माननीय सदस्यों ने जाननी चाही हैं उनका जवाब इस समय देना कठिन है । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि दिसम्बर जनवरी में कितना कोटा आवंटित किया गया . . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : चुनाव में इन्चार्ज थे ।

श्री शिवचरण माथुर : चुनाव हुए तो आपने देख लीजिए कि हमने बढ़ाया नहीं है । दिसम्बर में जो आवंटन या उसकी मात्रा नहीं बढ़ाई गयी है । इसलिए यह कहना गलत है कि चुनाव के दौरान आवंटन बढ़ा दिया गया । जो दिसम्बर में था वही जनवरी में किया गया ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य ।)

श्री भानुकुमार शास्त्री एवं श्री गोपालजोशी : (दोनों के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : शहरी क्षेत्रों को ही क्यों देते हैं ? देहातों को क्यों नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री विट्ठल भाई : गांवों और शहरों में क्यों फर्क किया जा रहा है ?

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

शहरों में गेहूं देते हैं और शक्कर भी ज्यादा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री विट्ठल भाई : यह फर्क क्यों है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री विट्ठलभाई : गांवों में और यहां में आप इस प्रकार क्यों फर्क कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सीधा-साधा प्रश्न है । वहां पर आपने चुनाव के दिनों में 5 किलो बंटवाया उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ जाता, तब तक प्रश्न पूछे जावेंगे । आपका प्रश्न यह है कि डिस्पेरिटी क्यों है ? भेदभाव क्यों है ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा)

60 हजार के आंकड़े दिये. उसके बाद 25 हजार टन मिला। तीन किलो प्रति व्यक्ति मिलता है इस हिसाब से तो लोग भूखों मर क्यों नहीं गये ? 3 किलो खाकर कौन जिन्दा रह सकता है ? लोगों को अनाज मिलता कैसे है ? जिन्दा कैसे रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जीवित कैसे हैं लोग राजस्थान में ?

श्री विट्ठल भाई : मामूली चीज नहीं है, यह राशन का सवाल है और लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। गांवों में जनता भूखों मर रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल भाई : लोग गांवों में भूखों मर रहे हैं और गांवों और शहरों में फर्क किया जा रहा है यह बुरी चीज है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया बैठिये।

श्री गुमानमल लोढा : उनको उत्तर देना चाहिये, अवाइड क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मैं निवेदन करना चाहता था कुछ बातें।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : सैकड़ों लोग भूखों मर रहे हैं हमारे उधर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जीथिंग : 1।। किलो भी नहीं मिल रहा है। लोग पूछते हैं हमसे। फिर आप इन्तजाम नहीं करते। हम सदन में आकर क्या करें ? क्या भला कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री जीथिंग : आप इस तरह से दबा नहीं सकते ' हम दबेंगे नहीं कभी।

श्री गुमानमल लोढा : स्पष्टीकरण हो जाय इन प्रश्नों का।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जरा मुलाहिजा कर लीजिये (मिट्टी मिले गेहूँ के नमूनों को पेश करते हुए) देख लीजिये। यह गेहूँ राशन में मिलता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर): मिट्टी खुद डाल कर लाये हो। जयपुर शहर की किसी दुकान पर ऐसा अनाज नहीं मिलता है। आप घर से मिट्टी डाल कर लाये हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप चुप रहिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत श्री गिरधारीलाल भार्गव साथ साथ बोलते रहने से अश्रव्य)।

आप अपने हाथ से डाल कर लाये हो मिट्टी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम झूंठी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इस प्रकार की एक दुकान भी नहीं बता सकते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह घोषणा करनी पड़ेगी ....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : स्वयं झूठ बोलते हैं। आप एक भी दुकान जयपुर शहर में साबित नहीं कर सकते।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री जीथिंग : दुकानों पेर जाकर दिखला सकते हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री निरजननाथ आचार्य : On a motion of privilege.×××

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपा करके आप बैठिये।

माननीय सदस्य। मैं आपका नाम लेकर पुकारता हूं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(शोरगुल)

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य को सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए सदन से बाहर निकाला जावे।

श्री अध्यक्ष : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) What is your motion.

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का टैम्पर बहुत हाई है और मैंने उस वक्त ही व्यवस्था का प्रश्न सदन में रखा था। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जो स्थिति यहां पैदा हो गई है उसमें कई प्रश्न सामने आते हैं जो परम्पराओं के विरुद्ध जाते हैं कुछ शब्द अपशब्द भी कहे गये हैं। ऐसे शब्द अगर आये हैं तो प्रोसीडिंग देख कर आप उन शब्दों को एक्सपन्ज करने का प्रयत्न करें।

दूसरा गरुड़ पुराण वाला प्रसंग बहुत दर्दीला है। गरुड़ पुराण यहां पढ़ा जावे या नहीं पढ़ा जावे इसमें व्यवस्था का प्रश्न फिर आता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ×××

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर राशन के प्रश्न पर, धान के प्रश्न पर, वितरण के प्रश्न पर, मात्रा के प्रश्न पर, इसमें होने वाले भ्रष्टाचार के प्रश्न पर माननीय मन्त्री महोदय एक विस्तृत बयान सदन में दें। फिर उस पर यहां विचार-विमर्श कर लिया जाय।

यह मसला एक प्रश्न काल में समाप्त नहीं हो सकता और न इस तरह के टालमटोल के जवाब से सदस्यों को सन्तोष नहीं हो

×××××अध्यक्षीय आदेश से अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुमान मल लोढ़ा)
सकता है, न प्रदेश की भूख से बिलबिलाती जनता का समाधान ही हो सकता है।

इसका समाधान तो राशन की मात्रा बढ़ाने से तथा उचित वितरण से तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और मन्त्रियों तक पर सख्ती से कार्यवाही की जाय तभी हो सकेगा। नहीं तो इस भूख में से पैदा हुआ असन्तोष राजस्थान में गुजरात की पुनरावृत्ति में बदलने का पूरा भय है।

यहां सदन में आज भले ही मन्त्री महोदय इस मामले में गोलमाल जवाब देकर बैठ जावें हम भी हार कर चिल्ला कर बैठ जावेंगे। पर राजस्थान की भूख से तड़फड़ाती दो करोड़ जनता गुजरात वाला रास्ता अपनावेगी जिसकी परिणति और परिणामों की भयंकरता और कल्पनाओं से हम कांप उठेंगे।

सामान्य बुद्धिवाला भी यह सोच सकता है कि तीन किलो राशन देकर आप किस तरह से एक आदमी का पेट दो जून भर सकेंगे। यह समस्या भाषणों से और यहां के कानून कायदों से हल नहीं होने वाली है।

आप स्पष्ट घोषणा करें कि राशन की मात्रा बढ़ाई जावेगी। केन्द्र से अधिक अनाज मांगा जावेगा। पिछले साल काफी अच्छी फसल की बात आपने ढोल पीट पीट कर कही है। फिर उचित मात्रा में राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर फिर भी आप समझते हैं कि कुछ कमी पड़ती है तो केन्द्र पर दबाव देकर उससे मांगिये। इसमें साथ देने के लिए हम भी तैयार हैं पर इस पर आज ही आपकी तरफ से स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माफ करेंगे, थोड़ा मैं निवेदन कर दूं। सदन के रोष को मैं भली-भांति समझ रहा हूं और प्रश्न की महत्ता को भी समझ रहा हूँ। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उसके लिए अगर यहां की परम्पराओं को निभाते हुए हम चल सकेंगे तो इसमें मैं भी अपना सहयोग दे सकूंगा और शायद आपका और हमारा जो लक्ष्य एक सा है, उसकी प्राप्ति में हम कहीं आगे बढ़ सकेंगे।

यह अन्न का और मंहगाई का प्रश्न एक अहम् प्रश्न है जिस पर हमें गहराई से विचार करना ही चाहिये। इस पर लोगों का उत्तेजित होना भी स्वाभाविक है। पर मैं चाहता हूँ कि इस जोश के साथ थोड़ा होश से भी हम काम में लें तो अपने उद्देश्य प्राप्ति में गति आवेगी।

सदन में प्रश्नकाल की अपनी सीमाएं हैं। यहां अगर सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता है तो नियमों में प्रावधान है आप इसी प्रश्न को प्रकारान्तर से उठा सकते हैं। उसके लिये जितना भी समय सदन चाहेगा मैं देने को तैयार रहूँगा।

पर इस तरह से कार्यवाही में विघ्न उपस्थित होता रहा तो जो आप हम सब चाहते हैं वह भी नहीं होगा। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि यह सब जान बूझ कर किया जा रहा है। यहां सभी माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य सुशिक्षित हैं। मैं उनमें से किसको रूल्स की, परम्पराओं की जानकारी दूं। जो जानते हैं कि स्पीकर खड़े हैं फिर भी बोलते ही जा रहे हैं, घंटी बजाऊं तो उसकी भी उपेक्षा की जाए तो फिर क्या चारा है? वे समझते हों इससे ज्यादा फर्ज सर्व होता हो। मैं ज्यादा समय देना चाहता हूँ, आपको दे दूंगा लेकिन आप मेरी बात को तो मानें। आप सम्मान दें तो मैं भी सम्मान देने को तैयार हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गुजरात की प्रक्रिया··· (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : काम तो चलाना पड़ेगा। उसी में सबका फायदा है और ज्यादा सही डिसीजन तभी ले सकते हैं। मेरा फिर आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुये कभी कभी अध्यक्ष कुछ कहें तो उसकी अवहेलना न करें। अध्यक्ष को भी सीमाओं में रहना पड़ता है। सदन की प्रतिष्ठा रहे इसलिये मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जन सिंह।

(अनुपस्थित)

मिस्टर शंकरलाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं, माननीय सदस्य जो प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं जब तक सत्र चले इस सदन से श्री गिरधारी भार्गव को यहां से निष्कासित कर दिया जाय।

श्री रामकिशन : आपकी व्यवस्था के बाद वह स्वतः खतम हो गई।

श्री केदारनाथ : बराबर का अधिकार है वह छीन लें···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के माननीय सदस्य बराबर में बोल लें तो उनके बारे में तो कोई व्यवस्था नहीं। आप केवल बहुमत के ऊपर भावना को दबाने का प्रयास करें तो···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चिम्मन भाई पटेल को उसके अन्दर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : (अश्रव्य)....माननीय सदस्य अभी तो मैंने रखा ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं और अर्ज करना चाहता हूँ। महारावल साहब मेरे बाद में खड़े हुये हैं।

श्री ल मण सिंह : अध्यक्ष महोदय कुछ लोगों को· ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :

श्री लक्ष्मण सिंह : (दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय जब मैं पहले से· · ·

श्री लक्ष्मण सिंह : आपको बोलना है तो बोलिये (विराम) अगर आप उत्सुक हैं तो बोलिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं बराबर अर्चना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, यहां ऐतिहासिक घटना हो गई । जब से सदन का निर्माण हुआ है तब से गरुड पुराण नहीं पढ़ा गया ! इतिहास में पहली बार पढ़ा गया और सदन के मुख्य सचेतक ने, अब तो मंत्री बन गये हैं· · ·

एक माननीय सदस्य : वे ही हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अध्यक्ष महोदय इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष : आप किस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय इसके बारे में स्टेटमेंट दे अध्यक्ष महोदय···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि चाहे जनसंघ के माननीय सदस्य पढ़ें, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पढ़े और चाहे कांग्रेस के माननीय सदस्य पढ़ें—एक ही चीज है और अध्यक्ष महोदय वह यह है कि अगर कोई मंत्री उस प्रश्न का सीधा सादा उत्तर न देकर टालता है तो सदस्यों में आक्रोश होना स्वाभाविक है माननीय खाद्य मंत्री जो इस प्रश्न से जो सप्लीमेंट्री पैदा होते हों, उसका भी उत्तर नहीं दें तो डिस्पेरिटी क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह नई बात नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप मंत्री महोदय को सेंसर कीजिये कि क्वेश्चन को इवेड क्यों करते हैं । यह डिस्पैरिटी कब तक चलेगी । कौन मर गया, किसके मरने पर यह गरुड़ पुराण पढ़ा गया· · ·,

श्री जनार्दन सिंह गहलोत :
श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा :
श्री प्रद्युम्नसिंह : (तीनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रस्ताव का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, कौन मर गया । कहां मर गया कुछ पता तो चले ।

एक माननीय सदस्य : इनके घर में मर गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर घर जाकर पढ़े, यहां क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है और इसके ऊपर माननीय सदस्यों की उग्रता एक स्वाभाविक बात है । यह प्रश्नोत्तर काल के सीमित

(श्री लक्ष्मण सिंह)

दायरे में इस महत्वपूर्ण समस्या का हल मेरे ख्याल से नहीं निकल सकता है। सम्माननीय सदस्य जो इधर बैठे हुए हैं, कुछ एक–मेरा अनुमान है इस पर चर्चा खाद्य और वितरण के दिन महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा चाहेंगे उस पर आसन निर्णय देगा, यह मुझे विश्वास है किन्तु यह निर्विवादित बात है अध्यक्ष महोदय कि सरकार की खाद्यान्न की और वितरण की जो व्यवस्था है वह निकृष्ट से निकृष्ट है इससे बढ़ कर और क्या निकृष्ट हो सकती है ? कोई चीज, कोई वितरण की व्यवस्था है ही नहीं। मैं समझता हूं कम्प्लीटली के ओ टिक इश्यू है इस प्रश्नोत्तर काल के सीमित दायरे में अपने विचार व्यक्त करने के लिये यह उचित समय भी नहीं है और मुझे विश्वास है आसन के द्वारा इस पर और भी व्यवस्था दी जायगी केवल मात्र इस समस्या को इतने में ही छोड़ दिया जाय कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बहस के दौरान जो कुछ कहना चाहते है, कहेंगे। मेरा मानना है खाद्य और वितरण की समस्या को लेकर अलग बहस होनी चाहिये।

श्री खेतसिंह : गरुड़ पुराण····

श्री राम किशन : यह इसलिये लागू नहीं होता है, आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर मरता है। आप (श्री खेतसिंह) पर लागू नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा यह गरुड़ पुराण तो गया। इसको तो अब जाने दीजिये और पहले ही दिन प्रथम ग्रासे मक्षिकापात क्या करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका गरुड़ पुराण बहुत पहले ही हो गया····

श्री मुख्य मंत्री **(हरिदेव जोशी)**: अध्यक्ष महोदय, मैं इस राय से सहमत हूं खाद्य और वितरण····

श्री **रामकिशन** : हां, मंहगाई सहित।

श्री **हरिदेव जोशी** : हां मंहगाई सहित। उस पर चर्चा होनी चाहिये। आप (श्री अध्यक्ष) जब भी समय निर्धारित करेंगे और जिस रूप में करेंगे सरकार तैयारी करके सदन के सामने उपस्थित होगी। रहा मुख्य सचेतक महोदय का सवाल तो भारतीय संस्कृति में जहां कहीं कुछ हो जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है और अभी भार्गव साहब ने गरुड़ पुराण पढ़ दिया तो मुझे भी शिकायत नहीं है और उन्हें भी कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्हें सन्तोष होता है तो फिर उसके अन्दर····

एक माननीय सदस्य : अपनी हार को लेकर····

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : जानना चाहते हैं, किसके लिये पढ़ा गया।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : ···· (अश्रव्य) ···अन्तरात्मा मर गई, जनता की जो अन्तरात्मा है वह····

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या उड़ीसा में··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरुड़ पुराण पढ़ने का मेरा अधिकार है कांग्रेस की मरी हुई आत्मा को ··· (अश्रव्य) माननीय मुख्य मंत्रीजी मुझे उम्मीद है ···

श्री हरिदेव जोशी : आप निरन्तर गरुड़ पुराण पढते रहें। मुझे कुछ भी शिकायत नहीं है। जहां तक गवर्नमेंट के पाइन्ट आफ व्यू का सवाल है गवर्नमेन्ट जब आप आदेश देंगे, गवर्नमेंट का पाइन्ट आफ व्यू सामने रख दिया जायगा। मैं चीफ व्हिप को भी निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि मुख्य सचेतक महोदय को आज्ञा दूं कि वह अपना प्रस्ताव वापिस लें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद यह पहला मौका है ····

श्री हरिदेव जोशी : पूरी हिस्ट्री में पहला मौका है और राजस्थान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहला मौका है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात के लिए बहुत दुःखी होकर कहता हूं, प्रसन्न होकर नहीं कहता और अन्तिम स्थिति आ जाती है तब ही कहता हूं और मैं बारबार यह प्रार्थना करता रहता हूं कि कभी तो मेरी बात मानी जाये लेकिन जो आदमी जान बूझ कर ही बार बार उसका उल्लंघन करता रहे—एक वक्त में कर दे, दो वक्त में कर दे, तीन वक्त में कर दे लेकिन निरन्तर करता ही रहे तो आखिर मजबूर होकर मुझे उनको नामजद करना पड़ता है। मैं उनकी बात को समझ सकता हूं कि यह विषय ऐसा था कि जिसमें उनके विचारों में गर्मी आ सकती थी और उसके लिए मैं गुंजाइश भी रखता हूं। लेकिन मैं इतना तो चाहता हूं कि माननीय सदस्य आइन्दा के लिए इतनी बात तो कहें कि वह नियमों के अनुकूल चलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर सकता हूँ कि मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज जनता जो दुखी है और लोगों को फरवरी का गेहूं नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में यदि कोई सबसे बड़ा आज्ञाकारी होगा तो वह मैं ही हूं। जो आज समस्या है····

श्री अध्यक्ष : समस्या नहीं मुद्दे की बात कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 'इस सदन में एक्यूटनेस को रखना मेरा कर्त्तव्य था और जो लोग अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते उनके लिए मैं क्या कहूं? किसी प्रकार से मेरी भावना किसी का अपमान करने की नहीं है। सदन का सम्मान सबसे ऊंचा सम्मान है और आपकी आज्ञा सबसे ऊंची है। इन लोगों से डर कर आपसे बात नहीं करता हूं। आपकी चेयर की कदर करता हुआ। मैंने जनता की भावनाओं को यहां रखा है और समय आयेगा और यदि मंत्री लोग सच्ची बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं सच्ची बात हमेशा सदन के सम्मुख रखूंगा, इतनी बात कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी समस्या नहीं है कि आप अपनी बात नहीं कहें, खूब रखें लेकिन

Page No 18

(18)

(श्री अध्यक्ष)
मैं ऐसी आज्ञा का पालन नहीं चाहता जैसी आज होती रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, + + +
+ + +

श्री हरिदेव जोशी : It is contemptuous.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इन शब्दों को वापिस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप श्री गिरधारी लाल भार्गव) बैठिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अच्छा !

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि + + + इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाये। यह अनपार्लियामेन्ट्री शब्द हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कहना अनुचित है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उसको वापिस लेता हूं। जनता की भावनाओं को इस सदन में रखने का मेरा अधिकार है। जनता की भावनाओं को यहां रखने का अधिकार है और मेरी भी इन भावनाओं का सम्मान करवायेंगे ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज 30 प्रश्न थे और अभी तक दो ही हुए हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और माननीय भार्गव साहब ठीक तरह से व्यवहार करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इसको वापिस ले लें।

श्री खेतसिंह : मैं इसको विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 3

श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

पाली जिले में अनाज का वितरण

4. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के लिए गत तीन माह में कितना अनाज किस किस प्रकार का राज्य सरकार द्वारा एलाट किया गया और उसका वितरण किस आधार पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की मांग की तुलना में एलाटशुदा अनाज पर्याप्त नहीं था ? यदि हां, तो क्यों ?

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेश से यह शब्द निकाले गये।

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य सरकार द्वारा गत तीन माह में आवंटित खाद्यान्न की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

गेहूं का वितरण अनुपातिक रूप से एवं माइलों का वितरण आवश्यकतानुसार किया गया है।

(2) भारत सरकार से आवश्यकता के अनुरूप आवंटन प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप मांग की तुलना में आवंटन कम किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर वही आफत आ गयी है। इसको पोस्टपौन कर दिया जाये।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि वितरण का आधार क्या है ? क्या यह मान कर चलें कि वितरण का कोई आधार ही नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सब समस्या यही है।

श्री शंकरलाल : भारत सरकार से बिल्कुल नहीं मिला तो क्या बिल्कुल ही नहीं मिलेगा किसी को ? किस जिले में कितना दिया जाये और पाली जिले में वास्तव में बहुत कम मिला है तो इसका आधार क्या है ? हम आधार जानना चाहते थे।

श्री शिवचरण माथुर : आपका प्रश्न पाली जिले के बारे में है और उसकी सूची मैंने यहां पर सबमिट की है। सारे राजस्थान की पूछें तो वह भी दे सकता हूं।

श्री शंकरलाल : मैंने यह लिखा है कि वितरण किस आधार पर किया गया है यह सूची में नहीं बताया और केवल आपने अलॉटमेन्ट बताया है हालांकि वह भी कम है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आधार कोई नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : शहरी आबादी की दृष्टि से 3 किलो है और पाली में उससे कम नहीं है, यह मैंने प्रश्न में निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया।

जल प्रदाय योजना दौसा

5. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा की जल प्रदाय-योजना को पूरा कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या सरकार बीमा निगम से ऋण न मिलने पर भी वांछित धनराशि स्वीकृत कर इसे शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ?

(3) अब यह योजना कब तक पूरी करा दी जावेगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) योजना का कार्य प्रगति पर है।

(श्री चन्दन मल वैद)

(2) बीमा विभाग से ऋण मिलने की पूरी संभावना है अन्यथा धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) वांछित धनराशि की उपलब्धि पर लगभग 6 माह में सम्पूर्ण की जाने की संभावना है, वैसे नई योजना से दिसम्बर, 73 से नियमित रूप से 50 से 60 हजार गैलन पानी प्रति दिन वितरण किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : पूर्व में पानी सप्लाई किया जा रहा था आपने कहा है कि 50-60 हजार गैलन पर डे सप्लाई किया जा रहा है.....

श्री चन्दनमल वैद : यही कहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : ... यह गलत है। दूसरी बात लाइन जो बिछाई गयी है उसमें इतना लीकेज है कि उसका पानी टैंक में नहीं पहुंच पाता है और सप्लाई लाइन नहीं डाली गयी है और जो पुराना पानी दिया जा रहा है उसमें कोई सुधार नहीं है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइन में लीकेज है और उसको दूर करायें। जब तक लीकेज बन्द नहीं होगा तब तक दौसा को पानी नहीं मिलेगा।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा है कि कार्य प्रगति पर है। नई लाइन बिछाई गयी उस से 50-60 हजार गैलन दिया जा रहा है पहले और अब दिया जा रहा है। यह 1½ लाख गैलन दौसा को सप्लाई किया जा रहा है। यह सही हो सकता है कि शुरू शुरू में जब लाईन बिछाई जाती है तो कुछ दिन लीकेज रहता है और जो इस तरह के लीकेज हैं उनको अटेण्ड किया जायेगा लेकिन जलाशय में पानी पहुंचने का सवाल है वह तो अभी बन कर तैयार ही हुआ है और उसमें पानी नहीं जा रहा है। जब पूरा बन जायेगा तब ही उसमें पानी डाला जायेगा उससे पहले नहीं।

जहां तक बीमा विभाग का सवाल है तो आम तौर पर एल. आई. सी. ऋण साल के अन्त में ही देती है तो पूरी उम्मीद है कि साल के अन्त तक हमको ऋण मिल जायगा लेकिन उसके बावजूद भी इस साल जो पैसे का आवंटन किया था वह 6 लाख का किया था। उसके अगेन्स्ट में 6 लाख 35 हजार रुपया खर्च कर चुके हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : गर्मी में अवश्य ध्यान रखा जाये। लीकेज को पूरा करना आवश्यक है। 60-70 हजार गैलन नयी योजना से दिया जाये और वहां दो शिफ्टों में चलाया जाये जिससे गर्मी में कुछ लोगों को राहत मिल सके।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, अभी भी दौसा को चार घण्टे पानी सप्लाई किया जा रहा है, दो घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम को।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप फिर गलत फरमा रहे हैं। एक टाईम पानी दिया जा रहा है। आप पचास साठ हजार गैलन की बात गलत बात बता रहे थे फिर भी मैं चुप्पी के साथ सुनता रहा लेकिन वास्तविकता यह है कि पानी नहीं पहुंच रहा है। दो टाईम नहीं एक टाईम पानी दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो मिनिट लूंगा साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको कह रहा हूं·······

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय को कमरे में बुला लूंगा आप वहां पूछ लीजियेगा।

श्री मीठालाल : पन्द्रह मिनिट का समय बढ़ा दीजिये, साहब।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए बढ़ा दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री मीठालाल : पहले भी हुआ है साहब, पन्द्रह मिनिट का समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं होता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पन्द्रह मिनिट का समय बढ़ा दिया जावे तो ठीक ही होगा।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सांडेराव में भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

3. श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांडेराव चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में खसरा नं. 1, 2 व 4 की कुल भूमि 3135 बीघा है और उक्त सम्पूर्ण भूमि की किस्म नहरी है जो जवाई नहर द्वारा सिंचित होती है?

(2) क्या यह भूमि सांडेराव के भूतपूर्व जागीदार की खुदकाश्त नहीं होने की घोषणा जागीर कमिश्नर द्वारा की गई? यदि हां, तो कब और राज्य सरकार ने इस भूखण्ड पर कब्जा कब किया?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि पर अनेक असामाजिक लोगों ने अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा और राजस्व अधिकारी देखते रहे एवं नियमानुसार कब्जे व लगान के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की?

(4) क्या यह सही है कि पिछले दो साल से पाकिस्तानी नागरिकों ने कानून को हाथ में लेकर सांडेराव की गरीब जनता को अपने अवैधानिक तौर से रखे गये हथियारों से आतंकित करके इस भूमि पर कब्जा कर लिया है।

(5) क्या यह सही है कि पाकिस्तानी नागरिकों ने इस भूमि को इस वर्ष पड़ोसी गांवों के गरीब किसानों को बंटाई पर काश्त करने के लिए दिया है?

(6) क्या राज्य सरकार इस वर्ष इस भूमि की खड़ी फसल को जब्त करके, अतिक्रमणकारियों को दंडित करने का आदेश देगी? और क्या यह भूमि भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों में वितरित करने का राज्य सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नं. 2 व चार को 3133 बीघा 17 बिस्वा भूमि नहरी है जो जवाई द्वारा सिंचित होती है।

(2) जी नहीं।

जागीर कमिश्नर द्वारा इस भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति तारीख 12-11-65 को मानी गई थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील में राजस्व मंडल ने जागीर कमिश्नर के फैसले को दिनांक 28-10-68 को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा दिनांक 17-6-72 को ले लिया गया।

(3) जी नहीं। खरीफ 1972 में इस भूमि में पाकिस्तान से आये हुए हिन्दू विस्थापितों ने नाजायज काश्त की जिनको बेदखल करने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार के बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील चल रही है।

(4) नाजायज कब्जे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं।

(6) अपील के निर्णय हो जाने पर जमीन का नियमानुसार आवंटन किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर :

झालावाड़ पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा हड़ताल के दौरान दौरे

1. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष 9 जुलाई से 14 अगस्त तक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान पशुपालन विभाग, जिला झालावाड में कौन कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिला पशुपालन अधिकारी ने हड़ताल के दिनों में भी दौरा किया था ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी तारीखों में (जुलाई-अगस्त, 73 में) कहां कहां, किस किस कार्य हेतु गये और उनके साथ कौन कौन अधिकारी एवं कर्मचारी साथ रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त दौरों में इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कितना कितना भत्ता व यात्रा व्यय दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

Page No 23

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को मिली राशि

2. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से कितनी राशि 1971, 1972 और 1973 में प्राप्त हुई है ?

(2) इस जिले की प्रत्येक पंचायत ने सन् 71, 72 और 73 में कितना कितना पैसा इस प्रोग्राम में खर्च किया ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस मद में मिला पैसा हर वर्ष काम में लिया गया या पैसा बिना खर्च किये लैप्स हो गया ? यदि हुआ तो कितना और किस अधिकारी की वजह से और इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य के प्रत्येक जिले में 71–72 और 73 में इस मद में कितना पैसा दिया गया तथा कितना खर्च हुआ ?

(स्थगित किया गया)

तहसील सांचोर में जानवरों की मृत्यु

3. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाल ही में आई बाढ़ के कारण तहसील सांचोर में कितने पशु एवं कितनी भेड़ बकरियां बीमारी से मरीं ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पशुओं में फैली बिमारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गए ? तथा समय पर बिमारियों की रोकथाम न होने के क्या कारण थे ?

(3) क्या पशुपालन विभाग पशुओं की सेन्सस करता है और उनके मरने एवं पैदा होने के आंकड़े भी रखता है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या भविष्य में पशुपालन विभाग पशुओं की सही गणना करना एवं मरने एवं पैदा होने के आंकड़े रखने का विचार रखता है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में ऊन की पैदावार

4. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में देश की कितनी प्रतिशत ऊन पैदा होती है ? इसका क्या वजन है और इसमें से भेड़ व ऊन विभाग कितनी क्रय करता है ?

(2) भेड व ऊन विभाग ने पिछले चार वर्षों में और वर्तमान वर्ष में कितनी ऊन कितने मूल्य की क्रय की ? क्या यह समस्त ऊन ग्रेडिंग करके बेची गई ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(3) उपरोक्त वर्षों में विभाग को पूरी लागत कीमत पर ब्याज देने के पश्चात् कितना शुद्ध लाभ व हानि हुई? कृपया लागत कीमत, ब्याज की दर व ब्याज की रकम, अन्य खर्चा, विक्रय का मूल्य और शुद्ध लाभ व हानि की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में लगभग 1,25,000 क्विंटल ऊन पैदा होती है जो देश की पैदावार का लगभग 40 प्रतिशत है। भेड़ व ऊन विभाग सात हजार से दस हजार क्विंटल के करीब ऊन खरीदता है।

(2) तालिका (क) संलग्न है।

(3) तालिका 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1973-74 में लगभग 8 लाख का लाभ हो जाने का अनुमान है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

नील गाय से कृषकों को हानि

5. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि धना केवलादेव जंगल तहसील भरतपुर में जंगली जानवरों की बहुत बड़ी संख्या है जिनमें चार-चार सौ पांच-पाच सौ के टोले नील गाय के हैं जो जंगल के बाहर की ओर कोई दीवार न होने के कारण आसपास के किसानों के खेतों को उजाड़ देती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के खेतों को उजाड़ से बचाने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि तहसील भरतपुर के धना केवला देव जंगल जिसमें कि भरतपुर प्रसिद्ध घना बर्ड सेन्च्युरी स्थित है, जंगली जानवरों की कुल सख्या करीबन 400-500 है। इनमें नील गायों की संख्या अनुमानित 100 है। चार-चार सौ पांच पाच सौ नहीं है। यद्यपि इस क्षेत्र के चारों ओर दीवार नहीं है किन्तु इन वन्य पशुओं को बाहर जाने से रोकने के लिये इस क्षेत्र की कांटेदार तार से पहले से बाढ़ की हुई है। साथ ही सहायता कार्यों के अन्तर्गत एक किलोमीटर लम्बी पक्की दीवार बनाई गई है और सीमा पर लगभग 16 किलो मीटर लम्बी खाई भी खोदी गई है। पूरे क्षेत्र में 28 किलो मीटर लम्बी दीवार की आवश्यकता होगी जो धन उपलब्ध होने पर ही पूरी की जा सकती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह दीवार पूर्ण करने के प्रस्ताव हैं।

तहसील सांचोर में म्यूटेशन के मामले

6. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर में अब तक कितने म्यूटेशन भरने शेष हैं? तथा म्यूटेशन कब तक भर दिये जावेंगे?

(2) उक्त तहसील में कितने काश्तकारों को उनको आवण्टित भूमि का कब्जा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
नहीं दिया गया है, और क्यों, तथा अब उनको कब्जा कब तक दिला दिया जावेगा ?

(3) उक्त तहसील में नाजायज कब्जों के नियमन के कितने मामले कब से जेर तजबीज हैं ? तथा सारे मामलों का नियमन कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) उक्त तहसील में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कितने मामले कब से जेर तजबीज हैं ? क्या ऐसे मामलों के फैसले कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(5) काश्तकारों के बांडों के नियमन के मामले तहसील सांचौर में कितने फैसले करने शेष हैं ? उनके फैसले कब तक करवा दिये जावेंगे ? गांवों की आबादी के कितने मामले नियमन करने शेष हैं एवं कब तक फैसले करवा दिये जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

तहसीलों का क्षेत्रफल

7. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिन जिलों में 6 या इससे कम तहसीलें हैं उनका क्षेत्रफल जिलेवार बताने का कष्ट करें ।

(2) जयपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है ?

(3) दौसा उप-खण्ड का क्षेत्रफल कितना है ?

(4) क्या क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्रफल दौसा उप-खण्ड के बराबर या कम है ? ऐसे जिले कौन कौन से हैं तथा उनका क्षेत्रफल कितना है ।

उत्तर

(1) जिलों के नाम जिसमें 6 या कम तहसीलें हैं:—

अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर बूंदी, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर झुन्झुनूं, झालावाड, सीकर, सिरोही एवं टोंक ।

जिलों का क्षेत्रफल संलग्न है ।

(2) जयपुर जिले का क्षेत्रफल 1400994 हैक्टर है ।

(3) दौसा उप-खण्ड का क्षेत्रफल 292779 हैक्टर है ।

(4) ऐसा जिला कोई भी नहीं है जिसका क्षेत्रफल दौसा उप-खण्ड के बराबर या कम हो ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची

8. श्री अजीतसिंह (टोंक): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टोंक जिले के राजस्व विभाग के कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई है ? यदि हां, तो उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री अजीत सिंह)

(2) क्या सूची के अनुसार ही पदोन्नति की कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां, 31-12-72 को कार्यरत मौलिक कनिष्ट लिपिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है।

(2) जी हां। प्रकाशन के पश्चात् सूची के अनुसार पदोन्नति दी गई है।

झालरापाटन के वार्डों में पानी की व्यवस्था

9. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन के वार्ड नम्बर 8 व 9 में पीने के पानी हेतु जनरल पाइप लाइनें अब तक नहीं डाली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वार्डों में कई व्यक्ति कनेक्शन लेने को भी तैयार हैं ? यदि हां, तो पाइप लाइन दिये जाने की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) शहर झालरापाटन में स्वीकृत योजना अनुसार पीने के पानी की लाइनें डाली जा चुकी हैं। केवल कुछ भागों को छोड़कर वार्ड नं. 8 व 9 में भी लाइनें डाली हुई हैं। वार्ड नं 8 में बडलियों के चौक में इमली दरवाजे तक तथा वार्ड. न. 9 में लोहारों के मोहल्ले से लंका दरवाजे तक, योजनाओं में प्रावधान न होने के कारण पाइप लाइन नहीं डाली गई।

( ) पाइप कनेक्शन लेने हेतु इन मोहल्लों के किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पानी का कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर एवं धनराशि की उपलब्धि पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

राजकीय विभागों आदि को बेची जाने वाली सामग्रियों पर विक्रय कर की छूट

10. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा :-क्या वाणिज्यक एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय विभागों को राजस्थान में बेची-जाने वाली सामग्रियों पर विक्रय कर में आम जनता की तुलना में कितनी छूट है ? कृपया भवन निर्माण सम्बन्धी चीजें जैसे कोयला, लोहा, सीमेंट, चूना, एसफाल्ट और पत्थर की उपरोक्त दोनों प्रकार के विक्रय कर के दर की सूची क्रमशः सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय उपक्रम जैसे राजस्थान राज्य विद्युतमण्डल, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. और राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर कौनसी विक्रय कर की दरें लागू होती हैं ?

(3) स्वायत्त शासन संस्थायें नगर परिषदें, नगरपालिकायें, पंचायत समितियां और पंचायतें तथा अन्य राजकीय स्टेट्यूटरी

Page No 27

(श्री अमृतलाल गहलोत)
बोर्डीज, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स और कृषि उपज मण्डी समितियां जो प्रशासन एवं विकास का कार्य करती हैं और जो व्यापारिक या औद्योगिक संस्थायें नहीं हैं, उन पर राजकीय विभागों की दरें उपरोक्त वस्तुओं पर क्यों नहीं लागू होती जबकि ये करोड़ों की लागत के सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण का कार्य करती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने केन्द्रीय/राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों को बेची जाने वाली अथवा उनके द्वारा खरीदी जाने वाली उन वस्तुओं पर जो किसी राजकीय उपयोग के प्रयोजन के लिये हो, (न कि पुनः विक्री अथवा बिक्री के लिये किसी माल के विनिर्माण में उपयोग होने के लिये हो) आम जनता की तुलना में अधिसूचना संख्या प. 5 (84) एफ डी सी टी/72–18 दिनांक 22-12-72 से इसमें वर्णित शर्तों की पूर्ति करने पर बिक्री कर की दर में उस परिणाम तक जहां तक कि उसके सम्बन्ध में कर की दर 'तीन प्रतिशत' से अधिक होती है, छूट दे रखी है। भवन निर्माण सम्बन्धी चीजें जैसे कोयला, लोहा सीमेन्ट, चूना, एसफाल्ट और पत्थर पर कर की दरें निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

वस्तु का नाम	कर की दर	कर की घटी दर
1	2	3
1. कोयला	3% चारकोल के अलावा	अधिसूचना सं. प 5 (84) एफ डी सी टी/72-18-19 दिनांक 22-12-72 के तहत 3%
2. लोहा	3% वोह लोहा जो के. बि. क. अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (iv) में वर्णित है।	
3. सीमेन्ट	12%	
4. चूना	7%	
5. एसफाल्ट	7%	
6. पत्थर	7%	

(2) 'राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल' को बेची जाने वाली उन वस्तुओं पर जो विद्युत् के उत्पादन अथवा वितरण में उपयोग होती है, उन पर कर की दर में अधिसूचना संख्या प. 5 (84)एफ डी/(सीटी) 72–19 दिनांक 22–12–72 में वर्णित शर्तों की पूर्ति करने पर विक्रय कर की दर में उस परिणाम तक जहां तक कि उसके सम्बन्ध में कर की दर 'तीन प्रतिशत' से अधिक होती है, छूट दे रखी है।

सिवाय 'राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल' के बाकी पर वे ही दरें लागू होंगी जो आम व्यापारियों पर लागू होती हैं। अधिसूचना संख्या प. 5 (84) एफडी/सीटी/72–18 दिनांक 22–12–72 के द्वारा दी गई छूट इन पर लागू नहीं होती है।

(3) ये संस्थायें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत राज्य के बाहर से 3% केन्द्रीय विक्रय कर की दर से माल नहीं खरीद सकती और राजकीय विभाग व केन्द्रीय विभाग व राजस्थान विद्युत मण्डल रियायती दर पर माल खरीद सकते हैं। अतः

(वाणिज्य एवं कर मन्त्री)

राज्य के कर को दृष्टिगत रखते हुए केवल राजकीय व केन्द्रीय विभागों और विद्युत मण्डल को ही यह रियायत दी गई।

तहसील सांचोर में पीने के पानी की व्यवस्था

11. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) तहसील सांचोर में पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए कितनी क्षेत्रीय नल योजनाएं कहां कहां हाथ में ली गई हैं ? किस किस नल योजना में अब तक कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(2) उपरोक्त कौन कौनसी नल योजना कब तक पूरी की जाकर ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(3) क्या इस वर्ष आवंटित धन राशि का पूरा खर्च सब योजनाओं में समय पर कर दिया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त मंजूर शुदा योजनाओं के अलावा बाकी बचे खारे पानी वाले ग्रामों के लिए क्षेत्रीय नल योजनाओं का सर्वेक्षण कब तक करवाया जाकर योजनाएं मंजूर करवा दी जावेंगी ? ये योजनाएं कौन-कौनसी कहां-कहां पर हाथ में ली जावेगी ?

उत्तर

(1) निम्न योजनाएं हाथ में ली गई तथा निम्न प्रकार धन राशि व्यय की गई—

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय की गई राशि
1.	साकडी पालरीपुर	रु. 10.30 लाख
2.	भाब हेमा गुडा	रु. 3.77 लाख
3.	सिलु छाजरा	रु. 3.21 लाख
4.	हाडेचा	पूर्ण की जा चुकी है।

(2) धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर इन योजनाओं का कार्य योजना के सामने अंकित वर्ष के अन्त तक पूर्ण किया जा सकेगा।

साकडी पालरीपुर	वर्ष 1974-75
भाब हेमा गुडा	वर्ष 1975-76
सिलु छाजरा	वर्ष 1974-75

(3) जी हां।

(4) जहां तक बाकी बचे हुए ग्रामों का प्रश्न है, प्रारम्भिक सर्वेक्षण अभी ही पूर्ण हुआ है, व ग्रामों के पानी की रसायनिक जांच की जा रही है। प्राथमिक सर्वे के आधार पर कौनसे ग्राम खारे हैं व किन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है तय

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
किया जावेगा। इसके बाद ही विस्तृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा व आगे पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में धन की उपलब्धि के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

जोधपुर नगर में पेय जल योजना

12. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार-पुरा)—क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर को पेय जल उपलब्ध कराने की वर्तमान पुनर्गठन परियोजना का प्रारम्भिक मूल्य क्या था और किस वर्ष तक पूर्ण लागू करने का लक्ष्य था ?

(2) अब तक उपरोक्त परियोजना पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ? कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है ?

(3) क्या उपरोक्त परियोजना में सूर-सागर बस्ती की नई बड़ी पाइप लाइन, जहां ऊंचे धरातल पर घनी बस्ती होने से पेयजल नहीं पहुंच पाता है, का समावेश है ? यदि नहीं, तो इस समस्या का हल कैसे किया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त परियोजना में इम्प्रूवमेंट आफ मेन्स और अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में नलों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है ? यदि नहीं तो इन समस्याओं का क्या हल होगा ?

(5) उपरोक्त परियोजना कब तक पूर्णतया कार्यान्वित हो जायेगी ?

(6) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या एव नए मोहल्लों के निर्माण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उपरोक्त परियोजना को रिवाइज किया जावेगा ? यदि नहीं, तो इन समस्याओं का हल क्या होगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन परियोजना का प्रारम्भिक तखमीना रुपये 127.33 लाख (एक करोड़ सत्ताईस लाख तेतीस हजार रुपये) था और इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य सन् 1975-76 तक का था।

(2) इस योजना पर अब तक रु. 75,72,531.00 रुपये व्यय हो चुका है एवं लक्ष्य योजना का 60% कार्य पूरा हो चुका है।

(3) धरातलों में नल लगाने का प्रावधान है और उसके लिए नल लग चुके हैं तथा इन क्षेत्रों को जल पहुंचाने के लिये एक नलकूप का प्रावधान इस परियोजना में है अतः नलकूप खुदाने पर ही इस बस्ती को पूर्ण जल सुविधा मिल सकेगी जिसके लिये इस विभाग द्वारा भू-जल विभाग को लिखा जा चुका है।

(4) जोधपुर शहर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों में नई लाईनें बिछाने का विशिष्ट प्रावधान पुनर्गठित परियोजना

(३०)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

में नहीं है। आवश्यकतानुसार लाइनों को लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अलग से प्रावधान रखा जाता है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है। आगे भी आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) जोधपुर शहर को पेय जल उपलब्ध कराने की पुनर्गठित योजना के पूर्ण होने का लक्ष्य सन् 1975–76 तक का है।

(6) इस परियोजना को बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया है।

जोधपुर नगर की पेयजल योजना तथा तालाबों एवं फीडर्स की सफाई एवं मरम्मत का कार्य

13. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के निम्न पेयजल के तालाब एवं उनकी फीडर्स की सफाई एवं मरम्मत का उत्तरदायित्व आपके विभाग का है:—

(1) कायलाना (2) तखत सागर (3) बाल समंद (4) गुलाब सागर (5) बाईजी का तालाब (6) फतहसागर।

(2) यदि हां, तो उपरोक्त तालाबों की फीडर्स कई जगहों से टूटने के कारण जोधपुर नगर के कई भागों को जल प्रवाह से नष्ट होने का खतरा पैदा होगया है और कई जगह ये फीडर्स कचरे से भर गई हैं? उनकी वांछित सफाई एवं मरम्मत कब तक कर दी जायेगी?

(3) यदि नहीं, तो किस विभाग का उत्तरदायित्व है?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा कायलाना, तखतसागर व बालसंमद तालाबों से जनता को पीने के पानी हेतु कार्य में लिया जाता है, तथा इन पेय जल तालाबों व फीडर्स की सफाई एवं मरम्मत का कार्य कराने का उत्तरदायित्व इस विभाग का है।

(2) कायलाना, तखतसागर व बालसमंद तालाबों व फीडर्स की मरम्मत एवं सफाई का कार्य इस विभाग द्वारा समय समय पर कराया जाता है एवं अन्य तालाब गुलाब सागर; बाइजी का तालाब, फतहसागर तालाब व फीडर्स की मरम्मत एवं सफाई का कार्य कराने का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

(3) तीन तालाब, गुलाब सागर बाइजी का तालाब व फतहसागर तालाब व फीडर्स की मरम्मत व सफाई का कार्य कराने का उत्तरदायित्व इस विभाग से संबंधित नहीं है।

पंचवर्षीय योजनाएं एवं आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य

14. श्री भीमसेन (लूणकरणसर)
श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की 1950–51 व 1973

(श्री भीमसेन, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

74 में राजस्व की आमदनी कितनी कितनी थी ? 1950–51 के मूल्यों के आधार पर ?

(2) राज्य की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचसाला व तीन साला योजनाओं के माध्यम से कितनी प्रतिशत आमदनी बढ़ाने का अनुमान था तथा वास्तव में कितनी प्रतिशत बढ़ी 1950–51 के मूल्यों के आधार पर ?

(3) राज्य में उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से प्रति व्यक्ति कितनी प्रतिशत आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य था तथा वास्तव में कितनी आमदनी बढ़ी 1950–51 के मूल्यों के आधार पर ?

उत्तर

(1) राजस्व आमदनी 1950–51 के मूल्यों पर नहीं आंकी गई है ।

(2) 1950–51 के मूल्यों के आधार पर आमदनी नहीं आंकी गई है ।

(3) 1950–51 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति नहीं आंकी गई है ।

सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था

15. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सहकारिता के प्रशिक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था है । इस पर कितना धन व्यय किया जाता है तथा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(2) क्या वर्तमान व्यवस्था से सरकार संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसके सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जुनियर स्तर के कर्मचारियों के सहकारिता के प्रशिक्षण हेतु जयपुर केन्द्र वर्ष 1954–5 से, जोधपुर केन्द्र, वर्ष 1958–59 से तथा भरतपुर केन्द्र वर्ष 1960–61 से क्रियाशील हैं। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर व जोधपुर में विभागीय सहायक निरीक्षक को 30 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर, जोधपुर व जयपुर में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को 24 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। 1–4–66 से पूर्व इन प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासन व संचालन सहकारी विभाग के पास था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा ही चलाया जाता था। केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने इन केन्द्रों का प्रशासन एवं संचालन 1-4-66 से राजस्थान राज्य सहकारी संघ को हस्तान्तरित कर दिया है। वर्ष 1970–71 तक सहकारी सदस्य शिक्षा की योजना जिला सहकारी संघों द्वारा चलाई जाती थी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था परन्तु 1970–71 के बाद यह योजना सहकारी प्रशिक्षण मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत 15 दिवसीय सत्र लगाये जाकर सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रशिक्षण व्यवस्था पर व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान राज्य सहकारी संघ को

Page No 32

(32)

(सहकारिता मंत्री)
दिया जाता है। वर्ष 1972-73 में इस पर 4.69 लाख व्यय किया गया है।

सितम्बर, 1973 से "हाफ ए मिलियन जॉब टू अनएम्पलायड एजूकेटेड परसंस" को रोजगार देने की केन्द्रीय योजनान्तर्गत राज्य में सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को 4 और क्षेत्र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, 2 जयपुर, 1 जोधपुर एवं 1 भरतपुर में स्थापित किये गये जहाँ 15 दिवस की ट्रेनिंग दी जाती है।

इन्टरमीजियेट स्तर के कर्मचारी निरीक्षक (कार्यकारी एवं आडिट) को प्रशिक्षण देने हेतु ट्रेनिंग कालेज कोटा में व्यवस्था है। जिसका संचालन नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इसमें 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। राज्य सरकार द्वारा इस केन्द्र पर कोई व्यय नहीं किया जाता है।

इन्टरमीजियेट एवं जूनियर स्तर की प्रशिक्षण व्यवस्था में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण होता है।

(2) जी हां !

वाटर सप्लाई स्कीम नोखा मंडी

16. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) नगरपालिका नोखा मंडी द्वारा चलाई जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम को राज्य सरकार के सुपुर्द किस तारीख को किया गया ?

(2) नगरपालिका नोखा मंडी द्वारा कितने हजार फुट लोहे की पाइप लाइन बिछाई गई थी ? तथा इस पाइप लाइन को उठाकर जन-स्वास्थ्य विभाग ने सीमेंट की पाइप लाइन कब और कितनी धनराशि की बिछाई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि इस निकाली गई लोहे की पाइप लाइन को गुप्त ढंग से किसी अधिकारी ने बेच कर उससे प्राप्त धनराशि को विभाग में जमा नहीं कराया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका नोखा मण्डी द्वारा चलाई जाने वाली योजना विभाग को दिनांक 1-6-68 को हस्तान्तरित की गई।

(2) नगरपालिका द्वारा बिछाई गई लोहे की पाइप लाइन के बारे में सूचना नगरपालिका द्वारा इस विभाग को नहीं दी गई है। हस्तान्तरित योजना में से रु. 5,960/- के गले हुए निम्न जी. आई. पाइप निकाले गये और स्टोर में जमा किये गये। इस क्षेत्र में कुल लगभग रु. 30,000/- के ए. सी. पाइप योजना के हस्तान्तरण के उपरान्त लगाये जा चुके हैं।

1 इंच = 10 पाइप
2 इंच = 80 पाइप
ढाई इंच = 2 पाइप
3 इंच = 7 पाइप

(जन स्वास्थ मंत्री)

(3) इस विषय में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई विशिष्ठ जानकारी माननीय सदस्य देंगे तो जांच करवाई जायेगी।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति सिरोही

17. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल में अधिकतर सदस्य डिफाल्टर हैं ? यदि हां, तो उन्हें राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 34 (4) के तहत बोर्ड से क्यों नहीं हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में मीरपुर दूध उत्पादक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 8-5-72 को हुआ था उसके बाद समिति के पास न तो कोई मवेशी हैं और न ही यह समिति कार्य करती है ? यदि हां, तो इसे भंग क्यों नहीं की गई ? तथा कब तक भंग कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सिरोही सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के संचालक मंडल में दोषी सदस्य भी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन कब कब दोषी रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां, समिति ने रजिस्ट्रेशन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। समिति को दो माह में कार्य प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया है और किस तिथि द्वारा दिनांक 8-5-74 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो समिति को अवसायन में लाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं।

भूतपूर्व कैदियों का शिविर

18. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डा. सम्पूर्णानन्द शिविर (शैल्टरहाउस) सांगानेर जयपुर में 15 जनवरी, 1974 को कितने भूतपूर्व कैदी रह रहे थे और उनके जीवन निर्वाह का क्या प्रबन्ध है तथा किस किस को कितनी कितनी भूमि कब से जीवन निर्वाह के लिए दे रखी है ? नियमों के अन्तर्गत इस शिवर में भूतपूर्व कैदी कितने समय तक रह सकता है और इस समय जो रह रहे हैं वे कब से रह रहे हैं ?

उत्तर

श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, सांगानेर (जयपुर) शेल्टर हाउस नहीं है अपितु यह बंदियों का एक खुला शिविर है।

दिनांक 15-1-74 को श्री सम्पूर्णानन्द शिविर सांगानेर, जयपुर में निम्नलिखित 2 भूतपूर्व बन्दी थे :—

(1) दौलासिंह पुत्र पूरणसिंह

Page No 34

(34)

(कारागृह मंत्री)

(2) नन्दा पुत्र देवा।

उक्त दोनों भूतपूर्व बन्दी अपना गुजारा शिविर से बाहर मजदूरी करके करते हैं। ये दोनों भूतपूर्व बन्दी शिविर पर रह रहे बंदियों को अपने अवकाश के समय सूत, रंगाई कार्य व दरी बुनाई कार्य में डिजाइन बताने का कार्य करते हैं जिसके कारण उन्हें शिविर में रहने की आवास सुविधा दी हुई है। भूतपूर्व बन्दी नन्दा पुत्र देवा एवं दौला सिंह पुत्र पूरणसिंह क्रमशः 10-2-66 एवं 30-7-66 से रह रहे हैं।

भूतपूर्व कैदियों के सम्बन्ध में राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1973 में कोई प्राव-धान नहीं है।

संजय साप्ताहिक को विज्ञापन

19. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

संजय साप्ताहिक समाचार पत्र झालरा-पाटन जिला झालावाड़ को 1 जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, 73 तक विज्ञापन हेतु जिले की विभिन्न पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् जिला झालावाड़ से कितना-कितना रुपया कब-कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समिति सांचोर की पाठशालाओं की बाढ़ से क्षति

20. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हाल ही में आई बाढ़ से पंचायत समिति सांचोर में कितने प्राथमिक पाठशाला भवनों को कहां कहां क्षति पहुंची? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त क्षेत्र के क्षतिग्रस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या सहायता प्रदान की गई है तथा भविष्य में क्या क्या सहायता प्रदान की जावेगी?

(3) अब उक्त क्षेत्र में पाठशालाएं कहां चलाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक क्षतिग्रस्त पाठशाला के पुनर्निर्माण के लिए पंचायत समिति सांचोर द्वारा 1000) रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है। मगर जन सहयोग की राशि प्राप्त नहीं होने से यह रकम अभी पुनर्निर्माण कार्य पर नहीं लगाई जा सकी है।

(3) ऐसी पाठशालाएं अभी निजी मकानों में चलाई जा रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

टोंक जिले की खानों से आय

21. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले की खानों से कितनी आमदनी होती है ? उक्त जिले में कितनी खानें चालू हैं और कितनी डेड रेन्ट पर हैं ? तथा सर्वेक्षण से कौन कौन सा खनिज प्राप्त हुआ है ?

उत्तर

टोंक जिले की खानों से आमदनी करीब रुपये 1,17,356.85 पैसा है।

उक्त जिले में 30 खानों के प्रधान खनन् पट्टे हैं तथा 21 अप्रधान खनन पट्टे चालू हैं। 30 खाने डेडरेन्ट पर हैं। यह सभी खानें चालू हैं।

टोंक जिले में सर्वेक्षण से अनेक मिनरल का किया गया गारनेट, बेरियल, वोललेभाइट, राक क्रिस्टल आदि। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि वेरियल और उसकी कीमती किस्में एक्वेमेराइन क्रिस्टेलाइट और हैलिपोड़ा आदि मिनरल्स का कार्य इकनामिक तरीके से टोडा-रायसिंह रामपुर और बागरी क्षेत्रों में तथा खास तौर से बागरी क्षेत्र में किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह, गोवर्धनसिंह व रामजीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर व अजमेर जिलों में शीत लहर से फसलों को हुई क्षति के विषय में।

(2) श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा द्वारा भरतपुर जिले और पश्चिमी राजस्थान में शीत लहर के कारण फसलों के नष्ट होने के सम्बन्ध में।

(3) सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह व गोवर्धनसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर हाई कोर्ट बैंच जयपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(4) सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह, गोवर्धनसिंह व रामजीललाल, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा–बान्दीकुई आदि कस्बों में छात्रों पर पुलिस के अत्याचार के सम्बन्ध में।

(5) सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह, गोवर्धनसिंह और रामजीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत चुनावों में अनिश्चितता के सम्बन्ध में।

(6) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा द्वारा—

(1) जिला जालौर विशेषतया तहसील सांचौर में वसूल की गई लेवी की उचित कीमत न चुकाने सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(2) तहसील सांचोर जिला जालौर के मैयुयड क्षेत्र में गेरू की बीमारी तथा शीत लहर से गेहूं की फसल को हुए नुकसान के विषय में,

(7) सर्वश्री केदारनाथ, गुरदयालसिंह संधु, रामकिशन, विट्ठलभाई व जीथिंग, सदस्य विधान सभा द्वारा लेवी की दोषपूर्ण प्रणाली के विषय में।

(8) सर्वश्री जीथिंग व विट्ठलभाई सदस्य विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में राजस्व खाते की पुरानी वसूलियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला गंगानगर के जिलाधीश के कार्यालय के सामने चौधरी चेतनराम द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में।

(10) श्री गुरदयालसिंह सन्धु व केदारनाथ सदस्य विधाम सभा द्वारा गंगनहर के आर.डी. 87 पर पंजाब राज्य द्वारा एक माइनर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केदारनाथ, गुरदयालसिंह सन्धु, रामकिशन, जीथिंग, विट्ठलभाई, केशरीमल, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा सदस्य द्वारा राज्य में 3 मार्च से दवा विक्रेताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में।

(12) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा भानुकुमार शास्त्री, मालाराम, गिरधारीलाल भार्गव व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाने में पुलिस द्वारा पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(13) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अखबारी कागज की कमी के सम्बन्ध में।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(14) सर्वश्री केदारनाथ, रामकिशन गुरदयाल सिंह संधु, विट्ठलभाई, जीथिंग, निरंजननाथ आचार्य, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह, रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा, केशरीमल, मोहम्मद गफ्फारअली, मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह, गोवर्धनसिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्य में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के अभाव व मंहगाई के सम्बन्ध में,

इस विषय में चर्चा के लिए समय का निर्धारण किया जा रहा है। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(15) श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगनहर की मरम्मत न होने के सम्बन्ध में। वह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

Page No 37

(37)

(श्री अध्यक्ष)

(16) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा, मोहम्मद गफ्फार अली व केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से हिन्द महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा दियागो ग्रोसिया में फौजी अड्डा स्थापित करने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(17) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, मालाराम, अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा जयपुर में यातायात से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में। इस प्रश्न पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज से प्रारम्भ होने वाली बहस के समय चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिन्द महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी अड्डे सम्बन्धी प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह मानना कि इसका ताल्लुक राज्य सरकार से नहीं है, मेरा सब्मिशन यह है कि यह मानना उचित मालूम नहीं होता। इसलिए कि अभी पंजाब की असेम्बली में इस समझौते की भर्त्सना की गई है और एक रेज्यूलेशन पास किया गया है। यह एक गम्भीर समस्या है। जो प्रतिगामी शक्तियां हैं ...

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त करें।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : हिन्द महासागर में एक फौजी अड्डा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं ..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सुनिए। (व्यवधान) आज ऐसा है कि...

(**श्री** लोढ़ा, भार्गव एवं श्री भानुकुमार शास्त्री, एक साथ बोलने लगे (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज करूंगा...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आज जो प्रतिगामी शक्तियां हैं, उनकी ढाड़ी में तिनका है। वे स्वयं बोल रहे हैं। मै अर्ज करना चाहूँगा...

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण नहीं भाई।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अभी जनसंघ वाले अपने आप बोलने लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग अपने आपको प्रतिगामी समझ कर चलते हैं, इसका मुझे अफसोस नहीं है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप अपनी असलियत को पहचानते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही पंजाब की असेम्बली में एक रैज्युल्यूशन पास हुआ है और उसमें भर्त्सना की गई है। यह हिन्दुस्तान, राजस्थान और पूरे मुल्क की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है...

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : मेरे दल के बारे में इस प्रश्न के ऊपर संकेत किया गया है और मेरे दल का नाम लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय और इसकी भर्त्सना की जाय। इसमें हम समर्थन करते हैं। चाहे वह रूस के द्वारा हो चाहे अमेरिका के द्वारा हो, हम भारत राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा को कहीं भी खतरा पैदा होता हो तो अमेरिका और रूस को एक ही निगाह से देखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए प्रस्ताव स्वीकार किया जाय और इसकी भर्त्सना की जाय। राज्य विधान सभा के अपने क्षेत्र में यह प्रस्ताव नहीं आता हो तो पहले भी ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसलिए जब कभी भी सीमाओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह विषय ऐसा है कि जिससे कि हम राजस्थान के निवासी, हिन्दुस्तान के नागरिक होने के नाते और हर एक हिन्दुस्तानी नागरिक बहुत प्रभावित है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न पर अपनी राष्ट्रीय एकता भी है और अपने देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत स्ट्रिक्ट इसका इण्टरप्रिटेशन न करते हुए ऐसे प्रश्नों को हमने अपनी विधान सभा में नोटिस लिया है और दूसरी विधान सभाओं ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें और सदन के नेता भी इस पर अपने विचार जाहिर करें और इसके लिए कोई भी प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके लिए आपकी अनुमति हो तो हम तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय सीधा साधा प्रश्न यह है कि ...

श्री मूलचन्द डामरिया : ये तो काफी समय लेंगे, मैं दो मिनिट में अर्ज कर दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत की सुरक्षा के बारे में जहां कहीं भी खतरा हो उस प्रश्न को हाई लाईट किया जाना चाहिए और राजस्थान की जनता की भावनाओं को आगे लाया जाना चाहिए। वह किस रूप में हो, इस पर विचार भेद हो सकता है। आप उचित मौके पर प्रस्ताव ले आयें बजाय इसके कि एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी ...

श्री मूलचन्द डामरिया : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, ये तो बहुत बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं घण्टी बजाते ही बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जिस समय घण्टी बजायेंगे मैं बैठ जाऊंगा और आपकी बात भी रह जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जनता को जो समस्याएं हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाया जाए। दवा विक्रेता पिछले तीन महीने से अपनी दुकानें बन्द किए हुए हैं। कल भी दुकानें बंद थीं और आज भी बंद हैं। हास्पिटल में दवाइयां नहीं मिलती है। लोगों का जन जीवन खतरे में है। इन्जेक्शन नहीं मिल पा रहा है। किसी प्रकार की कोई औषधी नहीं मिल पा रही है···

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप कई प्रकार के नमूने लाते हैं यहां पर, दवाइयों के क्यों नहीं लाते ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज दवा विक्रेताओं का कारोबार बंद हो गया है। सरकार की क्या नीति है, क्यों ये दुकाने बंद हैं ? क्यों वह जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है ? जैसे अनाज का वितरण जरूरी है वैसे ही मनुष्य के जीवन के लिए औषधियां जरूरी हैं। आज दवा-विक्रेताओं की दुकानें बंद हैं, यह क्यों हैं ? मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। अगर उनका दोष है, किसी प्रकार की उनकी गलती है तो उनको सजा दी जाए ? आखिरकार क्या कारण है कि वे अपना कारोबार बंद किए हुए बैठे हैं और इस प्रकार अपनी कार्यवाही से जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस सदन में माननीय श्री छंगाणी-जी का स्टेटमेन्ट होना आवश्यक है वरना दुकानें बंद रहेंगी और मरीज घरों में मर जाएंगे।

दूसरा निवेदन मेरा अखबारी कागज के संकट के बारे में है। आज इसका मूल्य 32 से बढ़ कर 65.70 हो गया है। राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन नियमित नहीं हो रहा है। अधिकार दैनिक पत्र भी बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। दिन प्रति दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है अखबार का कोटा पूरा नहीं मिलने के कारण। इनकी विज्ञापन की जो दरें हैं वे ही पुरानी दरें हैं। इसलिए इनको विज्ञापन सरचार्ज बढ़ाकर दिया जाए ताकि अखबार चलाने वाले व्यक्ति बाजार से कागज को लेकर अखबार को छाप सकें। प्रजातन्त्र के समाचारपत्र ही प्राण हैं। पत्रिकाएं बंद हो रही हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, उनको क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, वह इस सदन में स्पष्ट किया जाये और दस पर्सेन्ट सरचार्ज बढ़ाकर उनको विज्ञापन दिया जाए। और जो दूसरी बातें हैं उन पर तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के समय कहूंगा परन्तु मुख्यतः इन दो बातों पर मेडिकल की दुकानें क्यों कर बंद है; इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आप स्वास्थ्य मंत्रीजी को स्टेटमेन्ट देने के लिए अनुमति दें, आपकी ओर से आज्ञा दें क्योंकि इस सम्बन्ध में उनका स्टेटमेन्ट होना बहुत ही आवश्यक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दवाई विक्रेताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया है। पिछले तीन दिन

(श्री योगेन्द्र नाथ, हाण्डा)
से दवाई विक्रेताओं की दुकानें पूर्णतः बंद है। जिससे राजस्थान के अन्दर हजारों लोगों का जन-जीवन संकट में पड़ गया है। समाचार तो यहां तक आया की दवाई न मिलने के कारण मरीज मृत्यु के मुंह में चले गये। अगर यह स्थिति आज भी जारी रही, इसी प्रकार दवाई विक्रेताओं ने दुकानें बंद रखी तो इस राज्य में मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे सिपाही बैठा सकते हैं दुकानें खुली रखने के लिये, पुलिस से व्यापारियों को बुलाकर इस बात के लिए दबाब डाल सकते हैं कि आप दुकानें बंद न करें जब ऐसा वे कर सकते हैं तो दवाई विक्रेताओं ने दवाई बेचना क्यों बंद कर रखा है और उनकी पुलिस क्या कर रही है जबकि इससे राजस्थान के हजारों लोगों का जीवन संकट में में पड़ गया है? वे आज इस सम्बन्ध में चुपचाप क्यों बैठे हैं? इस सम्बन्ध में क्या कुछ नहीं करना है? यह एक गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जितना सूक्ष्मता से हो सकेगा, कहूंगा। राजस्थान के अन्दर ड्रग्स कन्ट्रोल ऑर्डर 1959 से लागू हुआ। 15 साल का समय हो गया लेकिन आज तक राजस्थान के ड्रग्स को लेकर, सब स्टेन्डर्ड ड्रग्स को लेकर कोई परीक्षण नहीं किया गया, उनकी जांच के लिए कोई लेबोरेट्री कायम नहीं की गयी। मैं नये स्वास्थ्य मंत्रीजी की प्रशंसा करूंगा। देर आयद दुरस्त आयद।

श्री अध्यक्ष : स्पीच नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गंभीर है, कुछ पहलूओं पर प्रकाश डालना होगा

श्री अध्यक्ष : ज्यादा समय नहीं लिया जाए। कुछ पाइन्ट्स पर ही कह दीजिए। मैंने इसको रिफ्यूज नहीं किया है''यह हाउस के सामने आएगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान में राजस्थान के समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि इस एक्ट के तहत ड्रग्स इस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है और उस नियुक्ति के वाद कुछ आपरेशन हुए सारे राजस्थान के अन्दर। वैसे तो यह बात छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के अन्दर छापे मारे गये और ड्रग्स जो गलत थे पकड़े गये। इस ट्रेड के अन्दर तीन सेक्शन जिम्मेवार हैं, एक ओर डाक्टर्स हैं, दूसरी ओर दवाई बनाने वाले मैन्युफैक्चर्स और तीसरे दवाई विक्रेता हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर तकरीर कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है विषय''

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेन्ट बहुत है, और सदस्यों को भी समय देना है इस पर भाषण करने की परम्परा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो, अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर विषय है''

श्री अध्यक्ष : इसीलिए इजाजत दी है। कृपया थोड़े समय में ही कहें। आप इस कला

(श्री अध्यक्ष)
में होशियार हैं। चाहें तो थोड़े समय में ही इसको समाप्त कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय यह विषय गंभीर है । आप इनको बोलने दीजिए । माननीय मंत्री महोदय को इस सदन में स्टेटमेन्ट देने के लिए आज्ञा दे दें....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय यह एक गंभीर विषय है । दूसरे की बात मैं नहीं कहता। इस ट्रेड के तीन महत्वपूर्ण सेक्टर हैं । एक सेक्टर के ऊपर आज छापा मारा गया और छापा मारने वालों में सबसे पहले स्थिति यह आई दवाई विक्रेता के ऊपर 15 साल से यह ड्रग्स कन्ट्रोल आर्डर बना हुआ है, परन्तु यह आज तक, इससे पहले तक लागू नहीं किया गया। एक लेबोरेट्री तक इस एक्ट के अन्तर्गत कायम नहीं की गयी। राजस्थान के अन्दर एस्परीन का केस हो गया। यहां पर मिट्टी की दवाईयां तक बिक गयीं उसका एनलिसिस राजस्थान की लेबोरेट्री में नहीं हो सका, दिल्ली की लेबोरेट्री में हुआ। यह खेद की बात है..

श्री अध्यक्ष : अपना भाषण सीमित रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गलत बिलों का रिएम्बर्समेन्ट हो रहा है, इस बात को लेकर दुकानों पर छापे मारे गये। परन्तु स्वास्थ्य मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ट्रेड के जो तीन सेक्टर हैं ये तीनों ही इम्पार्टेन्ट हैं, परन्तु उनमें से केवल एक ही सेक्टर पर क्यों यह छापा मारा गया है ? क्या केवल एक ही सेक्टर इसके लिए जिम्मेवार है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सब से पहले डाक्टरों का जवाबतलब किया जाना चाहिये वे ही सब स्टेन्डर्ड माल बिकवाने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्रीजी इस बात को भूल गये हैं कि भीलवाडा के अस्पताल के अन्दर ओवर डेटेड इन्जेक्शन के लगाने के कारण एक मरीज की मृत्यु हो गयी। मुख्य मंत्री इस बात से परिचित हैं। गंगानगर में ओवर डेटेड इन्जेक्शन के लगने से आपरेशन थियेटर में मृत्यु हुई है। अ.. मेरी चैलेन्ज है कि एस. एम. एस. मे, जोधपुर के अस्पताल में ओवर डेटेड मेडिसन बहुत भारी संख्या में अस्पतालों में मौजूद हैं। तो इन सब स्टेन्डर्ड ड्रग्स के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : यह क्या मेडिकल डिपार्टमेन्ट की ग्रान्ट पर स्पीच हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो स्पीच नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां पर गंभीरता बता रहा हूं। आज यह इन्जेक्शन का मामला है। जिसके इन्जेक्शन लगता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो जीवन मृत्यु से जुडा हुआ है... मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा वे कि मुझे इस सम्बन्ध में अपने विचार इस सदन में रखने के लिए पूरा समय दें। इसलिए आप से मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे दस मिनिट का समय और दें....

Page No 42

(42)

श्री अध्यक्ष : इतना बोल लेने के बाद भी आप दस मिनिट और चाहते हैं। दो मिनट। बहुत लोग हैं सब को समय देना है और नियम तो आप जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मिनट कम कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यहां कोई व्यापार नहीं हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : अब दो मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज कर रहा था कि सब स्टेन्डर्ड ड्रग्स के जहां तक मामले है आज राजस्थान में ये बात किसी से छिपी हुई नहीं हैं। जिन जिन ड्रग्स को रिटेल प्राइज पांच रुपये, सात रुपये है उन्हीं ड्रग्स की कीमत होलसेल में डेढ रुपया होती है और जो डॉक्टर्स प्रेसक्रिप्शन बनाते हैं, अगर मंत्री महोदय उन्हें कलेक्ट करें तो मैं उनको एक टन प्रेसक्रिप्शन गंगानगर से भिजवा सकता हूं। डॉक्टर्स कितनी सब-स्टेण्डर्ड ड्रग्स लिखते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक दवाई के विक्रेता के बारे में मैं जानता हूं। कोई ऐसा प्रेसक्रिप्शन नहीं जिसमें सब-स्टेण्डर्ड दवाइयां न हों। अगर 6 दवाइयां लिखते हैं तो 5 दवाइयां सब-स्टेण्डर्ड को खरीदेगा।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार से भाषण नहीं हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी दशा में क्या हो? छापे मारे गये। अध्यक्ष महोदय, 5 ड्रग इन्सपेक्टर श्री गंगानगर में गये। उनमें दो ऐसे आदमी गये जो कि राजस्थान में बदनाम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज के लोग हैं। डा. गुप्ता और डा -- लगातार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी में रहे हैं। जो उनकी होलसेल वालिया मैडीकोज लगातार दूकान खुली रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिनका लगातार सम्पर्क डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ से हैं। डायरेक्टर की श्रीमती जी बहुत गम्भीर रूप से बीमार हैं। मैं चेलेन्ज करता हूं, एक चपरासी की पत्नी भी बीमार है। वह इस प्रकार से डेढ़ महीने में मेडिकल बिल ड्रा करें।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्नमेण्ट मोशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं उनके आपरेशन का स्वागत करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सब-स्टेण्डर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर और डॉक्टर्स इनको भी आप देखें। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी परचेज कमेटी को देखने का प्रयत्न करेंगे। मैं वैसे तो कुछ चीजें लाया था दिखाने के लिये। राजस्थान ड्रग परचेज कमेटी जिस प्रकार से ड्रग परचेज करती है। होस्पीटल में आउट डेटेड ड्रग्स मौजूद है। राजस्थान परचेज कमेटी, के खिलाफ एक्शन लिया जाये। राजस्थान के डा. मेहता साहब, बरकतउल्ला खां साहब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
के मामले में जिनकी इन्क्वायरी है। उनके प्रेस्क्रिप्शन हैं। यहां के बड़े से बड़े अधिकारी से सांठ गांठ बनाये हुए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा, सब-स्टैण्डर्ड ड्रग्स को रोकिये। बिलों के रॉग एडजस्टमेण्ट होते है, उनको रोकिये। उनको तो रोकें नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर यह हो कि एनासिन की गोली नहीं दे सकते हैं। किसी और की गोली नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जिनकी फार्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते हैं। उसके आधार पर उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं किये जायें। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बख्शो मत।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको पकड़ने का प्रबन्ध कीजिये।

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ता. 25 को दौसा में पुलिस ने जो किया है, यह ठीक है कि वहां पर कुछ शरारतियों ने मालगाड़ी से अनाज लूटा था, ताज्जुब की बात है कि जब लूटा गया तो उस समय एक भी पुलिस मैन नहीं गया। जब अनाज लेकर लोग अपने घरों में पहुंच गये उसके बाद वहां स्टेशन पर खड़े हुए निर्दोष लोगों को पीटा। निर्दोष व्यापारियों को पीटा गया। जो 60-60 और 70-70 साल के थे, उनको पीटा गया है। जो सफर कर रहे थे, उनको पीटा गया। जो रेस्टोरेण्ट में बैठे थे उनको भी पीटा गया है। 50-60 लोगों को पीटा गया है। इसकी वजह से लोगों में काफी असन्तोष पैदा हुआ है। उनको पीट कर जो लोग निर्दोष थे, सरकार ने दुकानें बन्द करा दी हैं।

श्री **अध्यक्ष** : इससे भी इन्कार नहीं किया है।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : आपने इन्कारी नहीं की है। लेकिन कितन शर्म की बात है। सरकार कहती है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री ग्रोन दी स्पॉट जाकर जानकारी कर लें। आज आम जनता यह कहती है कि कितनी झूठी सरकार है। लोग घायल होकर पड़े हुये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री **मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री गिरधारीलाल भार्गव ने उठाया है, उस बारे में मेरा निवेदन है कि जो दोषी हैं, उनको दण्ड दिया जाये। जो अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं, उन पर यह डाला जाये। जो गरीब जनता है, उसको क्यों परेशान कर रखा है ? जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाये।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों 10 दिन तक भयंकर शीत लहर आयी। उसके कारण जयपुर जिला काफी प्रभावित हुआ है। जिनकी फसलें खड़ी हैं, उनमें 75 से

(श्री मीठालाल)

लेकर 50% तक नुकसान हुआ है। आज तक उनको राहत देने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। बल्कि उसके बदले में किसानों से लेवी वसूल हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस लेवी वसूली को रोका जाये जिससे कि उनको खाने के लिये कुछ अनाज बच सकें। क्योंकि आगे वाली फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। लेवी के रूप में जो खाद्यान्न वसूल किया गया वह रख दें ताकि वह जिससे कि वह उनको खाने के लिये मिल सके। अभी शीत लहर के कारण जो गांव प्रभावित हुए हैं उनको तुरन्त अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय और वहां पर तुरन्त अकाल राहत कार्य चालू किये जायं। आपने इस मामले में माननीय मंत्री जी को आदेश दिया है कि इसके बारे में आप सूचना देंगे। मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेष गम्भीर तरीके से लेकर शीत लहर से जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर तत्काल राहत कार्य चालू किया जाय।

श्री **जिथिंग** (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में लगान और ऋण की बकाया वसूली के बारे में जो आतंक छाया हुआ है उसके सम्बन्ध में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने उस पर यह व्यवस्था दी है कि जानकारी प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायगा। आपके इस आदेश का तो मैं पालन करूंगा ही, लेकिन पिछले समय में ऐसी अनेक घटनाओं की सूचना हम इस विधान सभा में दे चुके हैं लेकिन सरकार ने उन पर कोई उचित निर्णय लेने के लिए, या उचित कार्यवाही करने के लिए, या इस सदन में उन पर विचार करने के लिए न तो कोई रिपोर्ट पेश की है और न उन पर विचार किया गया है। इसी तरह से मैं सोचता हूं और मुझे लगता है कि इस स्थगन प्रस्ताव को आगे टालने के लिए आपने इस प्रकार की व्यवस्था दी है...

श्री **अध्यक्ष** : ऐसी बात नहीं है। जबाब मांगा गया है। सदन के सामने आयेगा।

श्री **जिथिंग** : उस इलाके में आतंक इतना भयंकर फैला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां आतंक फैलाने का इशारा माननीय मुख्य मंत्री जी का रहा है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कुशलगढ़ की निष्पक्ष रिपोर्ट मांगे तो कुशलगढ़ क्षेत्र में पुलिस की टुकड़ी गांव गांव घूम कर बिना किसी वजह से, बिना किसी घटना के केवल पटवारी के नाम से रिपोर्ट लेकर दस बारह आदमियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जिनके कैसेज एस. डी. एम. कोर्ट में चल रहे हैं। एस. डी. एम. को माननीय मुख्य मंत्री जी का इशारा है और राजनैतिक बैर-बदले की भावना से वहां पर आतंक फैलाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगा कर इस सदन में उस पर विचार करने का समय दें तो हम निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी दे सकेंगे, अन्यथा हमें मजबूरन आपको समय देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : मान्यवर, मैंने जो लेवी के सम्बन्ध में एक स्थगन

(श्री केदारनाथ)

प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में आपके मार्फत मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। अभी मार्च का महीना है और अक्टूबर–नवम्बर में बाजरा पैदा होता है। अब वसूली का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए यह स्थगित होनी चाहिए। नम्बर दो, सेक्शन 317 में जो केसेज चलाये जा रहे हैं, वह विथड्रा हो जायं। अब बीकानेर, चूरू, सरदारशहर में कुछ व्यक्तियों को लेवी प्रोक्योरमेंट के दौरान गिरफ्तार किया गया है. उन पर जो केसेज चलाये जा रहे हैं वह वापिस हो जायं और उनको रिलीज कर दिया जाय और वसूली स्थगित हो जाय।

मैडिकल स्टोर जो स्ट्राइक पर गये हैं, मैं आपके मार्फत स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी मन्शा ठीक है। स्पूरिअस ड्रग्स के बारे में, झूठे रिएम्बर्समेंट बिल्स के बारे में, और जो डेट एक्सपायर होने के बाद की जो मैडिशन रखते हैं, उनके बारे में किसी प्रकार की रियायत नहीं मांगते हैं। उन पर आप एक्शन लेते हैं तो हम आपका साथ देते हैं। लेकिन टेक्निकल फ्लाज माइनर फ्लाज पर जो आपके ड्रग इन्सपेक्टर उनको परेशान करते हैं आपने जो ड्रग इन्सपेक्टर नियुक्त किये हैं, वह क्वालिफाइड नहीं हैं, साथ ही न उनकी इन्टेग्रिटी है और न उनका सही एप्रोच है। आप इस फ्लोर पर यह एश्योरेन्स देवें कि आम कैमिस्ट टेक्निकल फ्लाज के कारण, मैडिशिन की प्राइस डिस्प्ले नहीं की गई है, मिट्टी पड़ी हुई है, नोवलजिन बेच दी है लेकिन उसका केशमीमो नहीं काटा गया है—ड्रग इन्सपेक्टर परेशान नहीं किये जायं। आप यह एश्योरेन्स दे दें तो मेरा खयाल है कि हम भी निवेदन करेंगे इन कैमिस्टों को कि यह तरीका ठीक नहीं है, दुकानें खोली जायं। यह ह्यूमन लाइफ के इन्ट्रेस्ट की चीज है, इसलिए आप यह एश्योरेन्स दे दें। मेरा खयाल है कि राजस्थान में नार्मल एटमास्फिअर पैदा हो जायगा।

तीसरे, प्राइस स्पाइरल और असेंशियल कामोडिटीज के अभाव के बारे में आपने यह निर्देश दिया है कि कल इस पर बहस हो जाय दो तीन घंटे। हम चाहते हैं कि पूरे दिन इस पर बहस हो क्योंकि यह अहम सवाल है। हम चाहते हैं कि डेफिनेट टाइम इसके बारे में आप दे दें।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष मैं भी लेवी के सम्बन्ध में और स्पूरिअस ड्रग्स के सम्बन्ध मे दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। यह आज की बात नहीं है, यह सर्वविदित बात है कि स्पूरिअस ड्रग्स का और ब्लेक मार्केट का ट्रेण्ड राजस्थान में आज से ही नहीं, कई वर्षों से चला आ रहा है। इन लोगों को, जो एन्टी–सोशल एलीमेंट हैं, जो समाज के शत्रु हैं, सख्त से सख्त सजा दी जाय। लेकिन इसके साथ साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दवाइयों का वितरण सुचारू ढंग से होता रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये– ऐसी व्यवस्था के के लिए माननीय मंत्री को एनश्योर करना चाहिये और निश्चित रूप से करना चाहिये।

दूसरे, लेवी के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय मैं यह कहता हूं कि आप समृद्ध किसानों

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अवश्य लेवी लीजिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब बहस होगी, दो शब्द उस समय सदन के समक्ष निवेदन करूंगा लेकिन माननीय सदस्य जो बांसवाड़ा से आये हुए हैं, वह मेरे डूंगरपुर से निकटतम जिला है, वहां पर ऐसी समस्या आई हुई है, वहां पर काफी हार्डशिप है। मैंने यह भी सुना है कि जिन लोगों के पास अनार्थिक जोत है, छोटे किसान हैं, जिनके पास अनाज नहीं है उनके पास जाकर जबरदस्ती यह कहा गया है कि अनाज नहीं है तो नकदी की शक्ल में पैसा दो। यह कोई लेवी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नकदी ले रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह अत्याचार है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मेरे दल के माननीय सदस्य ने शीत लहर के द्वारा चन्द जिलों में और जयपुर के पड़ोसी जिलों में नुकसान होने की चर्चा इस सदन के समक्ष उठायी है। वहां पर अनाज नहीं मिलता है जहां पर लेवी लगाते हैं, जहां खेत के खेत गायब हो जाते हैं और अनाज बिल्कुल जल जाता है शीत लहर की वजह से, उसके बारे में सरकार यदि विचार नहीं करेगी और तत्काल विचार नहीं करेगी तो मेरे खयाल में यह समस्या बुरी से बदतर होगी। फिर आखिरकार, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि फाका मस्ती रंग लाये बगैर नहीं रह सकती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, महगाई के बारे में अधिक विवाद हो चुका है, मैं उन मुद्दों पर न जाकर जो बात रह गई हैं, उनकी ओर पहले माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज राशन की दूषित वितरण प्रणाली के कारण आप राशन पूरा नहीं दे रहे है। इसलिये सरकार सारे प्रदेश के अन्दर यह घोषित करे कि जो सरप्लस क्षेत्र है, जहां गेहूं है, वहां से बिना किसी रोक टोक के सभी स्थानों पर गेहूं लाया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के चित्तौड़ से, चाहे आस पास के क्षेत्र से, जहां उपलब्ध है....

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित कर रहा हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वही तो। मैं इसी मुद्दे पर कहना चाहता हूं। आज स्थिति यह हो गई है कि उदयपुर में गेहूं 160 रु. के भाव मिलता है, और चित्तौड़ में 130 रु. के भाव मिलता है। इसलिए यह जो आर्टिफिशियल बैरिअर्स हैं उनको हटाने की आप घोषणा करें ताकि वितरण में कुछ सुधार हो।

दूसरे गत सत्र में भूतपूर्व खाद्य मंत्री से निवेदन किया था कि सरकार एक ओर यह कहती है कि व्यापारी चोर हैं, मैं मानता हूं कि चोर हैं लेकिन जो चोर हैं उनके साथ मिल कर सरकार यदि स्वयं सौदाबाजी करे तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। आज परिस्थिति यह है कि उस समय जो माननीय मंत्री ने यह कहा था कि सरकार कुछ

Page No 47

(47)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
व्यापारियों को अनाज के परमिट देती है, तो जो परमिट देती है उसके आधार पर जो व्यापारी भरतपुर से बीकानेर, हरियाणा से उदयपुर गेहूं ले जाता है उसको एक ट्रक का जहां सात सौ रुपया मिलना चाहिये, वहां पर सौलह सौ रुपये दिये...

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप से कहिये । डिबेट नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसकी लिस्ट और सूचना मैंने मंत्री महोदय के सामने रखी थी । उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था इस सदन में कि मैं इसे इल्लीगल मानता हूं और सारे व्यापारियों को दिये हुए परमिट हैं, उनको मैं अवैधानिक मानता हूं और इस मामले को एन्टीकरप्शन में देता हूं ऐसे आश्वासन देने के बाद, पोर्टफोलियो देने के बाद, उन व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? सरकार इस तरह के सौदे व्यापारियों के साथ न करे और जिन जिन व्यापारियों ने राजस्थान सरकार से परमिट लेकर और पब्लिक एक्सचेकर पर खर्चा करके 300–300 रुपये के आधार पर एक एक ट्रक का 1600 रुपये चार्ज किया है उनसे वसूल किया जाए, जांच की जाय और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच के लिये कहा जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज का व्यापारी मंत्री या बड़े अधिकारी की आंख में धूल झोंक कर परमिट ले जाय । मैंने नाम उस समय सदन में रखे थे । और आज भी रखने के लिये तैयार हूं । इसलिये इस पर कार्यवाही की जाए ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : मेरे भी कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं, उनमें से कुछ स्वीकार किए गए हैं और एक का जिक्र नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : हो सका तो कल जिक्र कर देंगे ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : वह बहुत जरूरी था ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे पास आ जायें मैं उसको देख लूं ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : इस समय हमारी जो गगनहर है, बीकानेर राज्य ने 3.15 करोड़ खर्च करके बनाई थी, उसके अंदर हमारे पानी के अलावा और किसी का पानी नहीं है केवल बीकानेर स्टेट का था, आज राजस्थान का है...

श्री अध्यक्ष : कौन से स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : जो आपके पास आया है ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने भेजा है और जिक्र नहीं आया है तो उसको कल ले लेंगे ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : जिसका जिक्र आज आया है उसकी बात कर रहा हूं । वैसे मिलता जुलता है...

Page No 48

(५४)

श्री अध्यक्ष : फिर तो आज ही बोल डालें । बीकानेर स्टेट ने एक नहर बनाई थी और उस नहर पर जितनी जमीन पंजाब की थी वह खरीद कर नहर बनाई थी और उस पर 1950 तक बीकानेर स्टेट का कन्ट्रोल था और बाद में राजस्थान का आज उस नहर · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गम्भीर प्रश्न है, इन्हें कहने दीजिए । हमारी नहर पर पंजाब डाका डाल रहा है, सदन के सामने आने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव आज है ही नहीं · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : दोनों कनेक्टेड हैं, आप कहें तो दोनों पर बोल दूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो किसी के लिए नहीं कहता ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : जो नहर है वह पंजाब के अन्दर करीब 70 मील के आसपास आती है। वह नहर के 45 आर. डी. से लेकर 187 आर. डी. तक टूट चुकी है। हमने 1947 में बीकानेर स्टेट में यह मसला उठाया था कि यह नहर किसी समय भी टूट सकती है और 1969 में हमने राज्य सरकार से कहा था कि यह नहर टूटने वाली है और किसी समय भी टूट जाएगी । लेकिन राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज उसके कारण वह 28।। मील, 45 आर. डी. से 87 आर. डी. तक टूट चुकी है, दो दो तरफ से घिर गई है और अगली फसल जो आने वाली है उसमें हमको नुकसान हो सकता है। पंजाब की एक नहर से पानी लाया जा रहा है और पंजाब की नहर में डाल कर पानी ले जा रहे हैं । वह एक हजार क्यूसेक्स से अधिक पानी नहीं दे रहे हैं । मैं अपनी आंखों से 15 तारीख को देखकर आया हूं वहां आऊटलेट लगाकर पानी ले रहे हैं और वे कहते हैं कि बरसात के दिनों में हम इस नहर से पानी नहीं लेने देंगे। अगर बरसात के दिनों पानी नहीं लिया तो मौजूदा टूटी हुई नहर किसी हालत में पानी नहीं दे सकती और वह कालोनी जिसमें 7 लाख एकड़ आबादी होती है, रबी में फेल होगी, रबी फेल हो चुकी है, गर्मी में पानी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मैंने 4–5 पत्र सिंचाई मंत्री को लिखे थे, जब कल मिला उन्होंने कहा कौनसी नहर टूटी है ? मुझे दुख हुआ कि इनको अभी तक पता नहीं कि कौनसी नहर टूटी है। उसकी हालत यह है कि पिछले दिनों तीन तीन फुट ऊंची बनाई थी लेकिन पुल ऊंचा नहीं किया गया। किसी समय पुलिया गिर सकती है वह 14300 फीट पर बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहर से पुल तक पहुंच गए ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : नहर के संबंध में कह रहा हूं, पुल टूट जाएगा । नहर की हालत इतनी खराब है और आर. डी. 187 पर पंजाब एक साइफन बना रहा है और

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
पंजाब की नीयत है कि ऐसे 5 माइनर्स और बनाए जायं और यह उसका पहला ट्रायल है कि देखें कि राजस्थान सरकार क्या कहती है।

श्री अध्यक्ष : बजट के समय भी कह सकते हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 87 आर. डी. पर इस समय वह बनाया जा रहा है एक हैड और राजस्थान के पैसे से हैड बना रहे हैं, दो लाख रुपया राजस्थान सरकार का उसमें खर्च होगा। राजस्थान सरकार ने पंजाव को उस नहर की मरम्मत के लिए 3 लाख रुपया दिया हुआ है। मैं 15 तारीख को गया था, 3 जगह पर मरम्मत हो रही थी: आर. डी. 62, आर. डी. 52····

श्री अध्यक्ष : मैंने यह समझ कर कि आप थोड़ा बोलते हैं, यह इजाजत दी थी।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : उसकी हालत खराब है मरम्मत हो रही है, रास्ते में दो तीन जगह 30–35 फीट मरम्मत हुई है।

एक बात और। मैंने चौधरी चेतनराम के बारे में कहा है। वह स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने कई बार इन्साफ लेने के लिए सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल के लिए बार बार लिखा। कलेक्टर गंगानगर की ओर से उनको खाद नहीं मिलता है, वहां पर पत्थर गाड़ दिए जाते हैं, उनको नहर का पूरा पानी नहीं मिलता है। कलेक्टर लिखता है कि आपके साथ इन्साफ होगा। इन मसलों पर जल्दी विचार करना चाहिए। एक आदमी की मोत का सवाल है। 15 दिन हो गए, वह भूख हड़ताल पर बैठा है, वह उठने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी निर्णय करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैंने आपके सामने समस्यायें रखी हैं। कुछ लोगों ने लेवी का विरोध किया है, तो भी बाजरे की लेवी जो किसानों से इकट्ठी की गई है, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आज कई स्थानों पर राजस्व अधिकारियों ने लेवी की वसूली की है और वहां पर आज बाजरी आयी हुई पड़ी है। आज सांचोर के आसपास के गांवों में और खास तौर से डूंगरी गांव में काश्तकार लेवी देने के लिये सात दिन तक पड़े रहे लेकिन वहां पर लेवी तोलने का कोई इन्तजाम नहीं होने से लेवी की वसूली समय पर नहीं हो सकी, और वहां पर काश्तकारों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। वहां उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और न कोई दूसरा इन्तजाम था। डूंगरी और भार ग्राम में बाजरी इकट्ठी पड़ी हुई थी कि एफ. सी. आई. का कोई तोलने व पैसे का इन्तजाम नहीं था वहां पर एफ. सी. आई. के नान–कोओपरेशन के कारण काश्तकारों को पेमेंट नहीं हो रहा है। इधर होली की छुट्टियां आ जायेंगी और लोग छुट्टियों में चले जायेंगे और बेचारे काश्तकारों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः इसके बारे में राज्य सरकार को चाहिये कि इसक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कराने की व्यवस्था करावें। दूसरी बात यह है कि आज सांचोर तहसील में फसलों में गेरू लगने वाली एक बीमारी गेरू नामकी चल गई है जिससे कि सांचोर एरिया के चारों ओर फसल नष्ट हो रही है। जहां पर लाखों मन अनाज पैदा होने की गुन्जायश थी वहां गेरू बीमारी के फसल को लग जाने से उस फसल में इनफेक्शन फैल गया है जिससे फसल बरबाद हो रही है और इससे काश्तकारों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा व राज्य सरकार को भी लेवी नहीं मिल पायेगी अतः राज्य सरकार को चाहिये कि जिस फसल में गेरू बीमारी लग गयी है उस अनाज को सरकारी तौर से नष्ट कराया जाय जिससे कि दूसरी जगह की फसल को बचाया जा सके अन्यथा यह बीमारी वहां पर पूरे इलाके में फैल जायगी और करीब करीब सब जगह फैल गयी है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है जिससे कि राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित इस ओर हो जाये।

व्यवस्था का प्रश्न

सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, परम्परा इस सदन की यह रही है कि रूलिंग पार्टी का सदस्य सदन में एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दे उनके एडर्नजोमेंट मोशन देने से सदन की परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है। यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस पर ध्यान दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी को परम्पराओं के अनुसार एडजोर्नमेंट मोशन नहीं देना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने तो एक समस्या रखी थी। एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में नहीं रखी है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव रखा जाय तो डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम देखें तो इंग्लैंड में भी इसी तरह लेबर पार्टी के एक सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन रखा तो लेबर पार्टी के प्राईम मिनिस्टर को उस स्थगन प्रस्ताव पर इस्तिफा देना पड़ा था। इसलिए अगर मुख्य मन्त्री जी डेमोक्रेसी में, परम्पराओं में विश्वास रखते हों तो उन्हें अपनी सरकार सहित इस्तिफा दे देना चाहिये। यह तो परम्परा का प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस दल के एक सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री रामकिशन : आप लोकतन्त्र में विश्वास कहां रख रहे हैं? आप तो लोकतन्त्र में विश्वास करने से मुकर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज ही स्थगन प्रस्ताव पर जवाब हो जाये तो अच्छा रहे। मन्त्री महोदय आज ही सदन में एक स्टेटमेंट दे दें। दवाई वालों की दुकानों के बारे में है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। इसमें आज ही राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट हो जाना चाहिये।

श्री रामकिशन : बेचारे केमिस्ट लोग इनसे मिलने भी आये हुए हैं और वैसे भी व्यापारी आप से मिलते रहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : केमिस्ट आज मुझ से मिल रहे हैं और उनसे मिलने के बाद उनकी डिफिकल्टीज सुनने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री रामकिशन : आपसे मिल रहे हैं फिर क्या है आज ही स्टेटमेंट हो जाय सदन में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको नोट देने आ रहे हैं।

श्री रामकिशन : मुख्य मन्त्री जी अगर इस मामले पर आज ही स्टेटमेंट दें तो ठीक रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो आज पहली बार मुझसे मिलने आ रहे हैं।

श्री रामकिशन : अजी आपसे तो सभी व्यापारी मिले हुए हैं। आप तो सारी समस्यायें जानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आज पहली बार मिल रहे हैं। पहले उनकी सारी बातें सुनूंगा फिर जो भी जिनुइन कठिनाइयां होंगी तो उन सभी को सुनकर ही तो फैसला किया जायेगा। बगैर सुने और उनकी डिफिकल्टीज को जाने बिना कैसे जवाब दे दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो आपसे बहुत महीनों से मिल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह पहली बार मिल रहे हैं साहब।

श्री रामकिशन : आप अभी बात करलें और फिर बाद में स्टेटमेन्ट देवें। पांच बजे या चार बजे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट का व्यू हमेशा से सिम्पेथेटिक रहा है और जो भी इन लोगों की जिनाइन डिफीकल्टीज होंगी उनको दूर करने की राज्य सरकार हर कोशिश करेगी। पर पहले यह तो पता पड़े कि आखिर उनकी कठिनाइयां क्या क्या हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आज बाजार में इन्जेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। आप उसका फैसला नहीं करेंगे तो कितनी दिक्कत होगी। अगर किसी की मृत्यु बगैर इन्जेक्शन के हो गयी तो क्या होगा? उसका जवाब कौन देगा? हो सकता है आज शाम तक सूर्य डूबने के बाद और कल का सूर्य उगने के पहले सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है इन्जेक्शन नहीं मिलने के कारण तो फिर उसके लिए कौन दोषी होगा? इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दें कि कल तक अगर कोई मर जायेगा तो कौन जिम्मेदार होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अभी जो प्रश्न परम्पराओं पर,

Page No 52

(52)

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था का प्रश्न जो श्री निरंजनाथ जी आचार्य ने उठाया था उसके बारे में कि कोई कांग्रेस पार्टी का सदस्य यानि रूलिंग पार्टी का सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन दे तो ठीक है या नहीं यह दोनों ही बातें हैं ठीक भी हैं और नही भी हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव: नहीं साहब, यह तो कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: पहले आप सुनें तो सही बगैर सुने ही कैसे कह रहे हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह: यह तो "अश्वत्थामा हतो नरो वा कुन्जरो वा" वह वाली हो गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह कैसी बात है मैंने तो अपनी समस्या रखी थी अगर ऐसी बात है तो मैं इसे विद्ड्रा कर लेता हूं।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास: बड़े दुख की बात है कि माननीय अध्यक्ष खड़े हैं और आप बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो परम्परा अपने सदन की और पार्लियामेन्ट की यही रही है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई एडजोर्नमेंट मोशन नहीं आये। आमतौर पर आता भी नहीं। जहां तक नियमों में प्रावधान का सवाल है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि रूलिंग पार्टी का सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं रख सकता। इसलिए मैंने देखा कि नियमों के प्रतिकूल नहीं है। अगर यह नियमों के प्रतिकूल होता तो मैं खुद ही इसके लिए मना कर देता। यह तो एक परम्परा है कि रूलिंग पार्टी का सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं रखता वैसे। नियमों में कोई मना नहीं है।

श्री रामकिशन: ठीक है नियमों में मना नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: मैं इसको विद्ड्रा कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य इस पर विचार करना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई: मैंने कहा ना कि मैं विद्ड्रा कर लेता हूँ। वैसे हमारी ओर से जिस तरह से कालअटेन्शन नोटिस आते हैं उसी तरह से मैंने दिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप तो हाउस नहीं चलाना देना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी व्यवस्था के प्रश्न के बारे में जिक्र आया। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर डेमोक्रेसी में आप अगर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को ही आइडियल समझते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी गलत परम्पराओं को तोड़ना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट तो इम्पीरियलिज्म का निशान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
है । देट हैज सेड हिस्ट्री और, उसकी बनी हुई परम्पराओं को तोड़ देना चाहिए । आज हमारे कांग्रेस के अन्दर भी काफी लोग नई विचारधारा के हैं, प्रगतिशील हैं और काफी लोग इसमें पुराने रूढ़िवादी हैं जो कि रिएक्शनरीज हैं इसलिए हमें डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए ऐसी परम्पराओं को तोड़ देना चाहिए । जो डेमोक्रेसी को कमजोर बनाती हैं ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(क) राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त विधेयक :—

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1973

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक:—

(1) राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973

(2) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973

(3) राजस्थान विनियोग 6 विधेयक, 1973।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश !

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1973) को सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूँ :

(क) जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1974)

(ख) उदयपुर विश्व विद्यालय (संशोधन, अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1974)

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 3 सन् 1974) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित

(श्री रामनारायण चौधरी)
अध्यादेशों को सदन की मेज पर रखता हूं:

(क) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1974)

(ख) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1974)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नये मंत्रियों के साथ अध्यादेश भी बाढ़ की तरह आये हैं।

अधिसूचनायें।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें।

राज्य मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक विभाग सम्बन्धी निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 21 (12) नियुक्ति। ए:55 पार्ट–2, दिनांक 29 अगस्त, 1973

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 8(7) अपोइन्टमेन्ट्स (क–2)।71, दिनांक 30 जून, 1973

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 3(104) ए. ए. 2।65।दिनांक 13 सितम्बर, 1973

उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गयी थी परन्तु संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखी गई है।)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री **परसराम मदेरणा** (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 13 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(5) राज। उप। 73, दिनांक 28-9-73

(2) अधिसूचना संख्या प. 4(क) (1) राज।उप।68, दिनांक 2 मार्च, 1973

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (6) राण।उप। 73 दिनांक 3 नवम्बर, 1973

(4) अधिसूचना संख्या प. 3 (ख) (12) राज।उप।73 दिनांक 8 नवम्बर, 1973

(5) अधिसूचना संख्या प. 21 (3) राज।उप। 72, दिनांक 29 नवम्बर, 1973

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) राज। उप। 73, दिनांक 30 नवम्बर, 1973

(7) अधिसूचना संख्या प. 4(क) (1) राज।उप। 68, दिनांक 2 जनवरी, 1974।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4(7) राज।उप। 73, दिनांक 28 जनवरी, 1974

(श्री परसराम मदेरणा)

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 3(268) रेव।कोल।66, दिनांक 30 जनवरी, 1974।

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 3(268) राज।उप।66, दिनांक 30 जनवरी, 1974

(11) अधिसूचना संख्या प. 4(5) राज।उप।73 दिनांक 2 फरवरी, 1974

(12) अधिसूचना संख्या प. 4(7) राज।उप।73, दिनांक 2 फरवरी, 1974

(13) अधिसूचना संख्या प. 4(7) राज।उप।73, दिनांक 2 फरवरी, 1974

श्री **शिवचरण माथुर** (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या पं. 10 (4) कृषि।ग्रुप II 73, दिनांक 11 मई, 1973 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या प. 1 (1) (2) परि।73, दिनांक 15 मई, 1973 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **रामनारायण चौधरी** (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल। पी. एस.। ए. आर.।3।73। 1771-90, दिनांक 5 सितम्बर, 1973।

यह अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 79 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इस अधिसूचना को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल। पी. एस.। एस. आर.। 1।73। 1708-16 दिनांक 3 दिसम्बर, 1973

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल पी. एस। ए. आर.। 3। 73। 1761-70 दिनांक 5 सितम्बर, 1973

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4।1। एल। पी. एस.। ए. आर.। 1। 69। 349 दिनांक 21 जनवरी, 1974

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नया मन्त्रिमण्डल कम से कम इस पुरानी परम्परा को तोड़ने की कोशिश करे। ये अधिसूचनायें जो पुरानी हैं और अभी अभी जो सदन की मेज पर रखी गयी हैं जो कि मई अगस्त, 1973 की हैं, और इस प्रकार जो पुरानी अधिसूचनायें रखी जाती हैं, चाहे नये मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद तीन दिन ही हाउस चला हो, लेकिन अब इन अधिसूचनाओं को रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपके डिपार्टमेंट इस बात को लाइटली लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह हाउस की प्रतिष्ठा को भंग करने जैसी बात है और इस बात को वे सीरियसली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सली नहीं लेते हैं। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी परम्पराओं को तोड़ कर जब भी हाउस चले अपटूडेट सूचनायें रखी जायं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कई बार चेयर से रूलिंग्स इस सम्बन्ध में दी जा चुकी हैं लेकिन बराबर ज्यादा उनका उल्लंघन हुआ है जो नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में इनके पालन की ओर ध्यान रखा जाय।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

राज्य मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1959 की धारा 619 ए की उपधारा (3) (बी) एवं धारा 619 का उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेट होटल्स लि. का षष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1971 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित बेलेन्सशीट,

(2) राजस्थान स्टेट होटल्स लि. का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1972 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित बैलेन्स शीट,

(3) सांभर साल्ट लि. का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1971–72।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उदयपुर विश्व विद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत उदयपुर विश्व विद्यालय का वार्षिक प्रदिवेदन वर्ष 1971-72 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 1968-69 के लेखे एवं उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह परम्परा हो गयी है कि प्रतिवेदन बहुत देर से रखे जाते है और उस कारण उन प्रतिवेदनों पर कोई विचार नहीं हो सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इम्पोर्टेन्ट प्रतिवेदन भी इस प्रकार से रखे जाते हैं और गत दो वर्ष से तो प्रतिवेदनों पर कोई चर्चा ही नहीं उठी है।

श्री अध्यक्ष : आगे इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जावेगी जिससे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे प्रतिवेदनों पर विचार हो सके।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत उदयपुर विश्व विद्यालय

(श्री खेतसिंह)

(संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ! अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विभाग के अन्तर्गत आता है और इसलिये इससे सम्बन्धित जो भी विधेयक है वह कायदे से कृषि मंत्री की ओर से ही रखा जाना चाहिये। एजूकेशन विभाग का यह अंग नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग इसका कृषि विभाग है। यदि मंत्रीजी मौजूद नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में पावर डेलीगेट की जा सकती है। या तो कृषि मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के साथ मिला दिया गया है....

श्री **शिवचरण माथुर** : ऐसा नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ऐसा नहीं है तो कृषि मंत्री को ही रखना चाहिये।

श्री **खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, आपकी कोई रूलिंग नहीं हुई है।

श्री **खेतसिंह** : एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल एजूकेशन विभाग का है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं। आप जरा बैठिये और सुनिये।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रालय अकेला ही इनके लिए काफी भारी पड़ रहा है सम्भालना, और मन्त्रालय का भार दे दिया गया तो फिर पूरी ही मुश्किल हो जावेगी।

श्री **अध्यक्ष** : यह कृषि सम्बन्धी विधेयक है इसलिये सामान्यतया कृषि मंत्री को ही मूव करना चाहिये था। शिक्षा मन्त्री ने किया है यह इसलिये नियम और परम्पराओं के प्रतिकूल है। यह बात तो सही है कि जहां तक हो सके सम्बन्धित मन्त्री को ही यह करना चाहिये। लेकिन जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटि में सभी शामिल भी हैं। इसलिये एक दूसरे के मोशन को भी एक दूसरा रख सकता है, पर आम तौर से ऐसा नहीं किया जावे तो उचित होगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : फिर इसका जस्टिफिकेशन क्या है ? मौजूद हैं कृषि मन्त्री तो इनकी तरफ से एक्स्प्लेनेशन आना चाहिये।

श्री **हरिदेव जोशी** : इस काम को शिक्षा मन्त्री करते चले आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल दूसरी तरह से होता है।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जहां तक यूनीवर्सिटी का प्रश्न है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ही डील करता रहा है। नेक्स्ट।

श्री **खेतसिंह** : शिक्षा का काम तो शिक्षा मन्त्री ही करेगा।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : शिक्षा मन्त्री अशिक्षा का काम कर रहा है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या शिक्षा मन्त्री मन्त्री रहते हुए शिक्षा देने का काम भी कर सकता है ?

श्री **खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, में और संशोधन हेतु राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

वापिस लिया गया विधेयक

श्री **मोहनलाल छंगाणी** (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1972 को वापिस लेने की आज्ञा के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री **रामकिशन** : कौनसा बिल आपने वापिस लिया, यह समझा दीजिये थोड़ा।

श्री **हरिदेव जोशी** (मुख्य मंत्री) : आवश्यकता नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

स्वीकृत

वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

श्री **रामकिशन** : आपको जानकारी है कि आपने क्या वापिस लिया है। इसमें क्या है ? जानते भी हैं आप ?

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : आप पढ़ लेते तो आपको जानकारी मिल जाती।

श्री **रामकिशन** : आपने पढ़ा होगा। आप ही बता दें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : ये सरकारी चारण खड़े हो गये हैं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : (किशनपोल-बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो मार्च, 1974 को राज्यपाल महोदय ने यहां पधार

Page No 59

(५९)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कर जो अभिभाषण दिया उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं :

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं :"

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय दो मार्च, 1974 को यहां पधारे और उस समय जो स्थिति थी उस सम्बन्ध में भी तथा अन्य सारे ही राजस्थान की प्रगति के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विषद रूप से चर्चाएं की हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले अनुमोदन तो होने दो । समर्थन तो होने दो। आप मन्त्री तो नहीं बन सकते। छंगाणी आप से अलग हो गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप परेशान क्यों हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका जोड़ा बिछड़ गया इसलिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी इस परेशानी के लिये धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे आप पर दया और तरस आती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दया के पात्र तो आप स्वयं हैं कि जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको तो प्रसन्न होना चाहिये कि श्मशान भूमि आपके क्षेत्र में पड़ती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी फुंकते वहीं हैं आप महाब्राह्मण का काम नहीं करेंगे । गीता, भागवत का पारायण करें तो आपका कल्याण हो और आपका भविष्य भी सुधरे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे खुशी है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से आप जैसे नास्तिक भी गीता और भागवत में कल्याण मानने तो लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक दूसरे को सम्बोधित न करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जहां एक ओर राजस्थान में व्याप्त अकाल, अतिवृष्टि और शीत प्रकोप का उल्लेख किया है, वहां...

(1.16 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

पिछले दो मार्च को जिस ढंग से सारे राजस्थान में बन्द का आयोजन करके गुजरात जैसी स्थितियां यहां पैदा करने का बहुत लोगों ने मिलकर प्रयत्न किया उसका भी उल्लेख करना नहीं भूले। हिंसा और अराजकता का वातावरण को प्रसन्नता है कि हमारे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
माननीय मुख्य मन्त्रीजी के नेतृत्व ने यहां नहीं बनने दिया।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को भी इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय जब यहां पधारे और अपना अभिभाषण दे रहे थे तो उस समय कुछ विरोधी दल के लोग बहिर्गमन कर गये, पर अधिकांश यहीं बैठे रहे और शांतिपूर्वक राज्यपाल महोदय की बातों को सुना।

यह सत्य है कि वर्तमान में मंहगाई की और अन्नाभाव की स्थिति है। इससे हम सभी परेशान हैं, जनता भी परेशान है। इन समस्याओं को लेकर जिस प्रकार अन्य प्रांतों में हिंसक वातावरण पैदा हुआ है उस प्रकार का वातावरण यहां भी पैदा करने को कुछ विरोधी पक्ष के लोग तत्पर थे, उत्सुक थे। पर मुझे खुशी है कि हमारे चतुर मुख्य मन्त्रीजी ने छात्र वर्ग को अपने विश्वास में लिया, युवक वर्ग को अपने विश्वास में लिया और उनको स्पष्ट बताया कि आज की राजस्थान की जो समस्याएं हैं वे हिंसक वातावरण और अराजकता फैलाने से हल नहीं होंगी। उनको हल करने के लिये हमें ईमानदारी से चलना होगा और कड़ी महनत करनी होगी। काफी श्रम करना होगा। युवकों की और छात्रों की जो वाजिब मांगें थीं वे स्वीकार की गईं। इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और राज्य के प्रशासन को भी कि दो मार्च को जहां विरोधी लोग बहुत बड़ी आशाएं लगा कर बैठे थे कि राजस्थान में भी गुजरात जैसी अशांति पैदा हो जायेगी, अराजकता की लहर फैला देंगे, वे वह अशान्ति और अराजकता की लहर नहीं पैदा कर सके। इसके लिये मैं राजस्थान की दो करोड़ 57 लाख जनता को भी आज के दिन बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता कि विरोधी लोगों की उन आशाओं पर तुषारापात कर दिया और राजस्थान की महानता की ओर शांति बनाये रखने की परम्पराओं को कायम रखा।

देश का क्षेत्रफल तीन लाख चालीस हजार वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान से प्रभावित है। जिसमें से लगभग दो लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अकेला राजस्थान में है। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी कठिनाइयां कितनी बड़ी हैं। इस सारे रेगिस्तानी इलाके की व्यवस्था का पूरा भार अकेले राजस्थान सरकार पर है। इतने बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र से जूझने का दायित्व सारे देश का है, मैं यह मानकर चलता हूं। दो लाख किलोमीटर के ऐसे थार रेगिस्तान को ठीक करने का दायित्व अकेले राजस्थान के बूते का नहीं हो सकता। अगली पांचवीं योजना मे जो प्रारूप मैंने देखा है, दस करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इस रेगिस्तान से लड़ने के लिये भारत सरकार ने रखा है। पिछले साल जो यहां भयंकर अकाल की स्थिति थी उससे निपटने के लिये अकेले राजस्थान ने अपने कोष से सात करोड़ रुपया खर्च किया। तीस लाख के करीब व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यों पर लगाये गये। तीस हजार असहाय लोगों को भी सहायता दी गई जो काम नहीं कर सकते थे। एक तरफ इस तरह की भयंकर अकाल की स्थिति, दूसरी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
तरफ बाढ़ का प्रकोप, तीसरी तरफ शीत लहर जिसने काफी बरबादी सारे प्रांत भर में कर दी। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि शीत लहर से जिन किसानों की खेती बरबाद हो गई है उनसे लगान वसूली न लें। उनकी लगान माफी की घोषणा करें। ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर प्रति वर्ष जबसे राजस्थान बना है तब से लगातार जारी है। हम अकाल से जूझने के लिये अकाल के स्थाई हल के लिये बड़े काम करते रहे हैं। पिछले वर्ष लगभग चार हजार कुये सीकर जिले में, ढाई हजार कुये झुंझुनू में और जयपुर जिले में साढ़े तीन हजार कुओं का निर्माण किया है। अकाल के स्थायी हल के लिये ही इन कुओं का निर्माण कराया गया है। मैं यह मानकर चलता-हूं कि राजस्थान में आज जितनी भूमि उपलब्ध है, राजस्थान में आज जितने साधन उपलब्ध हैं अगर इन सारे साधनों को भारत सरकार के साधन मिल जायं और स्थायी हल के लिये प्रयत्न करें तो मैं समझता हूं राजस्थान हिन्दुस्तान का खाद्यान्न भन्डार बन सकता है जिस प्रकार तीन जिलों में कुओं का निर्माण किया गया है, यह निर्माण सरकार की ऐसी बड़ी उपलब्धि है मैं गर्व पूर्वक कह सकता हूं कि हम अकाल के स्थायी हल की ओर जा रहे हैं।

पिछले साल बाड़मेर में जहां ट्यूब वैल्स का निर्माण किया गया था मुझे जानकारी मिली है वे ट्यूब वैल्स साधनों के अभाव में नियमित रूप से नहीं चल रहे हैं। जितना पानी वहां से निकाला जा सकता है उस सारे पानी को अगर सिंचाई के साधनों में जुटा सकें तो मै निश्चितपूर्वक मानकर चलता हूं कि राजस्थान की अकाल की समस्या के हल के लिये बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं।

राजस्थान कैनाल योजना जो इस राज्य का भाग्य बदलेगी और राजस्थान ने अपने पूरे साधन इस योजना को क्रियान्वित करने में लगा रखे हैं। 57 में इस योजना का प्रारम्भ हुआ और हमारा लक्ष्य था कि 70 तक पूरा कर लेंगे लेकिन साधनों के अभाव में, बराबर अकाल पड़ते रहने के कारण मानव को बचाने में राज्य सरकार के करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ा और कई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाये।

मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव को पेश करते हुये भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान नहर योजना को राष्ट्रीय योजना मानी जाय और राजस्थान नहर योजना पर भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करवाया जाय। आज जहां बड़े बड़े टीले लगे हुये हैं और जहां जहां पानी पहुंचा है वे हरे भरे हुये हैं। हरियाणा पंजाब की जमीन, राजस्थान कैनाल एरिया की जमीन लगभग एक सी है आज गंगानगर की कुछ तहसीलों की समृद्धि का कारण है, गंगानगर के विकास का कारण है, गंगानगर की खुशहाली का कारण है। वहां गंग कैनाल, भाखरा की डिस्ट्रिब्यूटरी और उसके साथ में राजस्थान कैनाल का एरिया सारे मिलकर जो स्वरूप पेश कर रहे हैं, जिस स्वरूप को कामना कर रहे हैं उस स्वरूप को हम सारे राजस्थान में लाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को अकाल के स्थायी हल के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लिये भारत सरकार केवल 10 करोड़ रुपया सालाना व्यय करने की अनुमति दे तो हमारे राजस्थान का नक्शा ही बदल सकता है, और इसके लिये सारे सदन के सदस्यों को प्रयत्न करना चाहिये कि हम अधिक से अधिक राशि भारत सरकार से प्राप्त कर लें। राजस्थान का दो लाख वर्ग किलोमीटर रेगिस्तानी इलाका है और इसके लिये हम भारत सरकार से राशि प्राप्त कर सकें। यह हमारा संकट नहीं है, राष्ट्रीय संकट है। केवल राजस्थान राज्य पर थोपना उचित नहीं है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि भारत सरकार अकाल के स्थायी हल से निपटने के लिये अधिक से अधिक राशि राज्य सरकार को मुहैय्या करवाये।

मंहगाई के लिये मैंने निवेदन किया, दो मार्च को हड़ताल हुई। मंहगाई से सारे लोग चिन्तित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने मंहगाई का उल्लेख किया है और यह कहा है कि वर्तमान कमर तोड़ मंहगाई एक आम आदमी के लिये बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा यह मंहगाई केवल राजस्थान की मंहगाई नहीं है, यह मंहगाई केवल हिन्दुस्तान की मंहगाई नहीं है, यह मंहगाई सारे दुनियां के अन्दर है। लेकिन सारी दुनियां की मंहगाई को कहकर हम यहां की जनता को बहका नहीं सकते हैं। अभी यहां पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे और जब जीरो अवर पर लेवी के प्रश्न की चर्चा चल रही थी तो एक तरफ तो लेवी का विरोध करें, एक तरफ हम किसानों से यह कहें कि तुम इस कीमत पर अनाज मत दो और दूसरी तरफ आकर यह कहें मंहगाई अधिक बढ़ रही है तो न्यायोचित नहीं लगता आज हमने लेवी का जो टार्गेट रखा था, जो लेवी का लक्ष्य तय किया था वह मोटे अनाज के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी तरफ हमारी सरकार के आंकड़े हैं 18 लाख टन गेहूं राजस्थान में पैदा हुआ है। 27–28 लाख टन मोटा अनाज पैदा हुआ है। आखिर जो स्थितियां हैं और वह अनाज पैदा होकर तीन लाख टन का टारगेट पूरा नहीं कर पाये इसके क्या कारण हैं? हमारी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त करना होगा। मुख्य मंत्री महोदय स्वयं ही बैठकर, जो निकम्मे लोग हैं, उनका ट्रान्सफर करें। फलां व्यापारी के यहां छापा मारा और 60 लाख स्मगलिंग का चावल पकड़ा जाय तो मेरा सिर झुक जाता है कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी जिसको जिम्मेदारी डाली है वह वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं कर सके।

जब हमने गेहूं का व्यापार हाथ में लिया तो यह लक्ष्य रखा था कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, शहर वाला व्यक्ति है, प्रत्येक को नियमित दर से जितना आवश्यक है, गेहूं मुहैय्या करवाये। मैं यह मानकर चलता हूं खाद्यान्न के बारे में कि केवल हम भारत सरकार पर निर्भर होकर चलें तो काम नहीं चलने वाला है पहले हमारी स्थिति यह थी कि 60 हजार टन खाद्यान्न भारत सरकार देती थी लेकिन अब कम होता होता 15 हजार टन पर पहुंच गया। कहने को कह देते हैं तीन किलो राशन कम है और यह सही भी है इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन आयेगा कहां से? एक तरफ तो विरोध

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
करें और गांव गांव में इस अनाज को छिपाने में मदद करें · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिलकुल गलत है। कांग्रेस के लोगों ने अनाज ले लिया, वितरण ठीक प्रकार कराया नहीं। विरोधी दल का काम तो विरोध करना है। लोगों को भर पेट भोजन मुहैय्या नहीं करा सके तो आप और क्या करा सकेंगे ? आपका राष्ट्रीयकरण गलत हुआ है इसलिये आपकी राष्ट्रीयकरण की जो नीति है उसको वापिस लें। कांग्रेस की उन नीतियों का विरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो सरकार भर पेट भोजन न दे सके; वितरण की प्रणाली को ठीक नहीं कर सके उस सरकार की नीतियां बिलकुल गलत हैं और इसी कारण इसका राष्ट्रीयकरण वापिस ले · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर
(शोरगुल अश्रव्य)

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य विरोधी दल के सदस्य हैं और उनकी भावना है कि विरोधी दल के सदस्य के नाते विरोध करना है तो यह अच्छी बात नहीं है · · ·

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राष्ट्रीयकरण करके स्वयं की कब्र खुदवाई है। स्वयं अपनी कमी के कारण गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दें · · ·

(व्यवस्था-सूचक-अनवरत घण्टी)

मैं समझता हूं इन लोगों ने जो नारा दिया है, हमने उसका विरोध किया इसमें जन संघ की पार्टी ने और स्वतन्त्र पार्टी ने ही कहा कि राजस्थान बन्द नहीं होना चाहिये बाकी सब लोगों ने कहा कि बन्द को सफल बनाना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं जो गलत काम करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं। विरोध की कोई भावना नहीं है, विरोधी दल के सदस्य अवश्य हैं · · ·

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

10 किलो की मांग करें, उदयपुर की कांग्रेस मांग करे, मिट्टी के तेल की मांग करें · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज सारी जनता अभाव से और मंहगाई से त्रस्त है, कोई दूध पीते बछड़े की तरह नहीं है जो कुछ किसी ने कह दिया और वही कर लिया। हमारी अपनी भावनायें हैं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।
(मा. सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, दूध पीते बछड़े शब्द संसदीय तो है लेकिन रेकार्ड पर रखने योग्य नहीं है अत: इसे रेकार्ड से हटा दिया जाय।

Page No 64

(64)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जो निवेदन कर रहा था· · ·माननीय भार्गव साहब ने ये सब भाषण आसीन्द में भी दिये थे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आसीन्द में नहीं गया । कौन कहता है कि मैं गया ? मैं गया होता तो गिरधारीलाल जी व्यास की जमानत जप्त कराता । मैं भरतपुर गया था और वहां से रामकिशन जी को जिताकर आपकी छाती पर यहां लाया हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस असत्य का मैं कुछ नहीं कर सकता । यह कहते हैं कि रामकिशन जी को यह जिताकर लाये और वहां पर जनसंघ की जमानत जप्त करा ली । ऐसी पार्टी मैंने कहीं नहीं देखी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (व्यवधान होने के कारण अश्रव्य)

जोशी जी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि यह दिल्ली में कहकर आये थे कि मैं अगर कांग्रेस के उम्मीदवार हरीसिंह को जिताकर नहीं लाया तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामकिशन जी से ही स्पष्टीकरण करा लीजिए कि क्या उनको भार्गव साहब जिताकर लाये हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमने जनसंघ के केन्डीडेट को रात को 11 बजे विथड्रा कराया और इनको जिताकर लाये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज····

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब कभी भी कोई भी माननीय सदस्य डिबेट में पार्ट टेक करना चाहता है तो वह आसन को सम्बोधित करता है और आसन से नजर से नजर और आंख से आंख मिलाता है ।····

श्री निरंजननाथ आचार्य : आंख से आंख नहीं मिलाता है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आंख से आंख मिलाना संसदीय शब्द नहीं है ।

श्री रामकिशन : माननीय राजस्व मन्त्री जी आंख से आंख तो एक बार ही मिलती है इससे ज्यादा नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और इस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है इसके अन्दर डिस्टर्ब करेंगे तो सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचेगी । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य को आदेश दें कि वह जो कुछ भी कहें वह आसन को सम्बोधित करते हुए ही कहें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या वह हमारे लिए कुछ कहेंगे तो उसका खण्डन नहीं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप (श्री श्रीराम गोटेवाला) प्रारम्भ कीजिए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंहगाई के बारे में चर्चा कर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रहा था और मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं, वितरण की प्रणाली में कोई कमी भी है और मैं यह स्वीकार भी करता हूं और मैंने माना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने दिलचस्पी लेकर तस्करी करने वाले व्यक्ति के ऊपर और जिसने 67 लाख रुपये की स्मगलिंग की है उसके खिलाफ एक्शन करवाया है। अब कुछ लोगों के निहित स्वार्थों पर चोट पहुंचती है और वह बोखलाते हैं तो मैं उनकी चिन्ता करके नहीं चलता हूं। मैं तो एक ही चिन्ता करके चलता हूं जनता के बारे में। वहां की जनता बहुत सतर्क है। जहां पर उत्तर प्रदेश को ही लीजिए उनके जनसंघियों के सारे मनसूबों पर पानी फिर गया और वह कहते थे कि फलां नेता को मुख्य मंत्री बनायें और उनको लिये लिये फिर रहे थे---जनता ने उनको ठुकरा दिया और उनको कह दिया कि तुम तो इस काबिल नहीं हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस ने दादागीरी के आधार पर चुनाव जीता है।....

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये, माननीय सदस्य।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार बाधा पहुंचा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है और सुबह तो इसलिए क्षमा कर दिया था कि इन्होंने क्षमा याचना कर ली थी। वहां जनसंघ के कोई और दूसरे बड़े नेता तो वहां गये नहीं थे और यह यू. पी. गये और वहां से हारकर आये और वहां पर इन्होंने कैसे भाषण दिये होंगे और शुरू शुरू में कैसी परिस्थितियां थीं तो बेकाबू होकर भाषण दिये होंगे और जो परिणाम सामने आये हैं उनका यह नतीजा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यू. पी. में लोकतन्त्र की हत्या करके जीते हैं और दादागीरी के आधार पर चुनाव जीते हैं। अगर आप उससे गौरवान्वित होते होंगे तो दूसरी बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप थोड़ा काबू में रहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलती थोड़ी में भी अपनी मान लेता हूं क्योंकि यह स्वयं अपना गरुड़ पुराण बांच चुके थे........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो मैंने आपका बांचा था। अन्तर आत्मा की आवाज मर गयी उसको जगाने के लिये गरुड़ पुराण बांचा है।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से भी कि वह स्वयं ही उलझ रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार की नीतियों का समर्थन करना है या उनका विवरण देना है तो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बता दें। इस प्रकार से यहां यह बातें कहने से क्या लाभ ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर जिन-जिन चीजों की कमियां हैं और जिसके कारण से परेशानियां हैं और मिट्टी के तेल की बात है, डीजल आयल की बात है, क्रूड आइल की बात है, इन सब बातों की बात है तो मैं यह निवेदन करूंगा विरोधी दल के साथियों से और सम्माननीय सदस्यों से कि उन्हें इसको महसूस करना चाहिये कि यह केवल हमारे देश का ही संकट नहीं है। आज जापान जैसे देश के लिए जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश के लिये जहां कि हफ्ते में तीन दिन काम हो रहा है उनकी हालत को भी तेल की राजनीति ने भयंकर रूप से अस्तव्यस्त कर दिया है। आज हमारा मिलजुल कर प्रयत्न होना चाहिये केवलमात्र यह कहकर दूर हो जायें कि सरकार की जिम्मेदारी है और स्वयं सरकार को यह समस्या हल करनी है तो मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क को बनाने के लिए भाषणों की आवश्यकता नहीं होती है। मुल्क को बनाने के लिए मेहनत करनी होती है और दूध पीने वाले मजनूं केवलमात्र जनता को उकसाने की स्थिति में आते हैं। उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुल्क हमेशा खून देने से बनता है और खून देने की तैयारी सबको करनी होगी और संकट को मिल जुल कर दूर करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की स्थिति के बारे में और ज्यादा विषद रूप से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सब जानते हैं कि दो वर्षों तक हमारे यहां भयंकर अकाल था, सारे देश के दोतिहाई भाग में भयंकर सूखा पड़ा और राजस्थान के 24 जिलों के अन्दर अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया, राजस्थान के 14 जिलों में बाढ़ से भयंकर नुकसान हुआ और उसके साथ ही बंगला देश का जो निर्माण हुआ और हमारे भाइयों के लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ी और सारे हालत के अन्दर भी चुनौती देकर यह कहना चाहता हूं कि बड़ी तारीफ करते होंगे दूसरे विदेशी प्रशासन की क्योंकि इनको प्रशासन का मौका कभी मिला नहीं और जनता कभी देगी भी नहीं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सन् 43 के अन्दर बंगाल के अन्दर अकाल पड़ा और लोग भूख से छटपटा कर 35 लाख आदमी सड़कों पर मर गए। कहां थे यह उस समय ?

आज हम चुनौती देकर चलना चाहते हैं कि चाहे कितनी महंगाई रही हो, चाहे कितनी ही अभाव की स्थिति रही हो परेशानियां आई हों लेकिन एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया गया है और इस बात की भी व्यवस्था की · · ·

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। आप तो पड़ौसी भूखों मर रहे होंगे। बंगला देश की मुक्ति के लिए हम सब पहले आगे आये थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि वर्तमान में जो मंहगाई की स्थितियां हैं, उन सारी स्थितियों को दूर करने की बात को आज मतदाता ने भी महसूस किया है कि केवल मात्र कांग्रेस ही एक ऐसा दल है उसको पूरा करके चलता है। इस बात को

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घोर असत्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इस बात को भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जो हालात पैदा हुए और हमने एक रोज समाचार पत्रों में पढ़ा और सुना कि यहां पर सवा दो सौ रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव हो गया। सरकार ने तुरन्त एक्शन लिया और इस बात की खुशी है कि आज बाजार के अन्दर भाव 170) रु. 160)रु. के आसपास है। फिर भी आज मैं यह मांग करना चाहूंगा और हमारे खाद्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर इस वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए और इस व्यवस्था को दृढ़ हाथों के अन्दर देने के लिए सक्रिय कदम उठावें ताकि यह निहित स्वार्थी लोग जिनके स्वार्थों को तोड़ दिया गया है, जो निहित स्वार्थी लोग इसमें शामिल थे और रुपया ले लेते थे और सारे देश में गड़बड़ियां पैदा करते थे, उस सारी गड़बड़ियों को तोड़ दिया गया है फिर मैं खाद्य मंत्रीजी का आह्वान करना चाहता हूं कि इसमें दो खास मुद्दे इसके अन्दर मेरे मत मे हैं। एक तरफ अनाज के सरप्लस के भण्डार की व्यवस्था करना और दूसरी तरफ वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए मोहल्ला कमेटियां और ग्रामीण कमेटियों का गठन किया जाना, उनको मजबूत किया जाना जिससे जन आन्दोलन इकट्ठा कर सकें, साथ ही इसको चलाने वाले इस उद्देश्य के प्रति कमिटेड लोग हों। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे सामने जो महंगाई की स्थिति है, आज उस सारी स्थिति से लड़ने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के इस सारी स्थिति का मुकाबला करें।...

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। गवर्नर साहब ने भी अपने भाषण में कहा है और आप भी कह रहे हैं कि महंगाई सारी दुनिया में बढ़ी है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप यू. एन. ओ. के दो साल के स्टेटिस्टिक मंगवा लें जिससे मालूम हो सके कि हमारे यहां पर किस दर से महंगाई बढ़ी है और दुनिया में किस दर से महंगाई बढ़ी है। दुनिया में कितने देश हैं और वहां पर कितनी कीमतें बढ़ी हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर कितनी कीमतें बढ़ी हैं। मैं इसके लिए खास तौर से कृषि मंत्रीजी के घर पर भी गया...

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें, आपको मौका मिलेगा।

श्री रामकिशन : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि आप यह जानकारी मंगवा लें ताकि जब मैं बोलूं तो मुझे मदद मिल सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो मैं निवेदन कर रहा था महंगाई की स्थिति के सम्बन्ध में और इससे पहले मैंने जिक्र किया अकाल की स्थिति का। मैंने निवेदन किया दो मार्च के राजस्थान बन्द के सम्बन्ध में और दो मार्च को राजस्थान के युवकों का जो सहयोग रहा है, जो विद्यार्थियों का सहयोग रहा है, हमारे मजदूर वर्ग का सहयोग रहा है और सारे राजस्थान की जनता का सहयोग रहा है, उसके लिए मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस यूथ बोर्ड की स्थापना की दो साल पहले घोषणा की गई थी,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उस यूथ बोर्ड की राजस्थान में स्थापना की जाय ताकि युवकों की शक्ति को सही दिशा की ओर मोड़ा जा सके। आज राजस्थान के युवकों ने, जयपुर के युवकों ने हिंसात्मक कार्यवाहियों में विश्वास रखने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा दिया है। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इस देश के युवकों की शक्ति को सही दिशा की ओर मोड़ा जाय और इसके लिए यूथ बोर्ड की स्थापना की जाय जिसके लिए कि इस सदन में दो साल पहले घोषणा की गई थी और उस घोषणा की क्रियान्विती के लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यहां पर युवक बोर्ड बनाने की तुरन्त ही घोषणा करें।

अकाल से लड़ने के बारे में और राजस्थान को विकसित करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है। राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर विद्युत के सम्बन्ध में लक्ष्य रखा था उन लक्ष्यों से भी अधिक पांच सौ गांवों में आज बिजली पहुंचाई गई है। आज राजस्थान के लगभग साठ हजार कुओं को बिजली दी जाती है लेकिन इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के हर गांव का विद्युतीकरण हो। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के हर किसान को, जो मेहनत करता है और मेहनत करके अपनी रोजी-रोटी कमाता है उसको सरकार बिजली मुहैय्या करावे। यह एक बहुत बड़ी कल्पना है लेकिन इसको पांचवीं योजना के अन्त तक भी पूरा नहीं कर पायेंगे। लेकिन मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के द्वारा जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम जो एक्जीक्यूट होती है, उन सारी स्कीमों के अन्दर इस बात को देखें कि राजस्थान का हिस्सा उसमें कितना मिल पा रहा है। जब हरियाणा इस बात की व्यवस्था कर सकता है, वह हर गांव में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता है और जब वहां के अधिकारियों ने वहां के मुख्य मन्त्रीजी को कहा कि हमारे पास पोल्स मौजूद नहीं हैं तो उन्होंने उनको कह दिया कि आप बल्लियों पर बिजली पहुंचा दो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इस बात को देखें और अगर किसी कारणवश हमारी राजस्थान सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके कि सारे राजस्थान के गांव 2 में बिजली नहीं पहुंचा सके, अभी यह करना सम्भव नहीं हो तो कम से कम जो राजस्थान के घने बसे हुए एरिया हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहां हम विद्युत् पहुंचा कर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा कर सकते हैं वहां तो हम विद्युत् पहुंचाने की व्यवस्था कर दें और इसके लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनायें और इसको बना कर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि आज बिजली हमारे विकास का मुख्य आधार है और सौभाग्य से उत्तर भारत के सारे राज्यों में राजस्थान ही केवल मात्र एक ऐसा राज्य है जो इस विद्युत् संकट का सामना नहीं कर रहा है। यह बात सही है कि पिछले कुछ महीनों में पहले राजस्थान को विद्युत् संकट का सामना करना पड़ा और उस विद्युत् संकट की वजह से हमारे यहां की सीमेंट फैक्ट्रियां बन्द रहीं और हमारे यहां के कल कारखाने बन्द हुए। लोगों के सामने रोजगार की समस्या सामने आई लेकिन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हमारा सौभाग्य है और मैं इसके लिए हमारी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि उसने बडी शीघ्रता से इसकी व्यवस्था की। हमारे जितने जेनेरेटर थे उनको चालू किया गया। अणु संयंत्र तत्परता से चालू किया गया और इससे हमें बिजली मिलने में सुधार हुआ। फिर मैं इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि वह और तत्परता से कार्य करें।

अब मैं सीमेंट के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा। सीमेंट के चार बड़े कारखाने राजस्थान में चालू हैं। पांचवें के बारे में सूचना दी गई है कि उसका कारखाना बहुत जल्दी चालू होने वाला है निम्बाहेड़ा में। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सीमेंट नियंत्रित दर पर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में 20) रु. बोरी में सीमेंट मिलती है और राजस्थान की राजधानी के अन्दर जितनी जचे उतनी बोरियां ले सकते हैं। इस व्यवस्था के अन्दर जरूर कहीं न कहीं त्रुटि है जहां तक मैं समझता हूं इसके अन्दर जो पचास प्रतिशत फ्री सैल का अधिकार मिला हुआ है वह इसकी सबसे बड़ी खराबी है जिसकी वजह से इस सीमेंट का कृत्रिम अभाव हमारे देश के अन्दर है। सीमेंट के लगभग 80 प्रतिशित उपभोक्ता राज्य सरकार और राज्य सरकार के विभाग हैं बाकी 20 प्रतिशत में यहां की सारी जनता आती है। आज हमारे यहां पर निर्माण के हजारों काम चल रहे हैं। हम हाऊसिंग बोर्ड के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भवन बनाना चाहते हैं और राज्यपाल महोदय ने भी इस बारे में अपने भाषण में जिक्र किया है कि इतने मकान बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता सीमेंट की है जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम सीमेंट की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें हमारी कमजोरी है। मैं यह समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी कमी पचास प्रतिशत फ्री सेल की है, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस ओर कदम उठावें। मुझे इस बात की जानकारी है कि सीमेंट फैक्ट्रियां वहीं पर पांच रुपये बोरी लेकर सीमेंट के हजारों ट्रक पार करवा देते हैं। प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार यहां से चावल के स्मगलिंग का पता लगाया है उसी प्रकार इस ओर भी व्यवस्था करें। आज सीमेंट आम लोगों को नहीं मिल पाती है और दूसरे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और उससे मुनाफाखोर नाजायज लाभ उठाने की स्थिति में हैं, उस सब को रोका जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि सीमेंट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यहां तक बेईमानी हो रही है कि सीमेंट के बोरे पर जो वजन लिखा रहता है 48 Kg. उसकी जगह वास्तव में 36 Kg. सीमेंट ही होती है। इसके बारे में पहले भी सदन में मामला लाया गया था और पिछली बार जो गृह राज्य मंत्री थी श्रीमती कमला बेनीवाल, उनसे अनुरोध किया गया था कि आप इसको चैक करवायें कि 48 के. जी. की बजाय 36 के. जी. सीमेंट ही आता है, इससे बड़ा धोखा आम जनता के साथ में नहीं हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो श्री रामजी घोटालेवाला है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

आपके नाम पर घोटाले होते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खैर कोई बात नहीं···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गोटेवाले नहीं, यह तो घोटालेवाले हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मान लेता हूं। सबसे बड़ा घोटाला तो यही हो गया कि आपके नेता को मैंने 18 हजार वोटों से हरा दिया। आप चिंता न करें···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कौन से नेता को हरा दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अनुरोध कर रहा था कि सीमेंट की एक बोरी पर पांच रुपये लेकर वहां से पार करा दिया जाता है····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पैसा मिल जाता है तो चुप हो जाते है। एक सत्र में मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं और फिर बोलने लग जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आप पर नियंत्रण रखें। कम से कम अपने जैसे स्तर का किसी भी सदस्य को नहीं समझें। यह कहना कि पैसा मिल जाता है इसलिए चुप हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उन्होंने स्वयं ने किया होगा। उनके खुद की सोचने की बात हो सकती है कि उनका स्तर क्या है और किस ढंग से इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों को समझते हैं। हर बात के अन्दर बारबार उठ जाना और बीच में बोलने लग जाना उनके लिए अपने आप में बुद्धिमानी का द्योतक हो सकता है लेकिन वास्तव में यह बुद्धिमानी नहीं है इस प्रकार अपने स्तर के अनुसार दूसरे माननीय सदस्यों के बारे में यह कहना कि पैसा मिल जाता है तो चुप हो जाते हैं, मैं इस पर घोर आपत्ति पेश करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और इस बात को कहना चाहता हूं कि आप उनकी जबान पर संयम रखावें।···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही।····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं विद्युतीकरण के बारे में बात कह रहा था। इस बारे में सबसे बड़ी डिफिकल्टी उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले के किसानों को, जयपुर जिले के किसानों को और अन्य किसानों को जो आज सबसे बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वह यह कि बिजली उनको पर्याप्त मात्रा में और समय पर नहीं मिलती है। यह बिजली उनको रात को दी जाती है। किसान के पास चरस नहीं है, बैल नहीं है, हल नहीं है। यह सब उसने बेच दिया इसलिए आज किसान के सामने यह परेशानी आ गई कि वह कुए से सिंचाई कैसे करे। मैं विद्युत् मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जहां एक ओर तेजी से हम इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे किसान को समय पर बिजली मिल सके।

इसके साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय ने जो डेयरी योजना के बारे में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और यह कहा है कि राजस्थान में पांच बड़े शहरों के अन्दर डेयरी का विकास किया जाएगा और जयपुर की डेयरी के डेवलपमेन्ट के लिए जैसा कि कृषि मंत्री महोदय ने कहा है लगभग दो करोड़ रुपया और लगाया जाएगा, तो मैं उनको मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के पशुधन के विकास के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से वे काम कर रहे हैं, परन्तु साथ ही एक सुझाव दूंगा कि इसके विकास के लिए एक डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड या अलग से कोई संस्था बनावें जिससे रात-दिन की प्रशासनिक काम की वजह से, प्रशासनिक आज्ञा की वजह से जो विलम्ब हो जाता है, वह न हो, और जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकें। जहां एक तरफ बिजली की सुविधा है, वहां राजस्थान में ऐसे इलाके हैं जहां खेती नहीं कर सकते हैं जहां कि लाखों लोग केवल मात्र पशुधन पर निर्भर रहते हैं। मैं कल सम्माननीय सदस्य पूनमचन्द जी विश्नोई के यहां बैठा था। वहां पर उनके इलाके के किसान आये हुए थे और मैंने उनसे इस बारे में जानकारी ली। उनका कहना था कि उनका जो कुछ धन है वह केवल मात्र पशुधन है और उसी के आधार पर वे जिन्दा हैं। जहां खेती नहीं होती है उस इन्सान की शक्ल, तन्दरुस्ती देखें तो हैरत में आ जावें। इस प्रकार के लोग वहां पर बसते हैं जहां पर कि बरसात 6।6 साल तक नहीं होती है। उस धरती पर ऐसे बहादुर लोग पैदा होते हैं। डेयरी और पशुधन के विकास के माध्यम से हम उन लोगों की मदद करेंगे और इसे मद्देनजर रखते हुए चलते हैं तो हमारे राजस्थान के विकास में दो चरण आगे बढ़ते हैं। डेयरी के डेवलपमेन्ट के बारे में जो कहा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने यह सही कदम उठाया है। अब राज्य सरकार डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड नामक कोई ऐसी संस्था बनावें जिससे कि विकास का काम आगे बढ़ सके।

उद्योगों के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है। उन्होंने यह बताया है कि नये उद्योग लगाने के लिये 21 लाइसेन्स लेटर्स आफ इन्टेन्ट सीमेन्ट, कपड़े की मिल, इन्जीनियरिंग सामान, कास्टिक सोडा आदि राजस्थान में लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। यह खुशी की बात है। हमारा राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिजली में हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं फिर भी मैं यह मान कर चलता हूं और मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि राजस्थान का औद्योगीकरण तेजी से किया जाना चाहिए। आज सारे देश में राजस्थान औद्योगीकरण की दृष्टि से नीचे है। जो लोग अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि से जाकर दूसरे प्रदेशों में उद्योग स्थापित करते हैं और उन्हें सफलता के साथ चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं तो वे लोग राजस्थान

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के उद्योगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जब बंगाल में किसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी तो वे लोग इधर भी आये थे परन्तु खेद का विषय है कि राज्य का उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार की मशीनरी उनको यहां उद्योग धन्धे लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकी। मुझे महाराष्ट्र गुजरात के बारे में जानकारी है। वहां पर एक पैकेज प्रोग्राम है उसके अनुसार सात दिन के अन्दर सारी सुविधाएं इन्डस्ट्री लगाने वालों को उपलब्ध हो जाती हैं। राजस्थान में इसका अभाव है। इस अभिभाषण में 21 लाइसेन्स के बारे में कहा गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन 21 लाइसेन्स में कितने लाइसेन्स एक्जीक्यूट आप करवा रहे हैं। हमारे जो नये राज्य मंत्री उद्योग विभाग के हैं, श्री शक्तावत जो मैंने देखा है कि वे इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वे लगे हुए हैं परन्तु यह उलझा हुआ मामला है। 15 साल पहले जितना रॉ मेटेरियल था, जितनी संख्या में मिलता था आज भी वह रॉ मेटेरियल हमारे वहां पर उसी संख्या में मिलता है। जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार यह बात सत्य है कि देश के अन्दर के केवल एक प्रान्त को छोड़कर राजस्थान का इस बारे में दूसरा नम्बर है बाकी सब में नीचे हैं जितने औद्योगिक घराने राजस्थान ने पैदा किये वे सब दूसरे प्रान्तों में जाकर उद्योगों को विकसित कर रहे हैं। और राजस्थान उनसे वंचित है। राजस्थान में पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में कोई बड़ा उद्योग नहीं हैं। सरकारी मशीनरी इन सारी बातों पर चुप है। यह देख कर मुझे परेशानी पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि उद्योग धन्धे के लगाने का काम ठीक ढंग से चले, मेरी यह तड़प इस दृष्टि से है कि लाखों लोगों को रोजगार मिले और उनको रोजगार मिलने का केवल मात्र एक ही साधन हो सकता है और वह पैदा कर सकते हैं छोटे-छोटे उद्योगों को लगा कर।

मैंने कोयले की स्थिति के बारे में इस सदन में एक प्रश्न उठाया था। मैंने उसके बारे में मांग की थी। राजस्थान का कोयला हरियाणा में जाकर बिक गया और राजस्थान उससे वंचित रह गया। रा-मेटेरियल के बारे में कई बार प्रश्न उठाया है। सारा कोयला जिस पर इन्डस्ट्रीज बेस करती है, वह हमें नहीं मिले तो मैं यह मानकर चलता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी को गति दी जाए। जिस प्रकार का संगठन महाराष्ट्र में कर रखा है, गुजरात में रखा है, उसी प्रकार का संगठन यहां पर किया जाए। एक संगठन यहां पर बनाया जाए जो कि उद्योग धन्धे लगाने वाले लोगों को जो असुविधा होती है। वह दूर हो सके। आज लोगों को दस-दस महीने तक लोन नहीं मिलता है। जमीन लेने में उनको दिक्कत होती है। इन लोगों ने हजारों रुपयों का निर्माण झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में करवाया है, परन्तु उनमें से कई लोगों के इन्डस्ट्रियल प्लान्ट कैन्सिल कर दिए हैं, और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज वहां पर क्या स्थिति है यह कहते हुए मुझे शर्म महसूस होती है

(श्री श्रीरामगोटे वाला)

कि इन उद्योगों में से 30 प्रतिशत उद्योग ही चालू हैं और बाकी के बन्द हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस दिशा के अन्दर सक्रिय रूप से प्रयास करने चाहिए ताकि आम जनता का स्तर हम ऊंचा कर सकें और लोगों को रोजगार के साधन मुहैय्या कर सकें।

मिनरल डवलपमेंट के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। राजस्थान मिनरल्स के बारे में भाग्यशाली है। यहां की धरती में आठ हजार करोड़ के मिनरल्स हैं। यह खुशी की बात है कि भारत सरकार ने पांचवीं योजना के अन्दर यहां पर एक खाद का कारखाना लगाने के लिए प्रथम चरण के रूप में काम करने की बात कही है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है। इस बात के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा–राजस्थान के अन्दर जो खनिज उपलब्ध हैं और उसमें जो सबसे बड़ा खनिज उपलब्ध है, उसमें राक फास्फेट का प्रथम स्थान है। मैं इस बात के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीकानेर जिप्सम लि. जिसमें राज्य सरकार के पहले 50 परसेन्ट शेयर थे उनको बढ़ा कर 90 परसेन्ट शेयर कर दिए हैं। मैं इस बात के लिए राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान की यह कामधेनु है जिससे लगभग 12 करोड़ की सालाना आमदनी हो सकती है। इस काम को राज्य सरकार ने अब अपने हाथ में ले लिया तो इस बात के लिए राज्य सरकार के हम शुक्र गुजार हैं। मैं इसके साथ यहां के माइन्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस काम में आने वाली भारी मशीनरी को उन्होंने खरीद लिया है और आशा करता हूं कि दो करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट करने के बाद राजस्थान को तेजी से आगे बढ़ाने, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह राक फास्फेट बहुत बड़ा काम करेगा। राजस्थान में पन्ने की खान है, जो कहीं नहीं है। गारनेट की खान है। सिलीका सैण्ड और ताम्बे की खान है। इन सब के बारे में 8 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की भूमि से इन खानों से उपलब्ध हो सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने इनको अलग डेवलप्मेन्ट करने के लिए एक कार्पोरेशन की बात कही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में सक्रियता बरती जाये। कहीं यह घोषणा घोषणा ही न रह जाये। ताकि संकट जो कहा गया है वह 100 करोड़ रुपये जो पांचवीं पांच साला योजना में संग्रह करने के लिए जो कहा गया है। वह उपलब्ध कर लेंगे तो हमारी योजना 6 करोड़ की स्वीकृत हो जायेगी। जो राजस्थान के बारे में हमारा लक्ष्य है, उनको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो घोषणा की है, उसके बारे में एक बोर्ड का तुरन्त गठन करके सक्रिय रूप से कार्यवाही करने की सोचें। रॉक फास्फेट और सल्फर दोनों मिलाकर खाद का कारखाना लगाने की जो बात है वह कोई नयी बात नहीं है। इसके बारे में हम पिछले 20 वर्षों से निरन्तर सुनते आ रहे हैं। खाद का कारखाना कहां लगेगा ? यह बात टेक्निकल एक्सपर्ट तय करें। जो कैनाल एरियाज हैं, उनको खाद की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे चम्बल से सिंचित होती हो। चाहे गंग कैनाल से सिंचित होती हो।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
खाद की सभी को बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आज खाद के बारे में बड़ी परेशानी है। लेकिन कोटा में यूरिया खाद बनाने के बारे में कारखाना लगाने की बात कही है राज्यपाल महोदय ने पंच साला योजना के अन्तर्गत अग्रिम कार्य करने के बारे में कहा गया है। इसके बारे में सरकार सजग रहेगी। ताकि पिछले 20 वर्षों की तरह से नहीं हो जाये और यह कारखाना भी वैसे ही रह जाये। तो मैं अन्त में यह अनुरोध करता हूं कि खाद के कारखाने के बारे में सक्रियता दिखाई जाये।

रॉक फासफेट और ये सारी खानें आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनेंगी। दूसरे यह कार्य हम क्रियान्वित करेंगे तो हजारों इन्सानों को रोजगार दे सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत हो गया अब तो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्त में मैं यह कहता हुआ वित्त मंत्रीजी का जो लक्ष्य था, जो पिछला सारा टारगेट था, वह पूरा हुआ है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के व्यापारियों पर किसी प्रकार का आतंक न हो। जो स्थितियां हमारे यहां चल रही हैं, उनमें सुधार हुआ है। फिर भी थोड़े और सुधार की आवश्यकता है। 48 करोड़ की आमदनी हमको बिक्री कर के द्वारा हो रही है। मान लिया जाये कि आप नया टैक्स लगाते हैं और इस समय मंहगाई की स्थिति हैं ऐसी स्थिति में लोग विरोध अवश्य करेंगे। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वह पहले बिक्री कर सरलीकरण समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके अलावा यहां जो लूप होल्स हैं। हमारे यहां जो बड़े बड़े कारखाने लगे हुये हैं, जिनके बारे में इस सदन में कई बार मांग की है। ये हम को कुछ भी तो नहीं देते हैं। हमारे यहां के आदमियों को क्लर्क और चपरासी की नौकरी तक नहीं देते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वित्तमन्त्री जी की नजर छोटे लोगों के बजाय उन लोगों की ओर जानी चाहिए। जन साधारण पर बोझ न डालकर हम बड़े लोगों पर बोझ डालें। उन पर बोझ डालकर हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं।

शिक्षा के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय, ने प्रकाश डाला है। मैं इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। गत वर्ष लगभग एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले गये। 1500 प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया। लेकिन सब मिलाकर यह शिक्षित लोगों का कुल 19% ही आता है। सन् 57 में यह 8 या साढे 8% आता है। सारे देश का प्रतिशत 30% आता है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, शिक्षा के लिए जो कहा गया है, उसके लिए अलग से प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था करें। इसके अलावा जयपुर की आज जो सबसे बड़ी मांग है।....

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

Page No 75

(75)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां पर एक कालेज की स्थापना की जानी चाहिए। वह कालेज आर्ट्स सब्जेक्ट का कालेज नहीं हो। मैं यह बात निश्चित रूप से कहूंगा कि यहां पर योग्य व्यक्तियों का अभाव है। दूसरे सब्जेक्ट के मिल जायेंगे लेकिन कामर्स के लोगों का अभाव होगा। मैं मांग करता हूं कि जयपुर में एक कालेज की स्थापना की जाये। यह घोषणा की जानी चाहिए ताकि हमारे जो नोजवान छात्र हैं, उनको जो प्रतिवर्ष दिक्कत आती है, वह नहीं आये और यहां की शिक्षा का क्रम प्रतिवर्ष बढ़ता रहे।

श्री मीठालाल : जयपुर में नहीं होना चाहिए। जयपुर से बाहर देहात में होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में ही होना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दौसा में तो कालेज है। खैर, हम लड़ें नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने दवाई के बारे में कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सत्य बोलेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहूंगा कि जो समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में केवल गड़बड़ी के आधार पर जिन्दा रहना चाहते हैं। हो सकता है कि जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात सही भी हो सकती है। मैं उम्मीद करके चल रहा था कि राज्य सरकार ने हौंसले से कदम उठाया है। मैं तो विरोधी दल के सम्माननीय बुजुर्गों से यह उम्मीद करके चलता हूं कि इस बात का समर्थन करके, इस बात के अन्दर मदद करके जो इस तरह का धन्धा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कराई जाय। जहां तक टेक्निकल ग्राउन्ड की बात है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो गड़बड़ी करते हैं उनको पकड़िये। हमने तो यह कहा है कि दुकानें बन्द हैं, लोग परेशान हैं। यह कहां कहा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही मत करिये। हमने उनकी वकालत नहीं की है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गलत व्यक्तियों की आप वकालत करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दुकानदार दुखी हैं, जनता दुखी है। इस ओर हमने ध्यान दिलाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने गेहूं वहां डाला है, वह उगना शुरू हो गया है। पहले आपने गेहूं दबाया हुआ है, अब यहां और बिखेर दिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दबाया हुआ है गंगानगर के व्यापारियों ने। वहां बिखरा हुआ है, हमारे यहां नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा था दवाइयों के बारे में। मैं स्वयं कैमिस्ट एसोसियेशन के अध्यक्ष और उनके दस पन्द्रह व्यापारियों को साथ लेकर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था। मैंने अनुरोध किया था कि जिन लोगों के टैक्निकल ग्राउन्ड पर लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं या जिनको शो कॉज नोटिस केवल मात्र टैक्निकल ग्राउन्ड पर दिये गये हैं, उनके खिलाफ महरबानी करके आप कदम नहीं उठायें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात का भरोसा उन सब लोगों के बीच में दिलाया था और यह कहा था कि टैक्निकल आधार पर किसी को पनिशमेन्ट मिला है तो उसको विथड्रा कर लेंगे। लेकिन फर्जी बिल बनाने में जो माहिर लोग हैं, जो ऐसा धन्धा करते हैं, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमको राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम एक बार तो इस प्रकार का कदम उठाया। मैं निश्चित रूप से, दावे के साथ यह कह सकता हूं कि पचास हजार रुपये की एक महीने में बचत राज्य सरकार को उसके इस एक्शन से हुई है। मैं इसके साथ ही यह कह कर चलता हूं कि जो निर्देश हैं, जैसे किसी ने लाइसेन्स बाहर नहीं टांगा है, या जिनके द्वारा छोटी मोटी त्रुटियां रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो उस एक्शन को विथड्रा करना चाहिए। लेकिन जो बदमाशी करते हैं, मिट्टी मिली हुई गोली बेचते हैं, इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनका कोई समर्थन करता है तो मैं यह मान कर चलता हूं कि वह लोग इस सदन के अन्दर अच्छे ढंग की बात पेश नहीं करते हैं। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन केमिस्टों को माननीय मंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया कि टैक्निकल ग्राउन्ड पर हम किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग मिलावट करते हैं, फर्जी बिल बनाते हैं, जिनके स्टॉक में है कि तीन सौ रुपये की दवा खरीदी, लेकिन छः सौ रुपये की दवा बेच दी-उनको यह बताना पड़ेगा कि यह तीन सौ रुपये की दवा कहां से आयी। जो फर्जी बिल का धन्धा है, यह बात सही है कि उसमें अकेला दुकानदार शामिल नहीं है, यह बात सही है कि उसमें डाक्टर शामिल होता है, यह बात सही है कि उसके अन्दर कर्मचारी शामिल होता है, लेकिन आखिर एक स्टेज पर तो रोकने दें। एक तरफ इस सदन के अन्दर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है, यहां कहते रहते हैं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, यह सरकार भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई कदम उठाया जाय तो तिलमिला जाते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको और हमको मिल कर इस कदम का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह कदम देश की तरक्की के लिए उठाया है, आम जनता की तरक्की के लिए उठाया है। मैं अनुरोध करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दवा के बारे में जो बहुत बड़ी चर्चा हुई, और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है, इसके बारे में मैंने अपनी बात रख दी है। मैं अनुरोध करूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से नहीं हैं...

श्री मीठालाल : दुर्भाग्य से।

Page No 77

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घर पर कह देना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब बीमारी आये तभी हम इलाज करें--यह बात गलत है। इन्सपेक्टर के द्वारा सैम्पल चैक होते हैं, सारी जो मिलावट होती है उस पर कार्यवाही करने की हर इन्सपेक्टर को पावर है। मैं मांग करता हूं कि सारे राजस्थान में अभियान चलायें और इस बात की जांच करें कि कहां-कहां किस-किस जगह मिलावट होती है। मिलावट करने वाले को सार्वजनिक रूप से सजा देनी चाहिए ताकि समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है वह दूर हो। यहां पर कृषि मंत्री जी विराजे हुए हैं, वह मेरी बात उनके पास तक पहुंचा दें जिससे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाये और जिससे सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो इन्सान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको रोक सकें।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैंने और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने सामूहिक रूप से कई बार इस बात की मांग की है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की जाय। मैं बधाई देना चाहता हूं राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने अभी प्राइवेट प्रेक्टिस तो बन्द नहीं की लेकिन प्रारम्भिक कदम उसके बारे में उठाया है, जो स्लिप सिस्टम चलता था, पच्चीस रुपये देकर, बीस रुपये देकर, पन्द्रह रुपये मरीज बड़े डाक्टर के घर जाकर दे देता और डाक्टर स्लिप इश्यू कर देता कि एडमिशन दे दो.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ड्रग इन्डस्ट्री का नेशनेलाइजेशन करने के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके बारे में आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे।

श्री केदारनाथ : समय आने पर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे बीच में मत अटको।

श्री केदारनाथ : एरियर्स ऑफ एग्रीमेंट तय कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तय हैं गुरु जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप उनके बछड़े हैं गुरु जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में निवेदन कर रहा था। मेरी मांग है, कम से कम प्रशासनिक पद के ऊपर जो हैं, उनके ऊपर यह पाबन्दी लागू की जा सकती है। हो सकता है प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामने दिक्कत हो और इसलिए ही राज्य सरकार ने अभी कदम नहीं उठाया है लेकिन जिस प्रकार स्लिप सिस्टम खत्म करके अच्छा काम किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक पद पर जो हैं, डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर, प्रिन्सीपल उनके उपर प्राइवेट प्रेक्टिस न करने की पाबन्दी लगाने की बात कर दीजिये, ताकि साधारण आदमी, जिनको दव

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं, वह उपलब्ध हो। जिस प्रकार और एक्शन लिये जा रहे हैं जैसे केमिस्टों के सम्बन्ध में और स्लिप सिस्टम को खत्म करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार यह एक्शन लें तो इसमें आप सफल हो सकते हैं। मैंने इसलिए निवेदन किया है कि इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अन्दर कई बार जयपुर के अन्दर एक जनाना अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है, और एक बहुत बड़े उद्योगपति ने पन्द्रह लाख देने की बात कही····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बोर्ड लग गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बोर्ड लग गया, सारी बात हो गई, लेकिन पन्द्रह लाख की बात को पन्द्रह वर्ष हो गये, अभी तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। जहां तक मुझको जानकारी है, जे. के. सिन्थेटिक्स से मजदूरों से नौ लाख रुपये जमा करके अस्पताल के लिए देने की बात की थी। मुझे खेद है कि अखबारों में इसकी खूब पब्लिसिटी हुई लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी गई····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह कह रहे हैं। आप समर्थन कर रहे है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर जो जनाना अस्पताल है उसका विकास इसलिए ही नहीं किया गया है कि दूसरा जनाना अस्पताल बन रहा है-यह जयपुर की सात लाख जनता के साथ न्याय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार आम आदमी के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करने की बात कह रही है तो जनाना अस्पताल के अन्दर सुविधाओं का विस्तार करवायें। आज छोटे आपरेशन के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में जनाना अस्पताल से जाना पडता है। इसके अलावा जयपुर के अन्दर पिछले पच्चीस वर्ष के अन्दर कोई डिस्पेंसरी का बढावा नहीं हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की बात भी थी, जो कई बार इस सदन में कही गई है। मैं इस वर्तमान आर्थिक साधनों के अन्दर एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं, कि आप महरबानी करके जनाना अस्पताल का डवलपमेंट करवाइये इसमें आपरेशन थियेटर बनवाइये, दवाई और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करवाइये, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

माननीय राज्यपाल महोदय ने समाज कल्याण के बारे में, न्यूट्रेशन प्रोग्राम के बारे में कहा है। मै बहुत 2 राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि समाज के पिछड़े हुए, समाज के कमजोर तबके, समाज के उन बच्चों को, जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार राज्य सरकार भारत सरकार की सहायता से देने का कार्य कर रही है। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा, अभी न्यूट्रेशन प्रोग्राम जहां चल रहा है, उनमें से मैंने एक दो बार अपने क्षेत्र के अन्दर देखा है कि जो बच्चों के लिए वहां दिया जाता है, वह बच्चों तक नहीं पहुंचता है····

श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं पहुंचता, और खा जाते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसको लोग खा जाते हैं, मैं महारावल साहब की बात से सहमत हूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो कदम उठाये जायं इसे रोकने के लिए मैं आपके दल से उम्मीद करता हूं, उन कदमों को आप मदद कीजिये, उनको आप लड़खड़ाइये मत·····

श्री लक्ष्मणसिंह : पूरा सहयोग है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्योंकि यह बेईमान लोग हैं·····

श्री लक्ष्मणसिंह : पूरा पूरा सहयोग है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा अनुरोध है, इस प्रोग्राम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए यह आवश्यक है कि इस बारे में सक्रिय कदम उठायें और आप मोहल्ला कमेटियां बना कर इसके वितरण की व्यवस्था करें। आज चार सौ और ढ़ाई सौ बच्चों के लिए जो सामान दिया जाता है, वह उन तक नहीं पहुंचता है और कुछ मुनाफाखोर लोग, कुछ बदमाश लोग, कुछ बेईमान लोग, जो समाज के गरीब से गरीब तबके का शोषण करने से नहीं चूकते हैं, उनको सजा दिलाने की व्यवस्था वह मोहल्ला कमेटियां करवा सकें····

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें आप लोगों की सहायता चाहिए। मैंने आपके माननीय मंत्री को, आप जिस पोषाहार की बात कह रहे हैं, उसके दो लाख के दो लाख साफ करने वाले उदयपुर के अधिकारी के सारे कागजात और घटना की जानकारी दे दी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप शामिल हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप कह रहे हैं, वह ठीक कह रहे हैं लेकिन सरकार सुचारु रूप से काम को करे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यही अनुरोध कर रहा था, कि हम जन कल्याण के जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं और अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने जिन लोगों के लिए वायदे किए हैं उनको पूरा करने के लिए जहां जहां कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को पूरा करने के लिए मैंने सारे सुझाव व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किए हैं, कौन अधिकारी बीच में आता है, किसके खिलाफ कौन आता है, इससे मेरा सरोकार नहीं है। बहुत से अधिकारी ईमानदार हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के द्वारा गडबडियां होती है। बिना उनकी गड़बड़ियों बिना यह काम नहीं होता है। इसलिए जगह जगह मौहल्ला कमेटियों के माध्यम से हम इस बात की व्यवस्था करें तो कम से कम कहीं तो चेक रहे। हमको इस समाज कल्याण कार्यक्रम को पूरा करवाना चाहिए।

दूसरी बात, आजादी के 26 वर्ष बाद भी हमारे सर पर कलंक है, सर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी जारी है। लाखों रुपये दिए गए। रुपये का कहीं उपयोग कहीं दुरु-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पयोग हुआ लेकिन उसके बावजूद आज भी यह प्रथा समाप्त नहीं हुई। जयपुर में भी यह प्रथा जारी है। यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गांधी शताब्दी वर्ष में रुपया दिया गया और उस रुपए का आज तक उपयोग नहीं होना, हमारे लिए खेद की बात है। हमको इस बात के लिए कहना है, समाज पर इस कलंक को मिटाना है।

इसी सदन में समाज कल्याण मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी उस समय कहा गया था कि ये जो गरीब तबके के लोग जो कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जिनकी सोसाइटी बनने पर कहीं एक तरफ 500 रु. लिए जाते हैं, 25 आदमियों तक एक हजार लिए जाते हैं, 50 आदमियों तक 1500) लिए जाते हैं, उस बारे में इसी सदन में घोषणा की गई थी, उस घोषणा को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया। समाज के उस गरीब वर्ग के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हमने जिस बात के लिए कहा है, उसे पूरा करना चाहिये।

आज हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी है उसके अंदर सैंकड़ों हाउसिंग सोसाइटियों की दरखवास्तें पेंडिंग हैं। राज्य सरकार, रिजर्व बैंक और जीवन बीमा निगम के किसी विवाद की वजह से सोसाइटीज के लिए कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। सैंकड़ों लोग जिन्होंने अपनी झोंपड़ियां तुड़वाली, जो पक्के मकानों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे जेवर बेचकर पट्टियों तक पहुंच गए उनको कर्जे की आखिरी किस्त न मिलने से परेशानी है। आपको एल. आई. सी. और रिजर्व बैंक का झगड़ा निपटाना चाहिए ताकि कांग्रेस कार्यक्रम के बारे में गरीबों के प्रति जिम्मेदारी और झोंपड़ियों के अन्दर जो 50 लाख रुपए जयपुर में खर्च किए जाने की बात तय की गई है, उसको पूरा कर सकें। मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारे अधिकारी 50 लाख के अन्दर केवल 22 लाख की योजनायें प्रस्तुत कर सकें और उसमें भी 31 मार्च तक कितना एग्जीक्यूशन कर पायेंगे, हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार के कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए जरूरी हैं और उस वर्ग के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो विलम्ब करता है, उस अधिकारी को सजा दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारा लक्ष्य है यहां के हर परिवार को हम जो मकान देना चाहते हैं उसके लिए जो साधन जुटाना चाहते हैं वह जुटा सकें। आज सारे राजस्थान में कच्ची बस्तियों के लिए 25 लाख का प्रावधान करके पिछले वर्गों के लिए साधन मुहैया करने की सरकार ने बात की है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसका ध्यान गरीबों की तरफ गया जिनका समाज के दूसरे लोग हजारों वर्षों तक शोषण करते रहे। रिजर्व बैंक और एल.आई.सी. में 8 प्रतिशत ब्याज का झगड़ा है, इस कारण हजारों गरीब सफर कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फाइनेन्स हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया है और इसके माध्यम से जयपुर शहर के अन्दर इन झोंपड़ी वालों की काया पलट रही है, सड़क बिछाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, हर मोहल्ले में नल और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बिजली देने की बात कही गई, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि सख्ती से कदम उठाये जायं कि जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था इस सारे कार्यक्रम में विलम्ब करवाती है, उसको तोड़े।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपका नम्बर मिनिस्ट्री में पक्का हो गया, अब तो बैठ जाइए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जल के बारे में सारे राजस्थान में प्रयास हुए हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां आज भी 10–10 मील से पानी लाना पड़ता है। पिछले वर्ष बहुत प्रयास किए गए और आखिर जयपुर शहर में काफी ट्यूबवेल्स का निर्माण हुआ अच्छी व्यवस्था की गई...

श्री केदार नाथ : आज तो राजस्थान पर बोलें।

श्री मीठालाल : अगली बार कहां रहोगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अगली बार आपकी पार्टी का कोई नहीं आने वाला है। आपका यू.पी. विधान सभा में एक ही आदमी पहुंचा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : वहां पहले भी एक ही सदस्य था और अब भी एक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : महारावल साहब, आप मीठालालजी के स्तर पर क्यों उतर रहे हैं?

मैं बनास योजना के बारे में निवेदन करता हूं कि उससे केवल जयपुर को ही फायदा नहीं होगा बल्कि उसके साथ अजमेर, ब्यावर, टोंक और बहुत से शहरों और कस्बों का संबंध जुड़ा हुआ है। हालांकि यहां की आर्थिक स्थिति विषम है फिर भी इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम राजस्थान के हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करें। राजस्थान बनने के समय आबादी 1.63 करोड़ थी आज 2.57 करोड़ है, यानी एक करोड़ के ऊपर। इस बात को गौरव के साथ हम कहते हैं कि एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया गया और तेजी के साथ आज देश तरक्की कर रहा है। भूमि सुधार और उद्योगों के बारे में निवेदन किया। राजस्थान पहला राज्य है जहां भूमि सुधार हुए हैं और किसान अपनी भूमि का मालिक बना है। राजस्थान में शान्त क्रांति हुई है। शांत क्रांति की वजह से राजस्थान जिस स्थिति पर पहुंचा हुआ है, उस पर पहुंचने के लिए जो और साधन चाहिए तथा जिन बातों की वजह से परेशानी हो रही है उनको दूर करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि राज्य सरकार तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर रही है इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हमारे यहां पर सदन में कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये जो लोग जनता से ठुकराये हुए हैं और राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं जिनमें काम करने की स्प्रिट नहीं है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हमें

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अपनी घोषणाओं को पूरा करना जो है। जो काम हमने हाथ में लिये हैं उन्हें पूरा करना है चाहे जितनी भी कठिनाइयां इसमें आयें। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् इसके लिये हमें एक बोर्ड बनाना चाहिये जो कि इस सारी व्यवस्था को देखे। हमें ऐसे मेजर्स काम में लेने चाहिये जिससे कि राजस्थान सरकार को कम से कम एक करोड़ रुपये सालाना लाभ हो। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि राजस्थान सरकार को रॉक फॉसफेट से अगर लाभ उठाना है तो जो मैंने सुझाव रखे हैं उन पर अमल करें। अगर उन पर अमल किया गया तो हमारी सरकार को निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। आज रॉक फॉसफेट से हम इतना फायदा उठा सकते हैं जितना कि हमारी भारत सरकार को स्टील के बड़े बड़े कारखानों से लाभ नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि तेन्दू पत्ते का जो हमारी सरकार राष्ट्रीयकरण करने जा रही है उसके बारे में हमें इस योजना को सही रूप से कार्यान्वित करने की जरूरत है और उसमें हमें एक करोड़ रुपये से ज्यादा आमद होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है हिन्दी भाषा के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश राजस्थान हिन्दी भाषा बोलने वाला प्रदेश है इसलिये हमें हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी भाषा का प्रेमी हूं क्योंकि वह एक राष्ट्रीय भाषा है। इतने सालों के बाद पहली बार मैंने देखा कि राजस्थान सचिवालय स्तर पर हिन्दी को प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा देने के लिये आदेश दिये गये। सचिवालय स्तर पर यह आदेश हुए हैं कि सचिवालय में टिप्पणी हर स्तर पर हिन्दी में ही होनी चाहिये इसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर्स लगाये गये हैं इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह बड़े-बड़े पोस्टर ही लग कर बात खतम नहीं हो जाय, क्योंकि पहले भी पोस्टर्स लगे थे, और हिन्दी के उत्थान के लिये हमें पोस्टर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह ट्रान्सपोर्ट के संबंध में राजस्थान स्टेट रोडवेज के बारे मे है। पहले भी इस सदन मे राज्य सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत रूट्स का नेशनलाइजेशन करने जा रही है। राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा था उसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी 25 प्रतिशत रूट्स को नेशनेलाइजेशन करने का जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा किया जाय। और इसके लिये जो भी लेक्यूनाज कानून में हो उसे दूर किया जाय। इस बात की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करायी जाय और जो 25 प्रतिशत रूट्स को नेशनलाइज करने की बात है उसको एग्जीक्यूट की जावे। इसके अलावा एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि मैं गुजरात गया, महाराष्ट्र भी गया वहां पर मैंने देखा कि जहां कहीं भी बस स्टेशन्स हैं वहां पर यात्रियों के बैठने के लिये छायादार स्थान बनाये हुए हैं। लेकिन यहां पर हमारे राजस्थान में मैंने देखा

Page No 83

(83)

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

कि बस स्टैण्ड्स पर इस बात की व्यवस्था नहीं है जिससे कि यात्रियों को तकलीफ रहती है। वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था हमें उनके लिये करनी चाहिये। आज हमारे यहां पर पेट्रोल की कमी है उसके लिये भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हमें बसों के राष्ट्रीयकरण को लोकप्रिय करना है तो यात्रियों के लिये ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ये सुविधायें उपलब्ध करानी पड़ेगी।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जिसमें कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया वह है मोटे कपड़े के वितरण के बारे में। राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि मोटे कपड़े का वितरण राज्य सरकार क्रय विक्रय संघ के माध्यम से करायेंगी। उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि जयपुर में आज कई दिनों से मोटा कपड़ा राज्य सरकार सप्लाई कर रही है, लेकिन मुझे तो वह कहीं पर भी नजर नहीं आता। मैं इसके लिये मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से हमने मोटे कपड़े की वितरण व्यवस्था को अपने हाथ में ली है वह कपड़ा उन लोगों के पास पहुंचता है या नहीं। आज वह कपड़ा किस ढंग से वितरित किया जा रहा है। आज लोगों में मुनाफे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि यह मोटा कपड़ा ऊपर का ऊपर ही पार हो जाये। मुझे इस बात का कटु अनुभव है, क्योंकि जयपुर के सुपर मारकेट में गेहूं की वितरण व्यवस्था में काफी गड़बड़ियां हुई और दूसरे माल में भी काफी गड़बड़ियां हुई। मैंने इस सदन में कई वार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज स्थिति यह है कि वह सुपर मारकेट लिक्विडेशन में जा रहा है और उस सुपर मारकेट में इस जयपुर की जनता का करीब 12 लाख रुपया लगा हुआ था वह डूब गया है। मैं अभी भी राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इन आई. ए. एस और आर. ए. एस. आफिसरों को ही नहीं सही मानें आपको चाहिये कि जनता को इस काम में साथ लें जनता ने हम आपको चुनकर भेजा और जनता की वजह से आप सत्ता में आये हैं अतः इस पर यह व्यवस्था करावें ताकि जनता के प्रतिनिधि उसमें भाग ले सकें।

जो हालत सुपर मारकेट वाले मामले में हुई वह इस मोटे कपड़े के बारे में नहीं हो। इसके अलावा मैं लिक्वीडेशन में जाने से जो 12 लाख रुपये का नुकसान होगा उसकी बात नहीं करते हुए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सुपर मारकेट के लिक्वीडेशन में जाने से जो लोग वहां काम कर रहे हैं वह बेकार हो जावेंगे। आज इस महंगाई के जमाने में अगर वह लोग बेरोजगार हो जायेंगे तो उनको बहुत बड़ी परेशानी हो जायेगी। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार उनको चाहे डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल कर चाहे और किसी तरह एडजस्ट करने की व्यवस्था करावे। और जो मोटे कपड़े की वितरण व्यवस्था है उसको अगर आप ठीक रखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से उन लोगों का फायदा कर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
देंगे जिनका आपने फायदा करने की सोची है। अन्यथा ऐसी स्थिति पैदा हो जावेगी कि जनता दुखी हो जावेगी। आज हमारे इस सदन में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस कानून को तोड़ना चाहते हैं···

श्री **केदारनाथ** : कौन हैं जो इस कानून को तोड़ना चाहते हैं नाम बतावें।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : नाम बतादें। कौन नहीं चाहता है राष्ट्रीयकरण ?

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : आप किसे कहना चाहते हैं ?

श्री **रामकिशन** : हम तो आपके साथ हैं। आज आपके लिये जनता में आक्रोश है। केवल यू. पी. के इलेक्शन जीत लेने से राष्ट्रीयकरण की बात पूरी नहीं हो जाती···

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : यू. पी. इलेक्शन्स में आप ही लोग कह रहे थे कि इस तरह खून खराबा होगा, कांग्रेस समाप्त हो जायेगी। लेकिन कांग्रेस को जनता ने ही वोट दिया।

श्री **रामकिशन** : अभी तो सिर्फ 33 प्रतिशत वोट मिले हैं कांग्रेस को।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : इतना घमन्ड अच्छा नहीं है। एक तेन्दू के पत्ते के राष्ट्रीयकरण से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : हम घमन्ड की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : हमें पता है कि, यू. पी. में आपने क्या किया ? यू. पी. में आपकी प्राईम मिनिस्टर ने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किये हैं तब आपको वोट मिले हैं। राष्ट्रीयकरण की बात मत करो। अगर ऐसा ही है तो पहले सरकार से इस्तीफा दिला कर बाद में चुनाव करालो तब जानें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आप तो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं हर समस्या का हल राष्ट्रीयकरण नहीं है। आपका तो राष्ट्रीयकरण हो गया है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मै तो राष्ट्रीयकरण का हामी हूँ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री मोहम्मद गफ्फारअली के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : ये चार चमचे बहुत बोलते हैं। इस चमचागीरी ने ही तो आपको राज्य सभा की सीट एच. के. व्यास के लिये पक्की करादी।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मैं केवल राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं राष्ट्रयीकरण का हामी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भारतीयकरण की नीति को छोड़कर राष्ट्रीयकरण की नीति को अपना लेंगे। आज राजस्थान हमारा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हम सभी को प्रयास करना चाहिये ताकि कृषि की ओर, उद्योगों के विकास की ओर मिनरल्स

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के क्षेत्र में वनों के क्षेत्र में विकास हो रहा है उसमें हमें और ज्यादा तेजी से विकास करने की जरूरत है।

श्री मीठालाल : राजस्थान गोटे के विकास में भी तो आगे बढ़ रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय श्री मीठालालजी को मेरे व्यवसाय के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता है और इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर विचार करेंगे। आप राष्ट्रीयकरण के घोर विरोधी हैं...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खुद का राष्ट्रीयकरण कराओ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे यहां सिंचाई, विद्युत आदि कार्यक्रमों की व्यवस्था इस प्रकार से करें कि समग्र दृष्टि से हमारा प्रान्त विकसित हो। धोलपुर की फैक्ट्री का प्रश्न उठता है तो कहा जा सकता है कि यह खुल नहीं सकी है। जब भारत सरकार से अनुमति पत्र प्राप्त हो गये हैं तो हम सब चाहते हैं कि ये सब शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित हों।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो सरकार के कार्यक्रम हो सकते हैं उन पर विशुद्ध रूप से प्रकाश डाला है। राजस्थान तेजी से प्रगति की ओर बढ़े इस ओर हम सबका प्रयास होना चाहिये। दैविक विपदाओं पर हमारी सरकार ने काबू पाया है और हम आज यह कहने की स्थिति में हैं कि हमारी राजस्थान की सरकार आगामी वर्ष में और तेजी से विकास के कार्य करना चाहती है। हमारी सरकार इस ओर पूर्ण जागरूक है। इन ही शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) आन ए पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस, सर! जब सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जाता है और समर्थन किया जाता है और क्योंकि प्रस्तावक और समर्थक का विशिष्ट दायित्व रहता है अतः उस दृष्टि से सारे मंत्रिमंडल पर सुनने का भी दायित्व रहता है। यदि मंत्रिमंडल उनको नहीं सुनता है तो सदन की अवहेलना तो करता ही है और विशिष्ट व्यक्ति को भी सम्मान नहीं देता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह प्रगतिशील मंत्रिमंडल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब कभी मंत्री महोदय को एक थैली भेंट की जाती है तब उनकी ओर से उसे संस्था को भेंट कर दिया जाता है। मंत्री महोदय गेहूं की थैली घर ले जावेंगे या विभाग को दे देंगे। माननीय सदस्य यदि बाद में पूछ लेंगे कि जो थैली उन्होंने भेंट की उसका क्या हुआ? इसलिये मंत्री महोदय यहां घोषणा कर दें कि उसको डिपार्टमेन्ट को दे दी गई या सदन की मेज पर रख दी नहीं तो इसका दायित्व उन पर आ जावेगा।

श्री शिवचरण माथुर : सदन की प्रोपर्टी है और सदन की मेज पर ही रखता हूं।

(सदन की मेज पर रखी गयी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक वक्त का भोजन था जो मैं कांटे में तोल कर लाया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उस पाइन्ट आफ आर्डर का क्या हुआ कि मंत्री महोदय सदन में आकर बैठे जब धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हो और उसका समर्थन हो ?

श्री उपाध्यक्ष : कई बार इस प्रकार के आदेश हो चुके हैं कि जहां मंत्रिमंडल का एक भी माननीय सदस्य उपस्थित हो तो यह माना जावेगा कि समस्त मंत्रिमंडल है। इसलिये मंत्रिमंडल को कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो अपवाद के रूप में है। धन्यवाद के प्रस्ताव के समय सरकार की ओर से नीतियों पर जो व्यक्ति बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए वे एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं और उस सूरत में सारा मंत्रिमंडल उपस्थित रहता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक अपना अभिभाषण सदन के सम्मुख रखा उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वास्तव में एक ऐसे वातावरण में हुआ, राजस्थान बन्द में परन्तु राजस्थान की शांति प्रिय जनता ने यह साबित कर दिया है कि दैविक विपदाओं और उसके कारण बढ़ती हुई मंहगाई के कारण हड़ताल बन्द आदि से समस्या हल होने वाली नहीं है।

मंहगाई का जो दुष्चक्र चल रहा है उसके मुख्य दो कारण हैं-प्राकृतिक विपदायें और दूसरे समाज विरोधी तत्व। वास्तव में कई प्राकृतिक विपदायें हमारे सारे मुल्क पर आयीं। निरंतर दो वर्ष तक सूखे की स्थिति रही वह न केवल राजस्थान में ही किन्तु महाराष्ट्र और गुजरात में भी रही। इसकी वजह से सबके सब तालाब सूख गये, नदियां और नाले सूख गये और उस सूरत में फसलों का तो सूखना स्वाभाविक बात थी। ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़तीं यह स्वाभाविक बात प्रतीत होती है।

दूसरी बात प्राकृतिक विपदा जो प्रकृति का उपहास कहा जा सकता है आयी और वह विपदा थी बाढ़ की जो गत वर्ष इस राजस्थान को सहन करनी पड़ी।

(2.45 म.प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का वह हिस्सा जो पहाड़ी स्थान कहलाता है वहां पर इस बार जो बाढ़ का नग्न तांडव देखने को मिला और जो भयंकर प्रलयंकारी स्थिति इस कारण पैदा हुई वैसी कभी देखने को नहीं

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मिली । राजस्थान का दक्षिणी भाग उसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का इलाका आता है वहां पर इस बाढ़ ने भयंकर नग्न प्रलयंकारी तांडव नृत्य किया है । सैकड़ों हजारों परिवारों को बेघरबार कर दिया, बाढ उतर गई पर उसकी कराहट अभी बाकी है भूखे और असहाय लोगों को और भी विपदा में जकड़ लिया । जो कुछ वहां बन्ध थे वे भी क्षत-विक्षत हो गये और सड़कों को सड़क नहीं कह कर यदि सड़कों के अवशेष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने की भरसक कोशिश की और फिर एक सुनहरा स्वप्न लोगों के सामने था कि इस बार अधिक अच्छी फसल पैदा होगी और दुःख के दिन कट जावेंगे । किन्तु प्रकृति ने जिस तरह एक के बाद एक विध्वंसात्मक स्थितियां पैदा की कि जिससे जनमानस उद्वेलित हो उठा और सारा अर्थ तन्त्र चरमरा उठा । शीत लहर के कारण फसलें नष्ट हो गयीं और जनता ने जो आशायें बांधी थी वे कुछ ही दिनों में तहस-नहस हो गयीं । यदि ऐसे कठिन समय में राजस्थान सरकार ने लोगों को सहायता देने के लिए, अन्न देने के लिए यदि कोई व्यवस्था न की होती तो बहुत ही बुरा हाल हो गया होता किन्तु सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न किये । किन्तु जो कुछ प्रयत्न किये गये, जो कुछ धनराशि दी गयी वह भी नौकरशाही के पंजे में निरन्तर जकड़ी पड़ी है ।

मैं आपके सामने अपने निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के विषय में निवेदन करना चाहती हूं । चित्तौड़गढ़ ऐसा केन्द्रीय स्थल है जहां पर सब तरफ से खराब सड़कें आकर मिलती हैं । इसे खराब सड़कों का संगम कहा जा सकता है । उन सारी सड़कों को ऊबड़-खाबड़ रूप से आये दिन देखा जा सकता है । इस प्रकार, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इन कार्यों में बहुत अधिक अवलोकन की आवश्यकता है और सजग रहने की आवश्यकता है कि जो धनराशि वितरित की गई वह राजस्थान में लगी या नहीं ।

इस बढ़ती हुई मंहगाई को हम केवल यही कह सकते हैं कि यह विश्व व्यापी है । इसको विश्व व्यापी कहा जा सकता है जैसा कि अभी गोटेवालाजी साहब ने बताया । क्योंकि आज विश्व के सामने इस प्रकार की समस्या विद्यमान है । तेल संकट केवल हमारे देश में ही नहीं है । तेल संकट की वजह से सभी प्रगतिशील देशों की अर्थ-व्यवस्था डगमगा रही है । हम यह देखते हैं कि 1 बेरल तेल पांच डालर से बढ़ कर उसका भाव तीन गुना चार गुना हो गया । इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी चीजों पर पड़ा है । यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका असर दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है । और इस प्रकार अन्य चीजों की कीमतें बढ़ने का चक्र शुरू हो जाता है । ऐसे समय में जनता यह भली प्रकार से जानती है कि ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में सही मार्ग दर्शन किस पार्टी की ओर से मिल सकता है । इसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे यू. पी. के चुनाव हैं । यू. पी. विधान सभा के चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला । मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यदि इस प्रकार की दैविक विपदाओं के अन्दर धैर्य और सूझ-बूझ

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
के साथ इस पार्टी ने जनता को मार्ग दर्शन दिया, यदि इसके स्थान पर अन्य कोई पार्टी होती तो वह इस प्रकार सही दिशा जनता को नहीं दे सकती थी।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण की काफी अच्छी व्यवस्था की गई कि सब लोगों को ठीक मूल्यों पर वस्तुयें मिलें। लेकिन यदि इसको सूक्ष्म रूप से देखें तो यह संतोषजनक नहीं है। चूंकि आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यक्तियों को लम्बी कतारें लगानी पड़ती हैं। सुबह से शाम तक कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली थैला और पीपी लेकर आना पड़ता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार की जो सस्ते मूल्यों की दूकानें हैं उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ा दी जाती है, स्थान स्थान पर इस प्रकार की दुकानें खोल कर जनता को क्यों नहीं राहत दी जाती है। तो इस प्रकार की राहत दी जानी चाहिये।

इस वितरण-प्रणाली में भी शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। गेहूं पैदा करने वाला कृषक, हमारा अन्नदाता, जो कि सारे नगरीय व्यक्तियों का पेट भरते हैं, आज अकाल, अतिवृष्टि अथवा शीत लहर के कारण फसल के चौपट हो जाने से अन्नाभाव से पीड़ित हैं। उनके पास अन्न नहीं है, ऐसी स्थिति में वे जब अन्न लेने के लिए नियन्त्रित मूल्यों की दुकानों पर जाते हैं तो गेहूं नहीं, उनको लाल ज्वार मिलती है। क्यों है यह भेद? इस प्रकार का भेद हटा दिया जाना चाहिये।

मैं एक बात और बताना चाहती हूं। नियन्त्रित मूल्यों की कपड़े की दुकानें हैं। ग्रामीण जनता जो कि अर्द्ध-नग्नावस्था में है, उनको वहां से वस्त्र नहीं मिल पाते। इस वितरण प्रणाली में अनिवार्य रूप से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

आज हमने उपभोक्ताओं और उत्पादकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अधिक से अधिक लाभ उनके उत्पादन का उनको मिल सके, इसके लिए अनाज का राष्ट्रीयकरण किया। परन्तु कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हमारे यहां हैं जो ऐसे अच्छे कदम को भी असफल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के व्यापारी कुछ इस तरह के कदम उठाते हैं कि मार्केट में से हर चीज आउट आफ स्टाक हो जाती है। कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है। परन्तु हमारी यह पंगु नौकरशाही और प्रशासनतन्त्र उनके साथ कुछ भी सख्ती करना नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य : नौकरशाही इतनी नहीं, जितनी आपके स्वयं के भ्रष्ट मन्त्रीगण इसके पीछे हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं स्वयं जो बोलना चाहूंगी, बोलूंगी, माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि वे बीच में बोल कर मेरे दिमाग में उठी बातों को समाप्त करने में मदद न दें।

वही माननीय सदस्य : अच्छी बात है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : तो मैं निवेदन करना चाहती थी कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
यद्यपि राज्य सरकार ने कुछ ऐसे ही ग्यारह जिला रसद अधिकारियों को हटाया है। मैं इसका तो स्वागत करती हूं। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। पर ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ही इस नौकरशाही व्यवस्था में ग्रामूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों को समय-समय पर एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलते भेजते रहना चाहिये तभी जाकर वे लोग बाज ग्रावेंगे ग्रौर हम इसका सही समाधान पा सकेंगे।

मंहगाई का सबसे ज्यादा भार ग्रामीण कृषक पर पड़ा है। ग्राज उसे हर चीज मंहगी लेनी पड़ती है। कपड़ा, घी, तेल, ग्रपने यन्त्रों के लिये डीजल, कीटनाशक दवाइयां, ग्रादि ग्रादि। क्या सरकार इस बारे में सोचकर कुछ कदम उठावेगी? ग्राज इस कारण से किसान की स्थिति बहुत करुण हो गई है। गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किये बिना जिन फसलों को वह ग्रपने खून-पसीने से सींच कर बड़ी करता है उसकी उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाती। गन्ने को ही लीजिये। उसे जलाऊ लकड़ी से भी सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जलाऊ लकड़ी बीस रुपया क्विन्टल मिलती है, जब कि गन्ने को भोपाल सागर में मेवाड़ शुगर मिल्स में 11)50 क्विन्टल उससे लिया जाता है। मैं ग्राश्चर्य करती हूं कि एक क्विंटल गन्ने से जब कई तरह के लाभ लिए जाते हैं, 10 पर्सेन्ट शुगर निकाली जाती है, बाई प्रोडक्ट्स भी काफी ग्रधिक काम में ग्राते हैं, ग्रलकोहल निकाल कर बाकी का हिस्सा जानवरों को खिलाने के काम में लिया जाता है। इस प्रकार कई प्रकार के रसायन वैज्ञानिक इसमें से निकालने में सफल हुए हैं। सॉरबीयन ग्रौर मैनीटॉल इस प्रकार के रसायन बनाये जा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: एक्साइज मिनिस्टर इसका लाभ पूरे जोर शोर से ले रहे हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत: इसका बाकी बचा हुग्रा छिलका भी जानवरों के खिलाने के काम ग्राता है। उसी भाव में बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में गन्ना पैदा करने वाला किसान इसके लाभ से वंचित रखा जाता है। हम सोचें कि यह ग्रन्याय किसान के साथ क्यों किया जा रहा है? इतने थोड़े से में वह गन्ना उत्पादक किसान किस तरह से अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है, बच्चों का पेट भर सकता है, वस्त्र पहना सकता है या शिक्षा का प्रबन्ध कर सकता है? मैं पूछती हूं सरकार इस ग्रोर ध्यान क्यों नहीं देती?

ग्राज यदि ग्राप उनकी हालत की तरफ ग्रवलोकन करें थोड़ा सा भी तो पावेंगे कि किसान ग्राज कितना परेशान है? एक कृषक ग्राज बीज ग्रौर खाद लेने के लिए पंचायत समितियों के चक्कर लगाता रहता है, सीमेंट ग्रौर दूसरी चीजों के लिए डीजल प्राप्त करने के लिए सरकारी ग्रधिकारियों के ग्रौर उनके दफ्तरों के चक्कर लगाता-लगाता हैरान हो जाता है। बैंकों से लोन लेने के लिए चक्कर लगाता रहता है ग्रौर विद्युत लेने के लिये तो वह विद्युत् कार्यालयों के चक्कर लगाता-लगाता पागल-सा हो जाता है। क्या इस तरह से चक्कर ही चक्कर लगाने में इस राज्य में उसकी जिन्दगी समाप्त हो जावेगी? हमें ग्राज यह समझना

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
चाहिये कि मानव शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है अगर इसका इसी तरह से चक्कर लगाते रहने में दुरुपयोग होता रहा, यह शक्ति अगर चक्कर लगाने में ही क्षीण होती गई तो हम कभी भी विकास नहीं कर सकेंगे, हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जावेगी। आज कृषक समाज की कठिनाइयों को सरकार को देखना चाहिये।

आज की मंहगाई के कारणों में सरकार की अस्थिर नीतियां भी कारण कही जा सकती हैं। सरकार कभी एक निर्णय लेती है कि मोटा अनाज एक जिले से बाहर दूसरे जिले में नहीं भेजा जावेगा। दूसरे निर्णय से वह रोक हटा ली जाती है। कभी यह कहा जावेगा कि प्रान्त के बाहर अनाज नहीं भेजा जावेगा, वहीं दूसरी बार में भेजने का आर्डर जारी कर दिया जाता है। इस तरह की अस्थिर नीतियों से भी भावों में काफी तेज उतार-चढ़ाव आता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वह निश्चित तौर से काफी सोच विचार करके अपनी नीतियों को स्थिर करे और फिर दृढ़ता से और कठोरता से उन पर अमल करे। तभी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

उपभोक्ताओं को मंहगाई के अतिरिक्त एक और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वह है मिलावट। आज ऐसे-ऐसे नर पिशाच भी समाज में हैं जो दवाइयों तक में मिलावट से बाज नहीं आते जिनसे भी काफी मौतें हो चुकी हैं और समाज के स्वास्थ्य पर जिसका भयंकर असर पड़ रहा है। ऐसे नर पिशाचों के साथ कड़ाई से सरकार को बरतना चाहिये। सजा का कड़े से कड़ा प्रावधान इसके लिये कानून में किया जाना चाहिये। आज दवाइयों की मिलावट के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, अनेकों विकलांग हो चुके हैं।

हमारा प्रान्त यद्यपि शनैः शनैः प्रगति की दिशा की तरफ बढ़ रहा है परन्तु फिर भी इसकी खुशहाली के लिये बहुत कुछ करना है। पिछले 26 सालों में हम केवल 60 लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई के साधन दे पाये हैं। काफी धरती अभी भी प्यासी पड़ी है। यद्यपि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि पांचवीं योजना में राजस्थान केनाल का काम मुख्य रूप से पूरा कर दिया जावेगा। इस प्रकार की जो घोषणा की गई है वास्तव में मैं उसका स्वागत करती हूं परन्तु यह पूछना चाहती हूं कि इस प्रकार की जो मन्द गति इसके विकास की है उसका क्या कारण है? यह मन्द गति केवल धन के अभाव की वजह से नहीं है, इसमें कार्यकर्ताओं की कुशलता का भी अभाव है। यदि हम राजस्थान केनाल को पूरा कर देते हैं तो हमेशा आने वाले अकाल से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसके पूरा होने पर 12.5 हैक्टर भूमि पर सिंचाई होगी और काफी अनाज पैदा कर सकेंगे।

मैं एक और इस विषय में निवेदन करना चाहती हूं कि और भी कई मीडियम स्कीम्स बनाई जा रही हैं वह सराहनीय कदम है। चित्तौड़ जिले की भी कुछ बनाई जा सकती हैं। उस ओर मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। चित्तौड़ जिले में गोगुन्दा स्थान पर यदि बांध बना दिया जाय तो अन्नाभाव

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

और मंहगाई की समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय विकास परिषद् में यह सुझाव दिया था कि राजस्थान केनाल योजना केन्द्रीय विकास योजना में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिये। मैं उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूं।

एक और मुझे इसी सिंचाई के बारे में निवेदन करना है। अकाल में बहुत सारे सिंचाई के काम प्रारम्भ किये गये परन्तु बहुत पैसा लगाने बाद भी वे काम अभी तक अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाना चाहिये। प्रान्त में खुशहाली दो ही तरीके से आ सकती है एक तो सिंचाई के साधनों को बढ़ा कर और एक विद्युतिकरण का अधिक से अधिक प्रसार करके। विद्युतिकरण के कदम बहुत सराहनीय हैं। विद्युतिकरण जिन स्थानों पर हुआ है उन्हें हम बहुत ही अल्प कह सकते हैं। बहुत कम स्थानों पर विकास हुआ है। राज्य सरकार से निवेदन है कि इन विद्युतिकरण की योजनाओं की अधिक से अधिक क्रियान्विति की जानी चाहिये जिससे किसानों को विद्युत् मिल सके। आज के युग में यह विद्युतिकरण रामबाण कहा जा सकता है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। आज जहां विद्युत् आनी चाहिये, वहां यह विद्युत् अभी तक नहीं पहुंची है। भूमि का जो जल है उसकी सतह ऊपर होते हुये भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उन स्थानों पर राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड का सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिये इस प्रकार का सर्वेक्षण होना अति आवश्यक है। जहां बिजली उपलब्ध है लेकिन साधनों के अभाव में काम शुरू नहीं हुआ है। कहीं तार नहीं हैं तो कहीं अन्य सामान उपलब्ध नहीं है। मैं राज्य सरकार से पूछती हूं कि वह सामान कब पहुंचेगा, कब लोगों की आशा पूरी होगी ? हर कृषक आशा लगा कर देखता रहता है कि कब हमारे यहां बिजली मुहैय्या होगी। वह हर बार आकर निर्वाचित प्रतिनिधियों से विनती करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिये केवल बिजली चाहिये। इस प्रकार को बिजली जो वास्तव में हमारे प्रान्त को बहुत अधिक विकास के द्वार पर पहुंचा सकती है।

यदि दूसरे विकास के कार्यों को रोक कर भी इसको लायें तो यह कोई खराब कदम नहीं होगा। यह एक उत्तम कदम कहा जा सकता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डेयरी विकास के लिये चर्चा की गई, वास्तव में डेयरी विकास का कार्य जिन स्थानों पर हुआ है वह सराहनीय है परन्तु मैं यह कहूंगी डेयरी विकास का कार्य और पशु पालन का विकास हर जिले में क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिये। यद्यपि हमारे प्रान्त में पशु धन बहुत ज्यादा है, मनुष्यों की संख्या से अधिक कही जा सकती है परन्तु पशु धन बेकार सा है क्योंकि उनकी ब्रीड उन्नत नहीं है। वे या तो बीमारी से ग्रसित हैं या फिर जो पशु धन जिन्दा है वह भी केवल राम भरोसे ही कहा जा सकता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आज जब हम कृषि कार्य में इतना अधिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, कई बार अकाल होता है, प्राकृतिक विपदायें होती हैं तो क्यों नहीं इसकी ओर पूरी देखभाल करें। डेनमार्क, हालैण्ड, न्यूजीलैन्ड ये वे राष्ट्र हैं जिन्होंने

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

डेयरी के आधार पर प्रगति की है तो क्या हमारा प्रान्त आगे नहीं बढ़ सकता है? यह हमारा परम्परागत व्यवसाय है। यदि हम इसको सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से करें तो खुशहाली पर पहुंच सकते हैं। आज होना तो यह चाहिये था उन सभी स्थानों पर दुग्ध चूर्ण बनाने के कारखाने लगाते जहां पशु धन विकसित अवस्था में है। चर्म उद्योग भी वहां लगाया जा सकता था। परन्तु यह कुछ नहीं हुआ। अभी ग्यारहवां अखिल भारतीय डेयरी सम्मेलन हुआ उसमें दुग्ध ग्रीड की जो बात कही गई सरकार द्वारा, उसका मैं स्वागत करती हूं। इस माध्यम से दुग्ध व्यवसाय को और पशु पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ायेंगे और विकसित करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिये उद्योग बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जन संख्या है और इस बढ़ती हुई जन संख्या में केवल जमीन पर खेती करके विकसित नहीं किया जा सकता है। जमीन को रबड़ की तरह खींच कर नहीं बढ़ा सकते हैं। जमीन सीमित है, अतः थोड़ी जमीन में उद्योग लगा कर लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सौभाग्य की बात है राजस्थान खनिज सम्पदा में धनी है--कहना चाहिये राजस्थान इज ए म्यूजियम आफ मिनरल्स। यहां पर कई तरह की जो मिनरल्स हैं वह विद्यमान हैं। राजस्थान सबसे अधिक मिनरल्स की दृष्टि से सम्पन्न कहा जा सकता है। अरावली रेन्जेज हैं और वहां काफी मिनरल्स छिपा पड़ा है, उससे काफी उद्योग लग सकते हैं। इसके साथ ही यह कहना चाहती हूं उस स्थान पर माईका और लाइम स्टोन कई जगह पाया जाता है। यद्यपि चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट फैक्ट्री काम कर रही है परन्तु जहां जहां लाइम स्टोन है क्या वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं? फैक्ट्रियां बढ़ने से हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात से हमारा प्रान्त समृद्धि के द्वार पर पहुंच पायेगा। ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि उद्योगों की विभिन्नता को भी कायम करना है और उद्योगों की स्थापना से ही हम आगे बढ़ पायेंगे। इस ओर राज्य सरकार का अभी तक बहुत ही कम ध्यान गया है। विकेन्द्रित उद्योग लगाने होंगे। रॉक फॉस्फेट झामरकोटरा में उपलब्ध है, सलादीपुरा में पाइराइट है लेकिन खाद का कारखाना राजस्थान में लगना चाहिए था उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं राज्य सरकार से पुरजोर निवेदन करना चाहती हूं कि तकनीकी दृष्टि से जो स्थान सही हो वहां पर यह खाद का कारखाना अवश्य लगाना चाहिए तभी जाकर हम हरित क्रान्ति और देश के विकास में अन्नाभाव और दूसरी जो भी परेशानियां हैं महंगाई की और बढ़ती हुई कीमतों की इनको हम कम कर सकेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी बात और कह देना चाहती हूं, उद्योगों में जरूरी नहीं है कि वृहद् उद्योग ही लगाये जायें लघु उद्योग भी लगाये जा सकते हैं। लघु उद्योगों की दृष्टि से हमारे यहां काम बहुत कम हुआ है। यद्यपि प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर एक इन्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्यालय रहता है लेकिन उसका कार्य केवल ऑफिस का

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

कामकाज देखना और कागजी कार्यवाही करना ही है और इसी में उसका समय व्यतीत होता है। मैं यह चाहती हूं कि इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट के द्वारा जनता में चेतना जागृत करनी चाहिए इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए, लघु उद्योग लगाने के लिए और कुटीर उद्योग लगाने के लिए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। केवल आफ़िस में काम किया जाता है जो कि पर्याप्त नहीं है। जहां जहां और जिस जिस स्थान पर व्यक्ति उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष रियायत भी मिलनी चाहिए। खास तौर से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। गांवों में उद्योग लगाये जाने चाहिये जिससे हमारी जो नगरीकरण की समस्या है और हमारी गांवों की जन संख्या शहरों की ओर बढ़ रही है उसकी बाढ़ को रोका जा सकता है। इस नगरीकरण की वजह से जो समस्यायें पैदा होती हैं और उनमें सरकार का जितना व्यय होता है उसको बचा कर विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। अतः उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। जो गांवों में उद्योग लगाने के लिए तैयार हों उनको विद्युत् देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार उद्योगों के आधार पर ही हम अपने प्रान्त का चहुंमुखी विकास कर सकते हैं।

हमारे प्रान्त में, सभापति महोदय, दो उप-चुनाव हुए। वह उप-चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े निष्पक्ष रूप से हुए उसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। परन्तु एक और निवेदन इस क्षेत्र में करना चाहती हूं कि पंचायतों के चुनावों के बारे में राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है? पंचायतों के चुनाव कब तक टाले जायेंगे? पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिये क्योंकि जो पंचायत के पंच, सरपंच तथा प्रमुख और प्रधान नियुक्त किये गये थे वह अपनी अवधि दुगुनी पार कर चुके हैं और उनको बनाये रखना प्रजातंत्र के प्रति मखौल है, जनमत के प्रति उपहास है। यदि यह कदम नहीं उठायेंगे तो हमारे लिये बहुत बड़ी बात होगी और बुरी बात होगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि पंचायतें जिस उद्देश्य से लागू की गयी थीं वह था विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य जिससे गांव का चहुंमुखी विकास हो लेकिन यह कहा जाये कि पंचायतें विकास के स्थान पर, चहुंमुखी स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम चुनाव नहीं करायेंगे तो जनता के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। तो इस कारण से पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जाने चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनिट में मैं समाप्त कर दूंगी क्योंकि मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कर रही हूं इसलिए मुझे बोलने के लिये एक दो मिनिट और दिये जायें।

समाज कल्याण के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहती हूं। जो भी कार्य इस दिशा में विकास के लिये किये गये वह सराहनीय हैं लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में मैंने और बातें कहीं थीं कि हाउसिंग सोसाइटी बनाई गयीं कई स्थानों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के मकान बनाने के लिए। उन्होंने सौ-सौ रुपये उधार लेकर और अपने गहने बेच कर जमा किये, लेकिन अभी तक उन सोसाइटीज को ऋण

Page No 94

(९५)

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

मिलने का पता नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। गांव सावा और खोड़ी में मैंने स्वयं ने जाकर लोगों को प्रोत्साहित करके सोसाइटी बनाई और वही व्यक्ति आते हैं, और कहते हैं कि हमारे सौ रुपये वापिस दिला दो कहीं डूब नहीं जायें। इसलिये इसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आवश्यक रूप से जाना चाहिये क्योंकि एक तरह से हमने सहायता का कार्य शुरू किया और यदि यह सहायता का कार्य इतनी मन्द गति से हो और इतनी धीरे-धीरे हो कि इससे जनता फायदा नहीं उठा सके तो इसे उपयुक्त नहीं कहेंगे।

जो पंचम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जलदाय की योजनायें बनाई गई हैं वह भी सराहनीय कदम है। रेगिस्तानी इलाके में भी पानी की व्यवस्था की गई है, परन्तु इस क्षेत्र में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं और वह यह है कि जहां जहां भी जलदाय विभाग कार्य कर रहा है वहां पर ड्रेनेज की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देती है। वहां का इतना अधिक दूषित वातावरण है कि यदि वहां पहुंच जाएं तो सांस भी नहीं ले पायेंगे। तो जो इस प्रकार का वातावरण है इसके लिए यही सुझाव देना चाहती हूं कि जहां जहां जलदाय विभाग की योजना है वहां सरकार की मदद से या जनसहयोग के आधार पर ड्रेनेज की योजना आवश्यक रूप से बननी चाहिये चाहे वह साधारण तरीके से ही बने। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का फायदा कर पायेंगे।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी, सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं। आज एक हजार प्राईमरी स्कूल तथा 1500 मिडिल स्कूल क्रमोन्नत किये गये यह राज्य सरकार का सराहनीय कदम है परन्तु अभी कई सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने की भी आवश्यकता है। हमारी शिक्षण पद्धति तो दोषपूर्ण है ही और उसमें परिवर्तन की बात कही जाती है, कई प्रकार के व्याख्यान इस बारे में होते हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने भी इस सदन में शिक्षा प्रणाली के बारे में निवेदन किया और उसको भी दो साल गुजर गये। आज यह शिक्षा प्रणाली यदि इसी तरह से रही तो हम सरस्वती की आराधना नहीं करके बल्कि उसका उपहास कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है ग्रामीण क्षेत्र में उसका उचित लाभ नहीं उठा पाता है। मैं राज्य सरकार से कह देना चाहती हूं कि बच्चों को विशेष रूप से कृषि संबन्धी, उद्योग संबन्धी और पशुपालन सम्बन्धी शिक्षा दी जानी चाहिए तभी शिक्षा का उचित उपयोग हो सकेगा। पंचायतों के अधीन शिक्षा को रख कर बहुत ही बुरा कर रहे हैं। पंचायत समितियों के प्रशासक अधिकारी तथा निर्वाचित अशिक्षित अधिकारी शिक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। गांवों में शिक्षकों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने झिड़का जाता है। विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोचेंगे? यह अनुशासनहीनता की नींव यहीं से डाली जा रही है। यही नींव आगे जाकर उग्र रूप से युवा-अनुशासनहीनता के रूप में आज दिखाई दे रही है। आज होता यह है कि टीचर लोग सिर्फ स्कूलों में आ जाते हैं और विद्यार्थियों को थोड़ा सा बता कर या अटेन्डेन्स लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

खेल-कूद के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुविधायें नहीं हैं और न बजट में कोई प्रावधान ही है । जो कुछ है वह नगरों के के लिए ही हैं । खेलों के लिए बजट नगरों के लिए है । ग्रामीण बच्चों के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । तो मैं कहना चाहती हूं कि खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक अंग हैं । खेलों के द्वारा सहनशीलता, बड़ों के प्रति आदर भावना और अनुशासन में रहने की भावना आती है और यदि हम खेलों की उपेक्षा करते रहे तो आगे आने वाले लोगों के लिए हम अन्याय करेंगे । आज उच्च शिक्षा के बारे में बहुत गोष्ठियां होती हैं जिनमें प्राध्यापक और प्राधानाचार्य शामिल होने के लिये बुलाये जाते हैं । इसमें लाखों रुपया व्यय होता है लेकिन आखिर में हम देखें कि निर्णय उनमें क्या होते हैं । उन प्रधानाचार्यों से पूछें तो कहा जाता है कि कोई भी निर्णय नहीं हुआ । फिर क्यों लाखों रुपया व्यय किया जाता है ? हमारी शिक्षा व्यवसाय रूपी होनी चाहिए, यह सभी लोग कहते आ रहे हैं फिर इस ओर क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा है ? यह राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस ओर क्यों नहीं सोच रही है ? यह मैं एक तरह का प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूं । आज शिक्षा-प्रणाली बहुत अधिक दोषपूर्ण है । शिक्षा ऐसी है जिसमें परीक्षा पद्धति ऐसी है कि उन परीक्षाओं में विद्यार्थी केवल सतही ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं । वे कालेजेज में नहीं जाते हैं और वह अपना बहुत सारा समय या तो गुंडागर्दी करने में लगाते हैं, या सिनेमा देखने में लगाते हैं या फिर हड़ताल करने और तोड़-फोड़ करने में लगाते हैं । आज जहां कहीं हड़तालें होती हैं तो उनमें सबसे अधिक विद्यार्थी होते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह हमारी शिक्षा-पद्धति का दोष है । इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र भारत की मिट्टी को नहीं पाते हैं, इसलिए शिक्षा में परिवर्तन अवश्य आना चाहिए ।

अब अधिक नहीं कह कर मैं राज्यपाल महोदय के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपा करके शनिवार, 2 मार्च को जो अपना अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, वह मैं समझता हूं कि एक सारहीन, शुष्क और अनाकर्षक अभिभाषण था । राजस्थान की वास्तविक परिस्थिति उस अभिभाषण में मैं यह अनुभव करता हूं कि मानो लीपापोती की हो, इस तरह से रखी गई । अभिभाषण राज्यपाल महोदय का, जनता में व्याप्त विश्वास उत्पन्न करे ऐसा कदापि नहीं था ।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर हम क्या देखते हैं । सारे देश के अन्दर कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व्याप्त है । क्या छात्र, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या कर्मचारी सभी असंतुष्ट हैं । गरीब लोग पिस रहे हैं भूख से मर रहे हैं ऐसी परिस्थिति के अन्दर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, उस सम्बन्ध में कुछेक माननीय सदस्यों का बहिर्गमन और यह सारा कार्यक्रम केवल मात्र 25 मिनिट के अन्दर समाप्त हो गया । यह मैं तो समझता हूँ कि एक रस्म ही थी ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

एक औपचारिक रूप से यह रस्म अदा की गई थी, इसके अतिरिक्त और कुछ हो तो मैं अतिशयोक्ति नहीं करता।

सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार लोकप्रिय सरकार है। मंत्री पुलिस के एस्कोर्ट से, पुलिस के द्वारा सदन में लाए जाय। सम्माननीय शासनारूढ़ दल के सदस्य पुलिस के द्वारा सदन के अन्दर आवें और राज्यपाल महोदय पुलिस से घिरे हुए एक घण्टे तक सदन के पास विराजमान रहें, यह व्यवस्था मेरे खयाल में एक लज्जाजनक है। यह लोकप्रियता के बिल्कुल विपरीत है और यह शासनारूढ़ दल के लिए और देश की प्रगति के लिए घातक है।

राज्यपाल महोदय ने, सभापति महोदय, महंगवारी का जिक्र किया। मैंने निवेदन किया कि अभिभाषण में एक लीपापोती की गई है। यह मैं मानता हूं कि महंगवारी एक राजस्थान के अन्दर ही निहित नहीं है। यह भी मैं मानता हूं कि महंगवारी एक देशव्यापी समस्या है, बल्कि विश्व समस्या है, एक वर्ल्ड फिनोमेना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस वेग, जिस अनुपात से यह महंगवारी सुरसा की तरह मुंह फाड़ करके बढ़ती ही जा रही है। निरन्तर बढ़ती जा रही है, इसका अन्त कब होगा। गेहूं गए साल 75) 80) रु. क्विन्टल के भाव से बिकता था, वह आज सम्माननीय प्रस्तावक महोदय ने ही यह कहा कि जयपुर में एक समय सवा दो सौ रुपये क्विन्टल में बिकता था। 220 रु. क्विन्टल में बिकता था। आज सारे राजस्थान में गेहूँ के भाव 175) रु. क्विन्टल, 170) रु. क्विन्टल हैं। भला, सभापति महोदय, यह सरकार सोच सकती है कि इतने दाम काट करके कितने गरीब आदमी गेहूं खायेंगे।

खैर, गेहूँ की समस्या को आप जाने दीजिए। मैं तो मोटे अनाज, मक्का, ज्वार और बाजरे का ही बात करता हूं। मक्के के लिए, मैं निवेदन करता हूं कि गए साल 60) 65) रुपये मक्का के भाव थे, उसकी जगह 170) रु. फी बोरा बिक रही है। सीमेंट आपको चाहिए उतना ही काले बाजार में 20–25 रुपये बोरी में मिल सकता है लेकिन खुले बाजार में सीमेंट नहीं मिलता है। तेल 10) रुपये किलो और डालडा का तो मुंह ही काला हो गया। वह तो सरकारी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत है ही नहीं। उसका तो काला ही काला ब्लैक हो करके बिक रहा है। एक समानान्तर रूप से एक अर्थ-व्यवस्था, एक पैरेलल इकोनामी कालाबाजार के अन्दर आज निहित है। मिट्टी का तेल गरीब लोगों को और गावों के अन्दर दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं इस कोटा परमिट, लाईसेंस और कण्ट्रोल व्यवस्था का विरोध किए बिना नहीं रह सकता। अभी समर्थक महोदया ने कहा कि कोयला नहीं मिलता, लकड़ी नहीं मिलती और कोई गैस नहीं मिलती। गांवों के अन्दर खाना पकाने की व्यवस्था बिल्कुल दुर्दान्त दुर्दशा में है। गन्ने के भाव से लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के भाव बढ़ गए। यह तो मेरे खयाल से—

अन्धेर नगरी और जयपुर राजा,
टके सेर मूली और टके सेर खाजा

की व्यवस्था है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जयपुर राजा कहां से आ गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : राज्यपाल महोदय ने महंगवारी के लिए कहा कि यह देशव्यापी समस्या है, वर्ल्ड फिनोमेना है। लेकिन हमको यह देखना होगा कि जिन देशों के अन्दर तीन दिन का हफ्ता हो गया, चाहे कैसी भी समस्या हो, वहां के लोगों की क्षमता कितनी है। वह इस महंगाई को बरदाश्त करने की क्षमता किस हद तक रखते हैं। उसके मुकाबले में हमारी गरीब जनता की क्या क्षमता है और आप जो भाव मुकर्रर करते हैं वह भाव भी बिल्कुल उस पर कायम नहीं रहते हैं। मैं तो उदाहरण के रूप में यह कहूंगा कि शक्कर का आपका ऑफिशियल भाव 2) रु. 15 पैसे पर किलो है लेकिन ब्लैक मार्केट में वह चार और सवा चार रुपये मिल रही है। गांवों के अन्दर हजारों आदमी हैं जो वार-त्यौहार पर भी अपना मुंह मीठा नहीं कर सकते, यह आपकी व्यवस्था है।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि महंगवारी गांवों में भी है। दूसरे देशों में भी महंगवारी है। केनिया, तंजानियां, स्वीडन . . .

श्री रामकिशन : आप जिन देशों के नाम बता रहे हैं, उनके कांग्रेसियों को नाम ही पता नहीं है। शायद तंजानियां का पता हो।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जो भरतपुर से आने वाले हैं, उनसे निवेदन करूं कि समर्थक महोदयों ने ही कहा है कि यह समाजवाद नहीं कतारवाद है। पांच-पांच सौ आदमी कतार में खड़े हुये हैं। किसके लिए? एक दो किलो अनाज के लिये। इससे ज्यादा निकृष्ट व्यवस्था हमारी और क्या हो सकती है। मन्त्री मण्डल को मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूं, आप स्वयं सोच सकते हैं। यह वह देश है, जहां दही दूध की नदियां बहती थीं। आज गेहूं सोने के दाने हो गये हैं और चावल मोती के दाने हो गये हैं। आपकी जो नेशनेलाइजेशन स्कीम है, उसका मैं सिद्धान्ततः विरोध नहीं करता हूं। नेशनेलाइजेशन एक चीज है। किसी किसी तरह के उत्पादन की चीजें हैं उनको तो नेशनेलाइजेशन करना ही है। वहां नेशनेलाइजेशन करना तो यह सारे संसार का प्रवाह है, उसके साथ साथ बहना होगा। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, एक दुहरी खाई है। वह इन्सानियत की है। आज इसी वजह से कुर्सी से चिपके रहना। जहां पर त्याग की वृत्ति नहीं है, वहां पर इसके सिवा और क्या हो सकता है। सरकार स्वयं भी वही कर रही है। सरकार के जो खुदरा व्यापारी हैं वह 80% बेईमान हैं। जो कुछ खुदरा अनाज आता है, उसको जो उनकी जान-पहचान वाले होते हैं, उनको वितरित कर देते हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे सकती है। सरकार डरती है। नॉन को-आपरेशन और हड़ताल का जमाना है। सरकार खुद डरती है। यह राष्ट्रीयकरण अभिशाप है। राष्ट्रीयकरण आपने इन्श्योरेंस कम्पनीज का किया। उसका स्वागत है। लेकिन पहले जो प्राइवेट कम्पनी थी तो जिसकी पालिसी मेच्योर हो जाती थी तो हम को बताया जाता था कि आप की पालिसी मेच्योर हो गई है। लेकिन आज तो पेमेन्ट नहीं होता है। गरीब आदमी की पालिसी मेच्योर होती है, साल साल भर उसको

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रुपया नहीं मिले। बैंकिंग का नेशनेलाइजेशन आप ने किया वह भी सफल होता तो धन्यवाद देता। लेकिन बैंकिंग से जी हजूरी करने वाले बेईमान लोगों को कर्जा दिया गया है। कर्जा वापिस देने का कोई उद्देश्य नहीं था। आज धीरे धीरे यह परिस्थिति हो रही है कि बैंक भी घाटे में जा रहे हैं। अगर सभी चीजों को नेशनेलाइजेशन के द्वारा निराकरण करें तो यह नेशनेलाइजेशन नही है। यह तो मेरे खयाल में स्टेटिज्म है। राष्ट्रीयकरण होता तो मैं समझता हूं कि कम से कम 7 किलो अनाज देते, 7 किलो गेहूं या 7 किलो मक्की देते। तो मैं कह सकता था कि राष्ट्रीयकरण है। 3 किलो में क्या किसी का पेट भर सकता है? क्या वह हवा खाकर पेट भरे? हमारे देश में मांस खाने वाले लोग भी हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां मांसाहार होता है। लेकिन आज सभी चीजों में घुड़दौड़ है। आज यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह राजकीयकरण है। कम तोल और अधिक मोल, यह अनादिकाल की शासन व्यवस्था रही है। अगर कोई कम तोलता है तो उसको सजा मिले। अधिक कीमत लेता है तो उसको कोड़े या हण्टर मारो। लेकिन यह तो करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सारे देश की राष्ट्रीयकरण की योजना हमारे पास है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, अन्धेर और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बेकार शिक्षित वर्ग है, उसमें घोर अशान्ति है। इस अशान्ति का कुछ लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जो तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। जो देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं उनको यह एक इन्स्ट्रूमेण्ट, औजार, टूल मिल गया है। यह शिक्षितों के सम्बन्ध में सरकार की गलत नीति है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप शिक्षा का विस्तार करें। जितने कालेजों की आवश्यकता हो, उतने कालेज खोलें। लेकिन ऊट पटांग तरीके से नहीं। जो बेकार इन्जीनियर्स हैं, उनको कोई मेण्टीनेंस दें जिससे कि वह अपना गुजारा कर सकें। सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। आज उनको खाने के लिए ही नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ें? आज मोटा कपड़ा भी दुर्लभ हो गया है। आज अनाज का वितरण है। तेल का वितरण है। आज कोई स्थिति ही नहीं है। अराजकता की स्थिति हो गई है। Humanity has failed. सभी जगह धोखाधड़ी है। जहां पर नियन्त्रण रहता है वहां पर भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार आना स्वाभाविक है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार का प्रथम कर्तव्य नहीं है कि कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखे। अवश्य संतुष्ट रखना सरकार का फर्ज है। लेकिन ग्रेस और शोभा को भी छोड़ कर के कर्मचारियों की हड़ताल जब इस स्थिति पर पहुंच गई कि सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठी पहले लकड़ी को पकड़ लिया उसको छोड़ना आया नहीं, जिस तरह मगर को पकड़ा हो, उसी तरह पकड़ लिया लेकिन फिर झख मार कर कर्मचारियों की मांग को पूरा किया या आज कर्मचारियों की मांग को पूरा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम समाजवाद की डींग हांक रहे हैं, हम गरीबी को हटायेंगे। कर्मचारियों के लिए तो आपने व्यवस्था की, लेकिन, सभापति महोदय, आज गरीब जनता के लिए क्या व्यवस्था है? मैं तो एक पिछड़े क्षेत्र से आया हुआ हूं, वहां पर कई गांवों के अन्दर केरोसिन नहीं है। खुदरा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यापारियों से जाकर पूछें तो चार चार महीने का कोटा गायब है। कोई अनाज नहीं है, घासलेट भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, तो फिर यह समाजवाद, यह गरीबी हटाओ का नारा क्या है ? माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह कहा कि कांग्रेस जो बात कहती है, वह पूरा करती है। वह पूरा करती है या नहीं करती है–वह हम सब जानते हैं। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्दर गरीब तो हटा लेकिन गरीबी तो हटी नहीं और मेरे खयाल में गरीबी को आप बढ़ा रहे हैं। इसके उपरान्त प्रस्तावक महोदय मन के अन्दर प्रसन्नता प्राप्त करें कि गरीबी हट रही है, सब अच्छा हो रहा है, खेत लहलहा रहे हैं, हरित क्रान्ति आ रही है। तो अपने अपने विचार हर एक को रखने का अधिकार है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। देश की दशा धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रही है और हालत बुरी से बदतर हो रही है। यह सब कृत्रिम अभाव है, यह सब नकली अभाव है। आज काला बाजारी के अन्दर आप जो चाहें वह चीज मिल सकती है, आपको केवल मात्र उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और मनमाने भाव से चुकाना पड़ेगा। तो सरकार कन्ट्रोल मूल्यों पर नहीं कर सकती तो और क्या कर सकती है ? मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि यह योजना है आपकी, यह अत्यधिक खर्चीली है और अत्यन्त महत्वाकांक्षी है, यह योजनायें अवास्तविक हैं, इनमें मुद्रा प्रसार निहित है और इनके अन्दर भ्रष्टाचार भी निहित है। स्वागत मैं करूंगा, आप स्कूल खोलें, आप सड़क बनायें आप तालाब बनायें, आप कुएं खोदें, आप मकान बनायें, इमारत बनायें, विधान सभा के अन्दर लाखों रुपये खर्च करके वातानुकूलित व्यवस्था कर दें, मंत्रियों के बंगले बनायें – उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन आज की परिस्थिति में सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोगों को अनाज देना। लेकिन आज सरकार तीन किलो लोगों को अनाज देती है और उसके ऊपर यह कहती है कि इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आखिरकार राजस्थान का जो राज्य है, इसमें राजस्थान सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। खाद्यान्नों का आपने राष्ट्रीयकरण किया, राजकीयकरण किया तो आपको बफर स्टॉक के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। छः महीने के लिए अनाज का जखीरा इकट्ठा करना चाहिए था। बफर स्टॉक होता और राष्ट्रीयकरण करते तो एक हद तक उसका मैं समर्थन करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं मजबूर हूं। जो कुछ भी कागजी कार्यवाही जिस ढर्रे पर चल रही है, इससे जनता का लाभ, देश का लाभ कभी नहीं हो सकता। पहले बहुत से छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे अनाज के व्यापारी थे, उनमें मान लिया जाय कि पचास प्रतिशत बेईमान भी थे, तो पचास प्रतिशत ईमानदार भी थे। अगर सरकार भाव मुकर्रर करके, उससे ज्यादा लेने वाले को सजा देती तो मैं एक हद तक उसका समर्थन करता लेकिन अब खाद्यान्न व्यापार जो सरकार की तरफ से कायम किये गये हैं इनमें तो अस्सी प्रतिशत बेईमान हैं, तो आपका काम कैसे चलेगा, आपकी नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण योजना कैसे सफल होगी ? आप यह स्वयं विचार कर सकते हैं। सभापति महोदय, लेवी के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि आप बड़े किसानों से लेवी ले सकते हैं तो लें। और लेनी चाहिए। और अगर आप नहीं लेंगे तो आखिरकार करेंगे क्या ? लेकिन फिर भी मैं आपको

(श्री लक्ष्मणसिंह)

निवेदन करूंगा कि आपकी यह जो लैंड पालिसी है, यह भी कोई स्थिर नहीं है। सारी पालिसी में सब जगह अस्थिरता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी यह कर दो। कभी वह कर दो। उसमें यह परिवर्तन कर दो। आपने पहले लैंड सीलिंग लगाई। जितना लेना हो उतना आप ले लीजिये। लेकर छुटकारा करिये। लेकिन बार बार सीलिंग कानून ला रहे हैं। जो किसान बड़े हैं उनके मन में भी शांति और स्थिरता नहीं है। आये दिन नये कानून ला रहे हैं तो कौन जमीन पर खर्च करेगा और उत्पादन बिना खर्च किये नहीं हो सकता है। जो खेती करना जानते हैं, उसके द्वारा खेती होगी तभी उत्पादन होगा। यह ऊट पटांग रूप से कभी खेती नहीं हो सकती है। आज आप कहते हैं कि सीलिंग लगा कर भूमिहीनों को जमीन वितरण करेंगे तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उसका भी लेश मात्र नजर नहीं आता है। भूमि वितरण भूमिहीनों को हो रहा है या नहीं? भूमि वितरण उनको नहीं हो रहा है और भूमिहीन यहां बैठे हुए हैं और उत्पादन की व्यवस्था, मेरे खयाल में धीरे धीरे बुरी से बदतर होती जा रही है। उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन यह समानान्तर रूप से चलने वाली चीज है। अगर उत्पादन नहीं हो तो वितरण क्या करेंगे? अभाव का वितरण करेंगे। जहां पर उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं वहां पर क्या होगा? आज ही माननीय सदस्य, जो गंगानगर से आये हैं, और माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई ने यहां पर चर्चा उठायी, गंगनहर भूतपूर्व राज्य की धरोहर है, और उत्तराधिकारी शासन, राजस्थान सरकार की धरोहर है, वह गंग नहर टूट रही है। उसकी मरम्मत का काम ••

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : टूट चुकी है। पानी नहीं आ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : टूट चुकी है। माननीय सदस्य मंत्री महोदय के पास जाकर कहते हैं और पेश हुए। सम्माननीय सदस्यों के कहने के अनुसार मंत्रीजी का उत्तर यह है, क्या नहर टूटी है? यह तो मेरे खयाल में पोल पट्टी की पराकाष्ठा है। मुझे एक पुराने जमाने का किस्सा याद आता है। उदयपुर में महाराणा साहब का राज्य था। खेमली और मावली, दो गांव थे, वह लूट लिये गये। दूसरे दिन सुबह पुलिस या किसी कर्मचारी ने जाकर इत्तला की कि खेमली और मावली लुट गई। महाराजा साहब ने कहा, वह गांव के परकोटे के बहार छाने बीनने क्यों गई थी। सम्भवतः उन्हें मालूम हुआ हो कि खेमली और मावली नाम की दो महिला थीं। आज की इस राज्य सरकार को तो बहुत शोक होना चाहिए कि उत्पादन की समस्या है, ऐसी स्थिति में गंग-नहर की मरम्मत नहीं होती है तो उत्पादन करने के लिए क्या प्रोत्साहन होगा? सम्माननीय सदस्य रघुनाथ विश्नोई ने चर्चा उठाई, गेरू आ गया है। गेरू आ गया है तो फसल काट डालनी चाहिए। कितनी देरी लगती है उसमें। लेकिन कटेगी तब जब सब फसल खत्म हो जायगी। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है उत्पादन के सम्बन्ध में, यह सरकार की निष्क्रियता लज्जाजनक है। मैं कहने वाला था कि बड़े किसानों से लेवी अवश्य लें, लेकिन अनार्थिक जोत वाले किसान हैं, मेरे क्षेत्र से आये हैं सम्माननीय सदस्य, वह यहां पर बैठे हुए हैं, इनके पास दो दो, चार चार, पांच पांच बीघा जमीन है। इनको उससे न पेट

(श्री लक्ष्मणसिंह)

भरने का अनाज मिलता है और न सरकार अनाज देती है। फिर भी समाजवाद के नाम से लेवी लेती है। बेचारे कहां से दें ? अरनोद प्रतापगढ़ सब-तहसील में, चित्तौड़गढ़ में है। मैंने सुना, वहां पर लेवी ली गई वहां फसल बाढ़ के कारण गल चुकी थी। वहां पर हजारों किसानों के घरों के अन्दर एक दाना तक नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने जाकर कहा, तुम लेवी दो। अगर लेवी नहीं दे सकते तो रुपया दो। तो रुपया तक वसूल किया गया है। तो जहां पर लेवी आप ले सकते हैं वहां पर लीजिये। इसकी भी व्यवस्था सुचारु ढंग से होनी चाहिए। जो वर्तमान व्यवस्था है, वह मेरे खयाल में संतोषजनक नहीं है। यह भी प्रावधान किया है कि खाने का अनाज छोड़ कर दूसरा लेवी द्वारा ले लिया जाय। बहुत सारे किसानों की एक मात्र आय का स्रोत अनाज है। अनाज बेच कर कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आज कपड़े की कीमत क्या है ? तेल लाते हैं, औजार खेती के लाते हैं, जो भी गृहस्थाश्रम की व्यवस्था है, वह अनाज पर निर्भर है। उनकी प्राइसेज हैं, वह आखिर समानता के साथ आपको कायम करनी चाहिए, मुकर्रर करनी चाहिए और उसके अनुसार आप लेवी की व्यवस्था करें तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मूल्य लेवी का आप निर्धारण कीजिए। अभी सदन में यह समस्या फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कही गई कि मोटा अनाज लेवी के द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है लेकिन उसका पेमेंट तक नहीं हो रहा है। उसका अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। आप अगर लेवी का अनाज इकट्ठा करते हैं तो तुरन्त पेमेंट किया जाए और भाव मुकर्रर करते हैं तो ऐसे भाव मुकर्रर करें जो टिक सकें, जो गरीब ले सकें और फिर दृढ़ संकल्प करके सबसीडाइज करके नुकसान भुगत कर जनता में अनाज दे सकते हैं तो कुछ हद तक समाजवाद है और कुछ हद तक गरीबी हट सकती है, अन्यथा यह बिलकुल बकवास और ढोंग है।

सभापति महोदय, मैं कुछ अपने क्षेत्र की भी बात करना चाहूंगा। विद्यार्थी असंतोष के कारण गुजरात में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सैंकड़ों आदमी मारे गए, वहां 10-10 15-15 गोलियां चलती थीं और समाचार पत्रों में आता था कि एक गोली चली दो गोलियां चलीं, इसके अलावा और कोई समाचार समाचार पत्रों के अन्दर नहीं छापा जाता है। यह छात्र आन्दोलन मेरे पड़ोसी जिले डूंगरपुर में भी आया और मैं इतना कहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया लेकिन उसके उपरांत भी जब स्थिति काबू में नहीं आई तो लाठी चार्ज हुआ और बी.एस.एफ., आर.ए.सी. और एम.वी.सी. को तैनात किया, उनको कई बार लाठी चार्ज का आर्डर देते हैं उन्होंने विद्यार्थियों का दो-दो फर्लांग तक पीछा किया। डूंगरपुर तहसील में एक चौराहा है, एक रास्ता उदयपुर, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा बांसवाड़ा जाता है, वहां लाठी चार्ज हुआ लोग पास में फतेहगढ़ी पहाड़ी है वहां दौड़ कर चढ़ गए, मन्दिरों में चले गए, एक लड़का तालाब में डूब कर मारा गया 4-5 लड़कों के साथ पिटाई शुरू हुई, वह तालाब में गिरा और वहां जाकर मर गया. भीड़ तितर बितर हो गई। मेरे खयाल से जो पिटाई हुई वह आवश्यकता से अधिक थी। एक लड़का पुष्पेन्द्र जैन था 15 साल का, उसका पीछा दो फर्लांग

(श्री लक्ष्मणसिंह)
तक किया और उसको मार दिया। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में जांच करानी चाहिए और मरे हुए छात्र के माता पिता को उचित मुआवजा दिया जाए।

दुर्भाग्यवश इस आन्दोलन के दिन मैं वहां नहीं था। दूसरे दिन आया लोगों से भी मिला और छात्रों को भी जितना हो सका समझाया, अधिकारियों से मिला, मोहर्रम उस समय आ गया था, वह निकालने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने उनसे कहा निकालो, वह निकला। सरकारी कर्मचारियों का भी सहयोग था। समझाने पर लोगों ने कृपा करके मेरी बात को समझ लिया, पुलिस के आतंक से लोगों में इतना भय उत्पन्न हो गया और उधर लोगों से पुलिस में इतना भय उत्पन्न हो गया, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में हमें अनुभव होता है कि कहीं भी ऐसा न हो, लेकिन ऐसी संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई तो संभवतः समस्या काबू से बाहर हो सकती है।

यहां सी. पी आई. के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जिनकी मदद से आपने यू. पी. में सफलता प्राप्त की और कुछ हद तक उड़ीसा में सफलता प्राप्त की, नहीं तो आपकी थिन मैजोरिटी, नाम मात्र बहुमत था। वास्तव में मैं इसको जीत नहीं कहता लेकिन आप जीते उसका स्वागत है और 30 परसेंट वोट्स लेकर जीते तो उसकी भी मैं कैसे तारीफ करूं ....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्वतन्त्र पार्टी की वहां क्या स्थिति है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : स्वतंत्र पार्टी का पहले भी एक सदस्य था और आज भी एक सदस्य है। अलबत्ता उड़ीसा में थोड़े बहुत सदस्य आए लेकिन उनकी संख्या भी घटी, बढ़ी नहीं। यह तो पार्टियों का उतार चढ़ाव है, कभी पार्टी बढ़ती है, कभी घटती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्वतन्त्र पार्टी तो खतम हो रही है।

श्री मोहम्मद गफ़्फार अली : सी. बी. गुप्ता ने हार मान ली है, आप भी मान लें।

श्री लक्ष्मण सिंह : गुप्ता ने मान लिया क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई। मेरी भी जमानत जब्त होगी तो मैं भी हार मान लूंगा, लेकिन वह समय आने दिया जाए। मैं मानने में एक मिनट भी नही हिचकूंगा और कदाचित कंकरी घड़े को फोड़े तो आपका घड़ा पापों से भर चुका है, वह एक न एक दिन भंडाफोड़ होगा।

मेरे बगल में बैठने वाले माननीय सदस्य अगर प्रेसीडेंट या राज्यपाल का घेराव करें, वह तो अपने अपने सिद्धांत और विचारधारा है, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते लेकिन आपका जो गठबंधन है, यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा है और कृत्रिम गठबंधन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बछड़े दूध पी गए।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मंत्रीमंडल में भाग लें तो दो मिनट में बदनाम हो जायं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उड़ीसा में भाग लें रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं रामानन्दजी से कहता हूं कि आप खाद्य मंत्री बन जायं, तो तमाशा देखें लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री केशरीसिंह : केरल में चलाते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : वहां पर भी जो भी बात होगी आगे आएगी। स्टालिन ने एक लाख आदमी मरवा दिए तो तुरन्त दान और महा पुण्य लेकिन यह रोजाना अत्याचार भुखमरी और आए दिन पता नहीं कि अनाज कहां से मिलेगा यह मेरे खयाल से दुगुना तिगुना अत्याचार अगर आप सफाया कर दो तो वह क्लीन आफ हो गया लेकिन उसके उपरांत कांग्रेस की दुर्व्यवस्था, यह स्टालिन के अत्याचार से दुगुना अत्याचार है। जहां पर कोई नियंत्रण नही है वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता।

अब मैं एक दो बातें अकाल राहत के संबंध में निवेदन करूंगा। उसका श्रेय मंत्री मंडल को है लेकिन उससे अधिक श्रेय स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्लाखां को है।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं कुछ आपको खास खास इन्सटान्सेज भ्रष्टाचार के आपके सामने रखूंगा और आपके माध्यम से सदन का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। मैंने पहले भी इस सदन में कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर मुझे खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही उन केसेज में नहीं हुई। पहला उदाहरण तो मनकोड़ा में एक व्यक्ति का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है। उस व्यक्ति को 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की मजदूरी नहीं मिली। इसके बारे में भी मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह उक्त व्यक्ति को इसका पेमेन्ट करे। इसके अलावा एक व्यक्ति भैरोंसिंह मिस्त्री का पेमेन्ट सन् 1959 से राज्य सरकार में पेन्डिग पड़ा हुआ है पर उसे आज तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। वहां के बी.डी.ओ. आसपुर ने कृत्रिम दस्तखत करके जाली दस्तखतों से पेमेन्ट उठा लिया है। इस बारे में मैंने राज्य सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया इस सदन में पर आज तक कोई कार्यवाही दोषी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुई इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस व्यक्ति ने जिस अधिकारी ने कृत्रिम दस्तखत बनाकर रुपये उठाये हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये और उसे सजा दी जाये। अगर आप भ्रष्टाचारी को और दोषी अधिकारियों को सजा नहीं देंगे तो मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि इस तरह आपका शासन नहीं चलने वाला है। आपका शासन चलेगा नहीं। आज भी वह व्यक्ति अपने ग्राम अमरतियां से डूंगरगढ़ आता है पर उसे कोई पेमेन्ट नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, इस राज्य सरकार की यह आदत है कि वह वेजेज को पेन्डिग रखती है यह पेन्डिग रखने की व्यवस्था बहुत ही दूषित है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन लोगों को पेमेन्ट तो करावें चाहे इसके लिये बीच में कोई भ्रष्टाचार भी करता है तो भी कोई बात नहीं एक व्यक्ति को कुछ न कुछ तो मिलेगा। आखिर कुछ न कुछ तो उसके पास पहूंचेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि पेन्डिग पेमेन्ट्स के केसेज को तुरन्त निपटाया जाये। और इसमें जो लोग इसके लिये दोषी पाये जायें उनके खिलाफ जांच करवाने की मांग भी मैं करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, थोड़ा संक्षेप में मैं राजस्थान के उद्योगों की व्यवस्था के बारे में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

भी निवेदन करना चाहूंगा। आज राजस्थान को उद्योगों की व्यवस्था बिलकुल ठीक नहीं है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो उसे उद्योगपतियों को इसके लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। अगर आप उद्योगपतियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आप राजस्थान में उद्योगों का विकास नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा मैं कुछ राजस्थान में खनिज उद्योगों के विकास के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और खास तौर से ऐसी जगह उद्योग लगाये जो कि पिछड़े क्षेत्र हों। जैसे मेरा क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर ज्यादा संख्या आदिवासी लोगों की है। लोग वहां के बहुत ही गरीब हैं। अगर उस क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा और वह इलाका विकास करेगा। इस तरफ भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाये जायं ताकि वहां के लोगों को काम मिले।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं कुछ डेयरी के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में डेयरी के विकास के बारे में कहा था। मैं भी डेयरी के विकास के बारे में दो शब्द आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिये राज्य सरकार को जिला वाइज डेयरी कायम करनी चाहिये। इसके लिये मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपको अगर सच मुच ही डेयरी का विकास करना है तो आपको मारवाड़ क्षेत्र का विकास करना होगा। मारवाड़ के क्षेत्र डेयरी के लिये उपयुक्त हैं। वहां पर जो जानवर पाये जाते है उनमें दूध भी अधिक होता है और अगर उस पिछड़े क्षेत्र में आप डेयरी विकास के लिये वहां के जानवरों के ब्रीड को इम्प्रूवमेन्ट करने के लिये व्यवस्था करेंगे तो आपके डेयरी के विकास में काफी सफलता मिलेगी।

इसके अलावा मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में कडाणा बान्ध के बारे में बिलकुल जिक्र नहीं किया गया है। इस सदन में यह बार बार जिक्र आया कि सरकार कडाणा बांध के विस्थापितों को क्या रियायत दे रही है? राज्य को चाहिये और पता लगाये कि कितना क्षेत्र पानी की डूब में आजावेगा इसके अलावा माही नदी के दोनों तरफ हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की आजावेगी इसके लिये राज्य सरकार उन आदिवासियों को कहां विस्थापित कर रही है उनके विस्थापित करने के बारे में भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके अलावा इस क्षेत्र में कई धार्मिक स्थान भी आजायेंगे जिसके लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। जैसे फखरूद्दीन साहब की दरगाह, श्री रघुनाथजी का मन्दिर, श्री शीतलामाता मन्दिर वगैराह तो आखिर राज्य सरकार इन सभी के वास्ते क्या व्यवस्था कर रही है। इसके बारे में भी मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री महोदय अपना जवाब राज्य पाल महोदय के अभिभाषण पर दें तो इसका उत्तर भी दिलाने का कष्ट करें। आज आपने जो मुआवजा माही नदी से ग्रसित बांसवाडा और डूंगरगढ के लोगों को जो आदिवासी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

को मुआवजा दिया वह नहीं के समान है । सभापति महोदय, वह तो मैं यह कहूंगा कि नगण्य ही था । इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि उस क्षेत्र के विस्थापितों को बसाया जाय ।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फॉडर बैंक के बारे में भी कहा । फॉडर के बारे में मैं भी कुछ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार को फॉडर की व्यवस्था के लिये जगह-जगह फॉडर बैंक बनाने चाहिये ताकि वक्त जरूरत पड़े तो जानवरों को घास मिल सके । इसके अलावा एक बात मैं सैक्चुअरीज के बारे में कहूंगा । सभापति महोदय, आज गेम्स सेन्क्चुअरीज की हालत खराब है । वहां आप बंगले बनाओ मना नहीं पर वहां पर आज जानवर नहीं है । प्रायः सभी जानवर समाप्त हो गये हैं । आज कहने को तो यह कहा जा रहा है कि राजा महाराजाओं ने अपने वक्त में जानवर मार डाले । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने शेर को तो कभी नहीं मारा । जब राज्य सरकार ने इन गेम्स सेन्क्चूअरीज को अपने हाथ में लिया था या बनाया था उस वक्त जितने भी जानवर थे वह अब नहीं हैं । क्योंकि आज वहां पर बड़े-बड़े आफिसर लोग उनका शिकार कर रहे हैं । आज, सभापति महोदय स्थिति यह है कि बाड़ ही खेत को खा रही है । तो इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि वह इन वाइल्ड एनीमल्स की रक्षा करावें ताकि बेचारे जानवर भी नहीं मरें और जो सही मायने में हम गेम्स सेन्क्चुअरीज का फायदा उठाना चाहें वह हमें मिल जाय इसके लिये भी मैं राज्य सरकार को उचित व्यवस्था के लिये कहूंगा ।

(4.0 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में तेन्दू के पत्ते के राष्ट्रीयकरण की बात कही । और इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्तावक ने भी अपने भाषण में कहा कि तेन्दू के पत्ते से राज्य सरकार को करीब एक करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, अब तेंदू के पत्ते ही कहां मिलेंगे जबकि तेन्दू के पेड़ ही नहीं रहे । आज लोग तेन्दू के पेड़ों को जड़ समेत निकाल कर ले गये । आज वहां पर जलाने वाली लकड़ियों के काम में ले लिया । आज से पांच साल पहले जो तेन्दू के पेड़ थे 75 प्रतिशत पेड़ तो लोगों ने काट लिये हैं अब तो करीब 25 प्रतिशत तेन्दू के पेड़ रह गये हैं । जो काम आपको पहले करना चाहिये था उस काम को अब आप अपने हाथ में ले रहे हैं यह राज्य सरकार की मैं अदूरदर्शितापूर्ण नीति समझता हूं । पहले तो जब ठेकेदार लोग वगैरह थे तो वह लोग लोगों की खुशामद भी करते थे कि आप इन पेड़ों को मत तोड़ो । लेकिन आज तो जब से राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो उसकी भी दुर्गति ही हो गई । तो इसके लिये भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी उचित संरक्षण दिया जाय । नहीं तो आपका यह राष्ट्रीयकरण नहीं अपितु राजनीतिकरण होगा ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दवाइयों के अन्दर मिलावट करने वालों के लाईसेंस रद्द करने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। आप मिलावट करने वालों को दण्ड दें और मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा दें उसका तो मैं हामी हूं लेकिन आप सभी को दोषी मानते हैं तो गलत है। आज इनमें भी काफी लोग ऐसे हैं जो दोषी नहीं है तो सभी को आप एक ही डन्डे से कैसे हांक रहे हैं ? आज कई मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रहीं हैं जिससे कि जनता परेशान हो रही है इसलिये इसके लिये भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि जनता को कष्ट नहीं हो। इसमें डिस्क्रीमिनेशन होना जरूरी है कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में महिलाओं और बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि पौष्टिक आहार तो उन लोगों को मिलता ही नहीं बल्कि वह पौष्टिक आहार तो आपके समाज कल्याण विभाग की दूषित वितरण व्यवस्था के कारण मास्टर लोग ही खा जाते हैं और बेचारे गरीब लोगों के बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है और वह बेचारे मुंह ताकते ही रह जाते हैं।

तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर आज सरकार की अर्थव्यवस्था भंग हो चुकी है। मंहगवारी अलाउन्स देकर के योजनायें खत्म हो चुकी हैं। मितव्ययता पर भी कोई ध्यान नहीं देते। फिजूल खर्ची की पराकाष्ठा है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

भ्रष्टाचार को सबसे पहले कम करने के लिये सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें परिवार नियोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। राजस्थान नहर और गंगकैनाल को राष्ट्रीय योजनायें मान कर और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये हम को ठोस कदम उठाने चाहियें। 2? वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके तो क्या कर सकते हैं ?

ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के बारे में दिशा शून्य है, अन-एम्पोयर है एवं निराशाजनक है और ऐसी परिस्थिति में, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजन नाथ आचार्य : I will take my chance tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिनांक 2 मार्च को दिया है वह यद्यपि संक्षेप में है परन्तु इसमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

अभी जो महत्वपूर्ण और भयकर समस्या देश और प्रान्त के सामने है वह मंहगाई की है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है। चीजों का

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

अभाव है। इन समस्याओं के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने विचार रखे। यह तो स्पष्ट है और राज्यपाल महोदय ने भी अच्छी तरह से मान लिया है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों मंहगाई बढ़ रही है और मूल्यों में क्यों वृद्धि हो रही है एक वर्ष में मूल्यों में दुगुनी, तिगुनी, ढाई गुणी वृद्धि हुई है और उस कारण जन जीवन बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है। जो गरीब व्यक्ति है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय भयानक और भयंकर हो रही है और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसका जीवन यापन बहुत ही कठिन हो गया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या का क्या हल है ? जो विरोधी पार्टियां हैं जो हड़ताल और बंद के लिये जोर देती हैं वह इस समस्या का हल नहीं है। इस भयंकर समस्या को देखते हुए, इस भीषण समस्या को देखते हुए वे इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी विद्यार्थियों को गलत राह पर डाल कर, और भी ऐसी पार्टीज हैं जो हिंसा की प्रवृत्तियों को बढ़ा कर देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। उन पार्टीज के ऐसे प्रयत्नों को ही हमें खत्म करना चाहिये।

इसलिये अब प्रश्न यह उठता है कि एक तरफ ऐसी शक्तियां हैं जो प्रजातन्त्र को खतरा पैदा करना चाहती हैं और अराजकता फैला कर डिक्टेटरशिप लाना चाहती हैं उस समय प्रजातन्त्र को मानने वाली पार्टीज पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ जाता है, बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है और विशेषकर कांग्रेस पर जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विधान सभा कांग्रेस पार्टी के स्तर पर हम सब को बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये कि यह जो समस्या आयी है उसका निराकरण किस प्रकार शान्ति और सद्भावना के साथ किया जा सकता है इस पर हम गम्भीरता से सोचें और गंभीरता से सोचकर इसका हल निकाले वरना जनता हम को कभी माफ नहीं करेगी।

हम यू.पी. में जीत गये। जनता ने यह वरडिक्ट दे दिया कि जनता प्रजातन्त्र को चाहती है। परन्तु हमें भी यह सोचना है कि इस पार्टी को जीवित रखने के लिये प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिये सुदृढ़ करने लिये यह आवश्यक है कि हम गहराई से सोचें कि हमारे में क्या कमजोरियां हैं और उनको किस प्रकार से हम दूर करें। हम यह दोष देते हैं कि यह सरकारी ढांचा ही ऐसा है। हम दोष दे देते हैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को और निश्चिन्त हो जाते हैं। लेकिन हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हमारे कन्ट्रोल में हैं ये जो कुछ भी भ्रष्टाचार करते हैं उनको नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है तो यह हमारा दोष है और हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को हमे मान कर चलना चाहिये। हमें यह चाहिये कि यदि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स आज की पालिसी के माफिक नहीं चलते, सही तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करते

Page No 108

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उसको किस प्रकार से टाइट किया जाय और नियन्त्रित किया जाय, यह हमें सोचना चाहिये ।

अखबारों से भी हमें खबरें मिलीं और मुख्य मंत्रीजी ने भी फरमाया कि 67 लाख रुपयों का अवैध चावल इस प्रान्त से बाहर चला गया, स्मगल हो गया । वह बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से निकला, जालौर डिस्ट्रिक्ट से निकला, वह पाली डिस्ट्रिक्ट से निकला और गुजरात में गया और महाराष्ट्र में गया । यह एक सीरियस मामला उनको मिला है और भी बहुत से मामले हैं । इसमें कौन हैं ? पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिये । इसकी राजस्थान गवर्नमेन्ट जांच नहीं करा सकती तो सी. बी. आई. से इसकी जांच कराइये और इस प्रकार जो भयंकर अपराध करते हैं और इस प्रकार से स्टोर करते हैं और फिर स्मगल करते हैं उनके ऊपर कठोर कदम उठाना चाहिए । मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जो स्मगलिंग करेगा । ऐसे तत्वों को खुले बाजार में हथकडी लगाकर उनको फिराया जायगा और अपमानित किया जावेगा । लेकिन अब तक तो ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं । किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मामला नहीं देखा । मैं चाहता हूं कि ऐसे जो देश के दुश्मन हैं प्रदेश के दुश्मन हैं जो होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग प्रोहिबिशन आर्डर के अन्तर्गत आपने क्या कार्यवाही की है और कहां तक उसका इम्पलीमेन्टेशन किया है । गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया । मार्केट रेट में और प्रोक्योरमेन्ट में 50) 60) रुपये क्विन्टल का अन्तर आता है तो ऐसे मामले में इस अन्तर को नहीं पाटा गया तो किस प्रकार से लेवी देने वाला देगा ? हमने हमारे जिले में लेवी के मामले में जनता का दिमाग बनाया, हमने एक कोशिश की । हमने उनको कहा कि जब फेमीन कन्डीशन्स होती हैं तो राजस्थान सरकार हमको कितनी मदद देती है । 25-26 के जमाने में देखा कि सरकार ने घर 2 जाकर पैसा बांटा । इस प्रकार दिमाग बनाया । सब ही लोग, एम. एल. एज. अगर इस प्रकार से दिमाग बनाये लोगों का और विश्वास पैदा करें तो लेवी इकट्ठी की जा सकती है । और आप समझ लिजिए कि अमेरिका से हमें गेहूं की मदद नहीं मिलने वाली हैं क्योंकि हमारे उनसे सम्बन्ध अच्छे नहीं रह गये हैं । और किसी देश से हम अनाज नहीं ले सकते अपने देश को गिरवी रखकर या उसकी इज्जत बेचकर । जो अनाज हमारे देश में है उसी से हमें व्यवस्था करनी होगी । हमारे देश में पर्याप्त अनाज है भी । प्रश्न केवल उसको कुछ होर्डरों के चुंगल से निकाल कर उचित वितरण का है । ये होर्डर या तो बड़े पूंजीपति व्यापारी हैं या पूंजीपति किसान हैं । इनके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे तभी उनकी राष्ट्रीयकरण की नीति सफल हो सकेगी । नहीं तो उसकी असफलता तो सामने दीख रही है । राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को इन समाज विरोधी होर्डरों से सख्ती से निपटना होगा । ठीक है दुनिया में भाव बढ़े हैं । फिर भी जितना नियन्त्रण कर सकते हैं उतना तो करें ।

मेरे जिले में कई ऐसे भी गांव है जो अभावग्रस्त हैं जहां अकाल है । अगर वहां आप अनाज नहीं पहुंचाते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है ? आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं । गांवों में आदमी काफी संख्या में मर सकते हैं और इससे आतंक पैदा हो सकता है ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

राजस्थान सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के प्रारूप में प्रसन्नता की बात है कि हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के कामों को भी याद रखा है। पशु-विकास, डेयरी, ट्यूब वैल और रीजनल पाइप स्कीमें वास्तव में सराहनीय हैं।

अब तक की सारी जल योजनाओं के आंकड़ों को मैने इकट्ठा करके देखा तो मालूम हुआ कि चालीस करोड़ रुपया इन पर सरकार ने अब तक खर्च किया है और पांचवीं योजना में केवल 73 करोड़ रखे हैं पर कम से कम 60 करोड़ रुपया तो खर्च करने जा ही रहे हैं। यह सराहनीय कदम है। इससे लगता है कि आप हमारी पानी की समस्या का और किसी सीमा तक अकाल की समस्या का वास्तव में हल करना चाहते हैं।

राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से, वहां के निवासियों के मनोबल को बनाये रखने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी दृढ़ नहीं कि वह अकेले ही इसके निर्माण का भार वहन कर सके। केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में लेना ही चाहिए। विश्व बैंक से उसके कमाण्ड एरिया को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपया मांगा गया है। अगर यह रुपया मिल जाता है तो वास्तव में काफी महत्वपूर्ण काम हो सकता है। केन्द्रीय सरकार अगर इसको अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ावेगी तो वह योजना पूरी हो सकती है।

अभी जो समझौता मुख्यमन्त्री बरकतुल्लाखां और भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री श्री रामचन्द्रजी हरियाणा सरकार से कर आये हैं वह हमारे प्रान्त के लिये कतई हितकर नहीं है। विशेष कर हमारे पिछड़े हुए बाड़मेर इलाके के लिए। उन्होंने एग्रीमेन्ट किया है कि दो लाख एकड़ जमीन में सिंचाई के लिए हरियाणा सरकार को राजस्थान अपने हिस्से का पानी देगा। इसके लिए राजस्थान सरकार को पुनः सोचना चाहिए कि हमारा प्रान्त तो पानी के लिए तरस रहा है, हम काफी पिछड़े हुए हैं उसकी चिन्ता न करके हरियाणा प्रान्त जो काफी प्रगति इस बारे में कर चुका है उसकी जमीन की सिंचाई की चिन्ता हम पहले करते हैं। यह अपने कर्तव्य से पीछे हटना है। यह समझौता किसी तरह से भी राजस्थान के हित में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में विद्युतिकरण के बारे में भी थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। इसके बिना कृषि की प्रगति नहीं हो सकती। विद्युतिकरण की दृष्टि से बाड़मेर जैसलमेर के जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। सारे राजस्थान के 14.14 परसेन्ट के रेशो के मुकाबले में बाड़मेर में 3.7 परसेन्ट ही विद्युतिकरण हुआ है, जैसलमेर में तो यह परसेन्टेज और भी कम है लगभग एक परसेन्ट के। ये दोनों जिले सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। हमेशा युद्ध का खतरा वहां बना रहता है। लोगों के मनोबल को बनाये रखने के लिये वहां सड़कों की बिजली की, पानी की इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। बाड़मेर टाउन में तो इण्डस्ट्री भी काफी हैं और बढ़ने की बहुत सम्भावना है, पर बिजली के अभाव में वे भी अधूरी हैं। वहां जिप्सम बेस्ड और दूसरे मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज कायम हो सकती हैं, ऊन उद्योग स्थापित हो सकता

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है, चमड़ा का उद्योग भी पनप सकता है। हड्डी का कारखाना भी चल सकता है। पर इन सबके लिये इतनी बिजली कहां है? डोमेस्टिक परपज के लिये भी जो बिजली दी जाती है जनरेटरों से वे भी दस दस बारह बारह बरस के पुराने हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे वह बिजली भी पार पड़ती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देखे कि यहां बिजली का फैलाव हो। बाड़मेर टाउन की भी कोई स्कीम बनायेंगे तो दस साल में भी वहां प्रगति होना सम्भव नहीं है। वहां डीजल सेट है, ऐसा न हो कि आप नये डीजल सेट बाहर से मंगावें नहीं, यहां मिलते नहीं तो दस साल बाद जो बिजली आज मिल रही है वह भी नहीं रह सके। अगर बिजली का प्रबन्ध अभी से नहीं किया जावेगा तो दस साल बाद पानी का भी वहां अभाव हो जावेगा हाइडल बिजली वहां है नहीं। मिनिस्टर साहब से बात होती है तो वे कहते हैं थरमल एवं डीगान सेट द्वारा प्राप्त बिजली महंगी पड़ती है महंगी हैं तो भी आपको वह तो करना पड़ेगा। रेगिस्तान के रहने वालों के साथ भी आपको न्याय तो करना होगा। फिर वह तो बोर्डर इलाका है, वहां के लोगों के मनोबल को बनाये रखने के लिए भी यह तो आप को करना पड़ेगा।

अब प्रश्न होता है नर्मदा के पानी का। नर्मदा हमारे यहां आवेगी तो इसका लाभ बाड़मेर को और जालोर को मिलेगा। इसका अवार्ड अब तो प्राइममिनिस्टर देंगी। राजस्थान सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि अवार्ड जल्दी आवे और राजस्थान के केस को भी रिप्रेजेन्ट करें ठीक तरह से।

श्री केदारनाथ : यह तो टर्म्स आफ रैफरेन्स में नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर यह नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। राजस्थान नहर वहां पहुंच नहीं रही है। ट्यूब वैलस के बारे में अधिक विश्वस्त होकर चल नहीं सकते। बीस साल तक उसके भरोसे चल सकते हैं, इसके बाद क्या व्यवस्था होगी यह सोचने की बात होगी। सिंचाई का अगर पानी नहीं आ सकता है तो पीने के लिए ही राजस्थान नहर का पानी तो हमें देना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 2 मार्च को काफी भाषण दिया। उनके धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में समालोचना करते हुये कुछ शब्द निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में, जिस प्रकार जिन शब्दों में महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ, वहां सदन में उसको देखकर ऐसा लगता था, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाय और ईमानदारी से कहा जाय तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके प्रति आदर रखते हुये वे इस प्रकार की छाप हम पर छोड़ गये, इस प्रकार का मन में आता था कि इस प्रकार के अभिभाषण देने का स्वयं को कष्ट देने के लिये आवश्यकता नहीं है। उनका लिखा हुआ भाषण माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया जाय तो बहुत व्यय की बचत कर सकेंगे।

आज जब हम लोकतन्त्र में गरीबी हटाने की बात करते हैं और यह चाहते हैं कि किसी

(श्री शंकरलाल)

प्रकार का आडम्बर न हो तो राज्यपाल महोदय भी यह मानते हैं कि यहां के लोगों को कपड़ा मिलना कितना मुश्किल हो रहा है तो फिर राज्यपाल महोदय लाल कपड़े पर चलते हुये आये और अपना भाषण दें, भाषण के प्रति मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं जिस प्रकार की व्यवस्था आई अगर हम ईमानदार हैं और स्पष्ट हैं तो हमारी नीतियों के प्रति इस प्रकार की बात में हमें सोचना पड़ेगा और उसमें कटौती करनी पड़ेगी और इस प्रकार के व्यय को घटाना होगा।

अब मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर निवेदन करूं तो उन्होंने अकाल और बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा। यह सही है कि अकाल राजस्थान में भयंकर आया और बाढ़ की स्थिति से भी राजस्थान गुजरा है। पाली जिला हमारा क्षेत्र है, वहां भी अकाल आया लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार ने कुछ सहायता भी की और यह बताया गया कि सड़कों और बान्धों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय गाढ़ी कमाई का जो पैसा अकाल के अन्दर लगा और अकाल के अन्दर जो काम बनता है किस प्रकार उसका एकदम सफाया हो जाता है। आज बहुत सारे पुलिये टूट गये। उदाहरण के तौर पर पाली जिले के जौबीमा स्थान पर साढ़े आठ लाख की लागत का पुलिया बना। उपाध्यक्ष महोदय, उस पुलिया का पहली बरसात में सफाया हो गया। क्या लोकतन्त्र की सरकार उसकी जांच नहीं करेगी कि 8 लाख का कैसे सफाया हो गया। पुरानी कई पुलिया और बान्ध आज भी ज्यों के त्यों बने हुये हैं लेकिन दो-तीन वर्षों में जो कार्य हुये हैं चाहे वे कार्य विभाग के जरिये हुये हों और चाहे अकाल के मारफत हुये हों इस प्रकार लगता है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है लाखों ही नहीं करोड़ों का धन, इस जनता की गाढ़ी कमाई के धन का भयंकर दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। बरसात में कहां-कहां पुलियायें टूटी, क्यों टूट गई, इसकी कोई जांच नहीं। क्या उनमें किसी प्रकार की सामान की कमी थी या और किसी चीज की कमी थी। इसकी जांच होनी चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा और हो सकता है आइन्दा और बाढ़ आये, गरीबों को पैसे दिये यह मैं मानता हूं। उन गृहहीनों को जिनके मकान बह कर चले गये और जिनके मकानों को बाढ़ से नुकसान हुआ है उनको भी दिये हैं। पाली जिले में पैसे दिये गये हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर क्या सोचा गया कि जिन लोगों के मकान बाढ़ की जगह पर बसे हुये थे उनको दूसरे स्थान पर जमीन दी जाय। नगरपालिका की आज शक्ति नहीं है कि वह उनको दूसरी जगह बसा सके, उनकी जमीन नहीं, पंचायत की जमीन नहीं वह राजस्व की है। वे मकानों की मरम्मत करायेंगे? मैं यह भी पूछना चाहता हूं क्या भविष्य में बाढ़ नहीं आ सकेगी? उसके लिये सरकार ने क्या किया। हमने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों के मकान ढह कर चले गये इस बाढ़ से सरकार को अब सतर्कता बरतनी चाहिये कि वे मकान वापिस ढह कर न चले जाय। अगर मकान बनाना चाहते हैं पाली जिले में बान्डी नदी के आसपास और वे लोग कहते भी हैं कि हम यहां से हटना चाहते हैं, लेकिन नगरपालिका इतनी जल्दी जमीन नहीं दे सकती है।

Page No 112

(112)

(श्री शंकरलाल)

आइन्दा बाढ़ आ सकती है, अकाल राहत के कार्य वहां हो सकते हैं और जो भी आशंकायें हों उनको दूर करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में यह कहा गया 20 लाख की काप का नुकसान हो गया । शीतलहर ने सारी काप को नष्ट कर दिया । उपाध्यक्ष महोदय, इन्श्योरेन्स की फसलों की जो पालिसी है, सरकार उसको किस प्रकार लागू कर सकती है ? जहां पर बाढ़ आती है, शीतलहर आती है उनके लिये यह योजना बनानी चाहिये और साइन्टिफिक अन्वेषण किया जाना चाहिये । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, अब रही बात अपने राज्यपाल महोदय ने यह बात कही जैसा मैंने निवेदन किया पाली शहर में जहां इतनी बड़ी आबादी साढ़े आठ लाख की है वहां प्रोटेक्शन वाल स्वीकृत कर रहे हैं बाढ़ आगई और आज भी काम अधूरा पड़ा है । अगर ठीक नहीं कराते हैं तो पाली शहर में और बाढ़ आ सकती है । वहां की पुलियाओं को परमानेन्ट नहीं बनाते हैं तो आपका पूरा दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद का जो रूट है, जो हाई वे है उसको आइन्दा और नुकसान पहुंच सकता है । बाढ़ आने पर सारा आवागमन रुक सकता है । लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय पर काम हाथ में लिये जायं ।

मान लीजिये कहीं पर भी कुछ पैसा स्वीकृत हुआ है तो आप वहां के प्रतिनिधियों को जो चुने हुये एम.एल.ए. हैं, एम. पी. हैं, प्रधान हैं अगर उनसे पूछकर योजना स्वीकृत नहीं होती है तो वह पूरी बेकार ही साबित होती है । वहां के चुने हुये प्रतिनिधियों को जानकारी होती है कि कौन से काम को प्राथमिकता देनी चाहिये लेकिन यह सब न होकर अपनी मरजी से विभाग काम करता है । कहां क्या काम होना चाहिये विभाग को इसकी जानकारी नहीं होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा, आज महंगाई के बारे में, प्राइसेज के बारे में, यहीं नहीं सारे देश में हा-हा कार मचा हुआ है । हमारे यहां पाली जिले में हड़ताल हुई और महंगाई के कारण हुई । अखबारों में आपने पढ़ा होगा रानी में छात्रों ने उपद्रव किया जेतारण में छात्रों ने उपद्रव किया और इस कारण 34 छात्रों को जेल में भी जाना पड़ा । बहुत मुश्किल से स्थिति नियंत्रण में आई । हड़ताल और बन्द समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यह सही है कि हड़ताल और बन्दों से जो पूर्ण अहिंसा के तरीके से हो तो उसका असर लोकतन्त्र की सरकार पर पड़ता है । अगर हिंसा नहीं है तो आन्दोलनों का अधिकार जो महात्मा गान्धी ने बात कही है उसके लिये तैयार रहना पड़ेगा । मूक रूप से अहिंसक आन्दोलन होते हैं तो जनतान्त्रिक सरकार में यही अपनी बात मनवाने का एक रास्ता है । आप कहते हैं, हड़तालें और बन्द नहीं होने चाहिये, मैं इस बात को नहीं मानता राज्य सरकार के दिमाग में बात आती है, लेकिन इसी तरीके से आती है । जयपुर शहर में तीन किलो से 6 किलो राशन देने की बात आती है, क्योंकि यहां आन्दोलन की बात आती है । जहां के लोग मूक होते हैं वहां सरकार नहीं सुनती है गांवों में भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि गांव के लोग हड़ताल नहीं करते इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री शंकर लाल)

यह स्वीकार नहीं करता कि हड़ताल और बन्द से काम नहीं होता है। काम अवश्य होता है। अगर अहिंसक तरीके से हो तो सरकार पर उसकी छाप अवश्य पड़ती है, यह जरूर है कि हिंसा किसी भी तरीके की न अपनाई जाय। अहिंसक आन्दोलन होने चाहिये उस स्थिति को समझकर राज्य के जो चुने हुये आदमी हैं उनका इन्वोल्वमेंट होना चाहिय। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के अन्दर रसद के वितरण के लिये उचित व्यवस्था करने के लिए वितरण के लिये सहकारी समितियां बनाई लेकिन क्या सरकार ने इस बात की जांच की कि वहां के जिलाधीश ने कोई उनकी मीटिंग बुलाई। वहां के एम. एल. ए. चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे वहां के प्रधान किसी भी पार्टी के हों लेकिन क्या उनको कान्फीडेन्स में लेकर कभी विचार किया कि किस जिले में वितरण की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए ? यदि वह ऐसा करते कि इतना कोटा आया है और इतनी मांग है और हम क्या करें क्या इसके ऊपर कभी विचार किया गया ? नहीं किया गया और वह कमेटी केवल नामों में ही रहती है और उनकी मीटिंग नहीं होती है। यही नहीं आप तहसील लेवल पर और गांव लेवल पर और इस प्रकार के चुने हुए आदमियों को चाहे सरपंच हो, मुखिया हो और इस प्रकार की समितियां होती हैं तो आपका जो राशन जाता है उसके अन्दर भ्रष्टाचार कम होने की सम्भावना होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे कई ऐसे उदाहरण मालूम हैं कि जो लोग एक जिले से राशन लेते हैं और वहीं पर काले बाजार में बेच देते हैं और गांव वालों को नहीं मालूम कि माल मिला या नहीं। मैं जाजनवास गांव का उदाहरण देना चाहूंगा, यदि माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच कराना चाहें तो। जाजनवास के अन्दर दो तीन महीनों का कोटा नहीं मिला है और व्यापारी ने उस माल को जो कि वहां वितरित होना चाहिए था उसको काले बाजार में जेतारण में बेच दिया और गांव वालों को कह देता है कि कोटा नहीं मिला। इसमें सरकार की गलती नहीं, लेकिन सरकार की व्यवस्था की गलती है, वितरण प्रणाली की गलती है। पहले तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को कोटा दीजिए लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास पैसा नहीं होता है और वहां के अधिकारी कह देते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी इसके लिए सक्षम नहीं है वह धान नहीं उठा सकती, चीनी नहीं उठा सकती इसलिए व्यक्तिगत डीलर्स को देंगे। तो आप व्यक्तिगत डीलर को देंगे तो फिर उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी और संभावना रहेगी। उनको बैंक की फैसेलिटीज नहीं है। सरकार को कोआपरेटिव सोसाइटीज की मदद करनी चाहिए। कोआपरेटिव को यदि आप वितरण की व्यवस्था सौंपना चाहते हैं तो क्या उनके लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती ? जो कोटा दिया जाये यदि उस कोटे की सूचना वहां के सरपंच को हो, वहां के पटवारी को हो, मुखिया को हो तो इसकी कापी उनके पास जाये और यदि उसमें घोटाला होता है तो वह कह सकते हैं कि जो चीनी मिली और राशन मिला वह कहां गया ? लेकिन इसकी कोई सूचना वहां के लोगों को नहीं होती इसलिए तहसील और गांव लेवल पर जिन प्रतिनिधियों की कमेटी होनी चाहिये और उनकी मारफत वितरण की व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है कि आप इस व्यवस्था को सुधार सकें।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी जानते हैं कि कई गांवों के अन्दर रेवड़ को लेकर लोग चले गये और उनके राशन कार्ड व्यापारियों ने अपने पास रख लिये और उनका सामान काला बाजार में बेच दिया। इतना ही नहीं शहरों में जयपुर, जोधपुर और पाली मे कई जगह सरकारी अधिकारी जिनका तबादला हो जाता है उनका राशनकार्ड दूसरों को मिल जाता है वह वहां जाकर नया राशन कार्ड बना लेते हैं और जनसंख्या कितना है और राशनकार्ड कितने हैं इसकी जांच सरकार ने की लेकिन इसके ऊपर सरकार काबू नहीं कर पाई। आज हजारों फर्जी राशनकार्ड बने हुए हैं और उनका माल जमाखोरों के पास पहुंच जाता है और वह कालाबाजारी करते हैं। सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती। अगर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती कि कोई व्यापारी अपने पास राशनकार्ड नहीं रखेगा और जो फेमिली का आदमी आयेगा वही राशन ले जा सकता है, दूसरों को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक फर्जी माल उठेगा और ब्लैक मार्केटिंग होगा और वितरण व्यवस्था के अन्दर कोई सुधार नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जमाखोरी की बात कह सकते हैं। राजस्थान का उत्पादन देखिये। आज हम केवल भारत सरकार से कोटा मिलने की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार ने कोटा इतना ही दिया इसलिये इतना ही दे सके। तो क्या भारत सरकार बिलकुल नहीं देगी तो क्या राजस्थान की जनता भूखों मरेगी? राजस्थान के अन्दर कई जिलों के अन्दर अच्छा उत्पादन होता है। गंगानगर में होता है और पाली जिले के अन्दर भी यदि शीतलहर नहीं होती तो पाली जिले में सिंचित जमीन के अन्दर इतनी पैदावार होती कि मैं कह सकता हूं कि कुछ समय के लिए राजस्थान को व्हीट दे सकता था। इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर उत्पादन की क्षमता को देखते हुए हम केवल भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहें यह उचित नहीं हैं। एक तरफ लेवी लें और फिर एफ.सी.आई. की बात करें। 72 में वह अनाज ले और वही अनाज 100 रु. में दे–मैं कह सकता हूं कि एफ.सी.आई. खुद पब्लिक डीलिंग का धन्धा करना चाहती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार के सामने रखा है और निर्णय लिया है कि एफ. सी. आई. का डीसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह हो या नहीं हो, लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन है एफ.सी.आई. का सारा धन्धा उसको दिया जाय। आलरेडी हमारे पास इन्स्टीट्यूशन हैं फिर क्यों एफ. सी. आई. जैसी भ्रष्ट संस्था जिसके लिये पार्लियामेंट में क्वेश्चन होते हैं और वहां के कर्मचारी बोलते हैं ऐसी संस्था को आप धन्धा करने के लिये क्यों देते हैं? आप उसके धन्धे को लेकर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को दीजिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कदम उठाये और रसद अधिकारियों के तबादले किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे बहुत कुछ कहना है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि रसद

(श्री शंकरलाल)

अधिकारियों के तबादले ठीक हैं, लेकिन यह समस्या का हल नहीं है । आज हमने अखबारों में पढ़ा कि लखनऊ के अन्दर, बरेली के अन्दर और जगह-जगह कई सप्लाईज के राशन अधिकारियों को सस्पेण्ड किया गया, कम्पलसरी रिटायरमेण्ट किया गया । आपको मालूम है कि यह रसद अधिकारी जो करते हैं क्या उसका हल केवल तबादला करके करना चाहते हैं? आप उनको सस्पेण्ड कीजिए, कम्पलसरी रिटायरमेंट कीजिए । आपके एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर और ऑफिसर्स जहां पैसा कमाने की गरज से नौकरी करते हैं-आज कहा गया कि जयपुर के अन्दर ऐसे जमाखोर को पकड़ा जिसने कि 67 लाख रुपये का तस्करी का व्यापार किया और ऐसा उसके रेकार्ड से पता लगा । मैं कहता हूं कि क्या यह काला बाजारी एक दिन में ही हो गई ? जब साल दो साल से होती रही तो कौन उस क्षेत्र का अधिकारी था ? कौन डी. एस. ओ. था ? किस के एरिया में यह आता था ? सस्पेण्ड कीजिए उसको । और न जाने इतने कितने घोटाला करने वाले हैं । यह तो पकड़ा गया और यह भी मालूम हुआ और मुख्य मंत्री जी की इनफार्मेशन पर पकड़ा । लेकिन हमारी मशीनरी क्या करती है ? हमें मानना पड़ेगा कि हमारा उत्पादन नहीं होने से कमी आती हो लेकिन साथ ही उत्पादन होते हुए, चीजें होते हुए वितरण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार है उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर सकते, जमाखोरों को दण्ड नहीं दे सकते तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । कल हमने अखबारों में पढ़ा क गवर्नमेन्ट ने ऐडल्ट्रेशन करने वालों के लिए केपिटल पनिशमेंट रखा है और उनके लिए मौत की सजा रखी है । आज दवाइयों की बात की जा रही थी कि ऐसे इन्जेकशन आते हैं कि जिससे मरीजों को काफी नुकसान होता है । फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्दर संशोधन करने के लिए पार्लियामेन्ट तक को आप अधिकार दीजिये यदि हम कुछ नहीं करते तो । इस सदन के मारफत मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से कहना चाहता हूं एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान लाया जाये कि दवाइयों के अन्दर जो एडल्ट्रेशन करता है वह जीवन मे खिलवाड़ करता है और उसको मौत की सजा होनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, क्या मजाक है कि एडल्ट्रेशन नहीं रुक सकता । हमने कल रेडियो पर सुना कि दिल्ली के अन्दर मिर्चों के अन्दर मिलावट करने वाले एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा और 1500 रुपया जुर्माना किया । बहुत बड़ी बात हो गयी । इससे काम नहीं चलेगा । बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, बीमारी का इलाज दवाई से नहीं हो सकता है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहा गया कि छोटे विक्रेताओं का दोष नहीं है । जो मैनुफैक्चरार हैं और जो एडल्ट्रेशन करते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए । तो जिनके पास में माल पकड़ा जाये वह भी तो दोषी है । आज दूध बेचने वाला पानी मिलाता है और फिर वही दूध वह मिठाई वाले को देता है और वहां से शीशी भरी जाती है तो चालान मिठाई वाले का होता है और उस गवाले का भी होता है । इसके लिए भी हमें एक्ट में अमेन्डमेंट लाना पड़ेगा । आप देखिये कि राजस्थान में इस कानून को ला सकते हैं या नहीं । वास्तव में जो दोषी है उसको दण्ड मिलना ही चाहिये । इसलिए, उपाध्यक्ष

(श्री शंकर लाल)

महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि आप जो भी कार्यवाही करें वह सख्ती से करें। साथ में मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए रिमूवल आफ ग्रिवान्सेस कमेटी डिस्ट्रिक्टवाइज बनी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय उसकी कितनी कमेटियां हुई, कितने ग्रीवन्सेज रिमूव किए, कितना करप्शन मिटाया। एस.पी. कलेक्टर और वहां के एक-दो एम.एल.ए. उसके मैम्बर हैं। मैं कहता हूं कि इसमें क्या फर्क पता है अगर चुने हुए पूरे एम.एल.एज. ही उसके मेम्बर हों और उसके चेयरमैन भी हों। आप हरएक कमेटी का चेयरमैन कलेक्टर को बनाते हैं। चाहे वह रसद की कोई कमेटी हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट की कमेटी हो, और चाहे कोई ग्रिवन्सेज की कमेटी हो, चाहे एम्प्लायमेंट की कमेटी हो। उसके पास बहुत बड़ा काम का ढेर लगा रहता है। उसको पता ही नहीं कि वह कितनी कमेटियों का चेयरमैन है और कितनी कमेटियों की मीटिंग बुलाता है। क्या आपको दिक्कत है इसमें अगर आप किसी भी चुने हुए आदमी को उसका चेयरमैन बनाते हैं तो ? क्यों नहीं आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि को यह काम सौंपते, चाहे वह एम.एल.ए. हो चाहे वह जिला प्रमुख हो, ऐसे आदमी जो जनता के वोट से चुन कर आए हैं और चुन कर आने से एम.एल.ए. बने हैं और एम. एल. ए. से मिनिस्टर बनते हैं। एम एल. ए. से मिलाकर पार्टी बनती है और पार्टी में से ही मिनिस्टर बनते हैं तो आखिर उनकी भी जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, उनको अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका दीजिए। हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन एस.पी. और कलेक्टर मिल कर करप्शन नहीं मिटा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक बात यहां पर कही गई सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि डी.पी.सी. के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाया जाय जिससे कर्मचारियों के प्रमोशन, अपोइन्टमेंट के अन्दर न्याय होने लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डी.पी.सी. का हाल सुना है उससे मालूम होता है कि इससे तो उल्टे लालफीताशाही ही बढ़ी है, करप्शन ही बढ़ा है। आप प्रमोशन देते हैं कौन्फिडेन्शियल रिपोर्ट के ऊपर। आज लोकतंत्र के अन्दर आप गोपनीय प्रतिवेदन पर प्रमोशन देते हैं। गोपनीय प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, कैसे होते हैं यह हम भी जानते हैं। हमने भी कुछ अर्से के लिए सरकारी नौकरी का जायजा लिया है। अगर आप अफसर को सलाम करते हैं, अफसर की चमचागिरी करते हैं, आप अपनी ड्यूटी का अंजाम नहीं देवें लेकिन अगर अफसर का घर का काम करते हैं तो आप मोस्ट कांपीटेंट हैं, होनेस्ट हैं। लेकिन आज उसका काम नहीं करते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, अफसर को सलाम नहीं करते, उसके घर पर जाकर उनकी बीवी को खुश करने के लिए बाजार से सामान लाके नहीं पहुंचाते तो मोस्ट इन्काम्पीटेन्ट, बिलो लेबल। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कांफिडेंशियल रिपोर्ट के

(श्री शंकर लाल)

आधार पर डी.पी.सी. प्रमोशन देती है, क्या यह न्याय है? आज के जमाने के अन्दर कान्फिडेंशियल रिपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। आप ओपन रिपोर्ट रखिए। क्या काम किया है, कितना क्वान्टम आफ वर्क उसके पास है और कितना डिस्पोज्ड आफ करता है, कितनी ड्यूटी बजाई है, कितना भ्रष्टाचार रोकने में कलेक्टर और एस.पी. सक्षम हुआ है। कितना उसका काम पेंडिंग रहता है। कितनी फाइलें उसने दबाई हैं। कई फाइलें जो बाद में आई वह निकल जाती हैं लेकिन पीछे की पड़ी रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई प्रमोशन कान्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर नहीं होकर उसके काम के आधार पर होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी डेवलपमेंट के बारे में एक बात कही गई। इसके बारे में अभी कान्फ्रेंस भी हुई थी और इस तरह की बातें कही गई कि बड़ा भारी काम हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस प्रोग्राम को चलाते हुए कुछ क्षेत्रों को क्यों भूल जाते हैं। पाली जिले में डेयरी डेवलपमेंट के काम की बहुत बड़ी गुंजाइश है। खारची पंचायत समिति का दूध वहां के ग्वाले जोधपुर लेजा कर बेचते हैं और जोधपुर वाले उसका मावा बनाते हैं लेकिन ग्वालों को जोधपुर ले जाना पड़ता है दूध। पाली में डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम नहीं होगी, लेकिन जोधपुर में होगी। वहां पर भी हो इसमें मुझे ऐतराज नहीं है, होनी चाहिए और होगी लेकिन क्यों नहीं पाली जिले को भी इन्क्लूड किया जाता है। क्यों नहीं वहां के ग्वालों को वहां के दूध उत्पादकों को चाहे वह खारची तहसील के हों, चाहे जैतारण के हों, चाहे पाली में रहते हों, उनको सुविधा प्रदान करते हैं। आप अमूल को देखें। मैंने स्वयं गुजरात के अन्दर जाकर देखा है। अमूल की डेयरी की गांवों में कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वे खुद अपनी भैंसों का दूध सोसायटीज की मार्फत वहां पर लाकर जमा करते हैं तो उनको उसी वक्त पैसा मिल जाता है। उसको लेक्टोमीटर से नाप कर दूध की असलियत मालूम की जाती है और दूध की असलियत के अनुसार उनको पैसा मिल जाता है। उनकी दवाइयों की, उनके धन की, उनके देखभाल की व्यवस्था डेयरी करती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप डेयरी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि आप क्षेत्रों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दें।

आज फर्टीलाईजर की बात कही गई, उपाध्यक्ष महोदय। राज्यपाल महोदय ने कहा कोटा में फर्टीलाईजर और यूरिया की प्राइवेट सेक्टर के अन्दर क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट सेक्टर में यूरिया के ज्यादा उत्पादन की अनुमति दी गई है। लेकिन क्या आप ने कभी यह भी देखा है कि प्राईवेट सेक्टर में जो फर्टीलाईजर का उत्पादन होता है उसके वितरण में कितना करप्शन होता है? आज चाहे जिसको वह अपना एजेंट मुकर्रर करते हैं, चाहे जिसको माल देते हैं। यूरिया का उत्पादन बढ़ा कर चाहे जिस भाव में बेचते हैं लेकिन कोई पूछता नहीं। आप काश्तकार की भलाई की बात कहते हैं लेकिन काश्तकार को कितना फर्टीलाईजर मिल पाता है। एक दफा कहा था हमारे लेट मुख्य

(श्री शंकर लाल)

मंत्रीजी ने कि जो किसान अनाज देने को तैयार हैं, यह घोषणा की थी विधान सभा के अन्दर माननीय बरकतुल्ला खां साहब ने कि उनको मोटा कपड़ा परमिट से मिलेगा, उसको फर्टीलाईजर मिलेगा, उसको सीमेंट मिलेगा और दूसरी जरूरत की चीजें मिलेंगी। क्या मुहैय्या कराई सरकार ने। सरकार मुहैय्या करा सकती है लेकिन नियंत्रण नहीं है। आज तीन एजेंसी लगा रखी हैं। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अलग माल देते हैं। क्रय-विक्रय संघ अलग एजेंट हैं और माननीय उपाध्यक्ष, प्राईवेट एजेंटों के मार्फत अलग से दिया जा रहा है। इसमें आपका एग्रोइण्डस्ट्रीज सर्विसेज, जिन्होंने अपने सर्विस सेंटर खोले हैं, इसमें एग्रोइन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन अलग आते हैं। आज फर्टीलाईजर की मांग बढ़ रही है, लेकिन उसके वितरण में कितना भ्रष्टाचार है यह आपको मालूम है। आज हमारे किसान फर्टीलाईजर अधिक प्रयोग करने के इच्छुक हैं, चाहते हैं कि हमको खाद मिले लेकिन मिलता नहीं है। आज बड़े 2 काश्तकार जो जवाई बांध के अन्दर आते हैं उनको फर्टीलाईजर मिल जाता है लेकिन छोटे किसानों फर्टीलाईजर नहीं मिलता है। इसलिए फर्टीलाईजर की जो बात माननीय राज्यपाल महोदय ने कही है, मैं निवेदन करूंगा कि फर्टीलाईजर के उत्पादन की क्षमता आप बढावें, कोटा के अन्दर कारखाना और लगावें और राजस्थान के अन्दर जरूर एक ऐतिहासिक चीज हो लेकिन उसके वितरण की व्यवस्था ठीक हो और वह काश्तकार के पास तक पहुँचे। आप क्यों नहीं पंचायत और पंचायत समितियों के मार्फत इसके वितरण की व्यवस्था करते? उनको मालूम है कि कितना प्रोडक्शन एरिया है, अपने क्षेत्र के अन्दर कितना इर्रीगेटेड एरिया है, काश्तकार की पास बुक से पता लग जावेगा कि उसके पास कितनी जमीन है और उसको कितने फर्टीलाईजर की आवश्यकता है और उसी माफिक उसको फर्टीलाईजर दीजिए। वरना होता यह है कि जिसको जरूरत है उसको मिलता नहीं है और जिसको जरूरत नहीं है वह लेकर उसका दुरुपयोग करता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, केवल उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा उसके वितरण की प्रणाली को भी ठीक करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं धन्यवाद देता हूं कि सिरोही और पाली के अन्दर सीमेंट के कारखाने की बात कही गई। पाली के अन्दर जो लेटर आफ इण्डेन्ट दिया गया है वह तो आगे आने वाला जमाना ही बताएगा कि किस प्रकार से वहां की उन्नति होती है और किस प्रकार का विकास होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बेरोजगार आदमियों को स्टाइपेण्ड देने की बात कही है। आज उनको स्टाइपेण्ड तो दिया जा रहा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनको एम्पलायमेंट देने की बात क्यों नहीं की जाती है? आज हम देखते हैं कि जितने दूसरे कारखाने हैं, गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स हैं उनमें आप इनके लिए कोटा क्यों नहीं मुकर्रर करते हैं? क्या जो प्रणाली लागू है उसके अनुसार कोटा पूरा हो रहा है। क्यों नहीं उनको काम पर लगाया जाता है। आज जो उनको घर बैठे पैसा देने की प्रवृत्ति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं।

Page No 119

(119)

(श्री शंकर लाल)

यह आप लोगों को बेरोजगार बैठे रहने की आदत डालते हैं लेकिन उनको उत्पादक कार्यों पर नहीं लगाते। घर बैठे 2 उनको स्टाइपंड देने से उन लोगों की समस्या हल होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कितने एम्पलायमेंट एक्सचेंज की मार्फत अपोइन्टमेंट होते हैं। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के मार्फत कोई एडवरटाइजमेंट आता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आज एक बेरोजगार इंजीनियर है, बी.एस.सी. है, डिप्लोमा होल्डर है, चाहे दूसरा डिग्री हासिल किया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिए। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5 मार्च, 1974 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे मंगलवार दिनांक 5 मार्च, 1974 को म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 120

(120)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

पाली जिले को गत 3 माह में खाद्यान्न का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है:--

माह	गेहूं	माईलो	चना
दिसम्बर-73	600	-	-
जनवरी-74	500	-	-
फरवरी-74	500	500	220.5
कुल योग	1600	500	220.5

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण प्रश्न काल में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

बाड़मेर जिले की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल

6. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में कितनी तहसीलें हैं और उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल क्या क्या हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर तहसील की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए कम से कम दो तहसीलों में विभाजन करना उचित समझती है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) जिले में 5 तहसीलें हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जिलाधीश को मामले के परीक्षण हेतु लिखा जा रहा है। प्रस्ताव आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सूची

	नाम तहसील	जनसंख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर्स में)
(1)	बाड़मेर	361516	1136131
(2)	शिव	57945	661648
(3)	चौहटन	133161	469196
(4)	शिवाना	98142	204515
(5)	पचपद्रा	124041	345668
	योग—	774805	2817158

आवश्यक वस्तुओं का अन्य राज्यों को निर्यात

7. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कुछ राज्य सरकारें अपने राज्य में उत्पादित दैनिक आवश्यक वस्तुएं अन्य राज्यों में तब तक नहीं भेजती जब तक कि स्वयं उस राज्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अन्य प्रान्तों का अनुकरण कर राज्य से खाद्य, सीमेन्ट, वनस्पति घी आदि की निकासी तब तक के लिये बंद करने का विचार रखती है जब तक हमारे राज्य की जनता की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

अन्य राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य में उत्पादित दैनिक आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य, सीमेन्ट, वनस्पति आदि की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं का वितरण केन्द्रीय सरकार की नीति के आधार पर होता है।

नानाजी की हवेली में बाजार बनाने की योजना

8. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जयपुर नगर विकास न्यास की तरफ से जौहरी बाजार स्थित नानाजी की हवेली में बाजार बनाने की योजना किस वर्ष में प्रारम्भ की गई थी ? अब तक इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और कितनी दुकानें बन चुकी हैं ? और इन दुकानों को आवंटित करने का तरीका क्या है ? इस योजना को क्रियान्वित करने में जो विलम्ब हो रहा है उसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

नानाजी की हवेली में बाजार बनाने की योजना सन् 1961 में प्रारम्भ हुई। अब तक 2,08,776 रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है और 21 दुकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस समय जौहरी बाजार स्थित दुकान जिसमें से होकर नानाजी की हवेली में मुख्य बाजार से रास्ता दिया जाना है उसका मामला सम्पदा अधिकारी के यहां चल रहा है जिसके निर्णय के उपरान्त ही आवन्टन करने के तरीके पर विचार करना सम्भव होगा।

पंचायत समिति, सूरतगढ द्वारा खाद एवं बीज का वितरण

9. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पंचायत समिति, सूरतगढ़ जिला गंगानगर द्वारा वर्ष 1965–66 में बीज और खाद किसानों को उधार खाते दिया गया ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की सूची मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे कि उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कलेक्टर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ में यह आपत्ति पेश की कि उन्होंने बीज या खाद कभी नहीं लिया।

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आपत्तियों पर कलेक्टर, श्रीगंगानगर आदि ने कोई कार्यवाही नहीं की और उन किसानों से जबरदस्ती वसूली की गई।

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच करायेगी। यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों।

(स्थगित किया गया)

मांडल की कृषि भूमि का परिवर्तन

10. श्री विजयसिंह राठोड (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रश्न सं. 871 दिनांक 30 मार्च, 1973 के उत्तर में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि तहसील माण्डल में अजमेर-भीलवाडा सड़क के मान्डल चौराहे की कृषि भूमि आवादी भूमि में परिवर्तित करदी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि मैंने उक्त आश्वासन के लिए तत्कालीन राजस्व मंत्री को दिनांक 2 जून, 1973 को लिखित में याद दिला नियमन करने हेतु निवेदन किया था जिस पर उन्होंने जिलाधीश, भीलवाडा से टिप्पणी मांगी थी ?

(3) क्या उनके (तत्कालीन राजस्व मंत्री जी के) 2 जून, 1973 के उक्त आदेश का पालन जिलाधीश, भीलवाड़ा ने किया है ? यदि किया है, तो क्या टिप्पणी है ? कब पालन किया ? और इस परिवर्तन के लिए अब राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, जिलाधीश को जांच हेतु लिखा गया था।

(3) जी हां, कलेक्टर ने उक्त आबादी को नियमन योग्य नहीं बताया है।

केकड़ी में यूरिया खाद का वितरण

11. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामधन हंसराज फर्म केकड़ी को सन् 1973 में कितना यूरिया खाद डी. सी. एम. कोटा से मिला ? क्या उन्होंने इस खाद का वितरण नियमित परमिटों द्वारा किया ?

(2) क्या यह सही है कि मेवदा कलां एवं अन्य ग्रामीणों ने उक्त फर्म के विरुद्ध चोर बाजारी करने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) प्रासंगिक फर्म को 1973 में डी. सी. एम. कोटा से 90 टन यूरिया खाद प्राप्त हुआ जिसका वितरण परमिट द्वारा किया गया ?

(2) जी हां। विभाग द्वारा जांच चालू है तथा निकट भविष्य में जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(124)

ग्राम बकानी की नल योजना

12. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बकानी ग्राम नल योजना (जिला-झालावाड़) की अंशदान की रकम जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो योजना की स्वीकृति हुई या नहीं ?

(2) उक्त योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां, योजना की स्वीकृति रुपये 4,87,000।- की लागत की जा चुकी है।

(2) उक्त योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

मांगरोल पंचायत का नगरपालिका में परिवर्तन

13. श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

श्री शिवनारायण (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मांगरोल ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस ग्राम पंचायत को अब तक नगरपालिका में क्यों नहीं बदला गया ? अब कब तक इसे नगरपालिका घोषित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। पंचायतों के चुनाव होने से। पंचायतों के चुनाव के बाद निर्णय लिया जावेगा।

निदेशक के विरुद्ध मामला

14. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के निदेशक के विरुद्ध गबन का कोई केस चल रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और वह केस कब से विचाराधीन है ?

(2) उक्त निदेशक ने पिछले पांच वर्षों में सरकारी यात्रा कहां कहां की और इन यात्राओं में कितना भत्ता (टी.ए. और डी.ए) उठाया और ये यात्रायें किस वाहन से की गई ? कृपया विस्तृत सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें। तथा इन्होंने जयपुर और अजमेर की सरकारी यात्रा कब कब की और यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निदेशक ने अपनी जन्म तिथि बदलवाई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? इनके मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रतिवेदन करने के फलस्वरूप

(श्री खनिज मंत्री)
श्री सेठी के विरुद्ध राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय जांच की जा रही है।

(2) निदेशक द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई सरकारी यात्राओं का विवरण संलग्न है। जो टी. ए. बिल-वाँइज है।

(3) जन्म तिथि बदलवाने का प्रार्थना-पत्र दिया था जो अस्वीकृत कर दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भेड़ों के लिये चरागाह

15. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खरीफ फसल के दौरान सीकर, झुन्झुनू, चूरू आदि जिलों की भेड़ बीकानेर जिले के पूगल एवं कोलायत क्षेत्रों में चरने हेतु प्रति वर्ष लायी जाती हैं जिससे वहां पर आये दिन लड़ाई दंगे होते रहते हैं एवं शांति को खतरा बना रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि अगले 1–2 वर्षों में उपरोक्त क्षेत्र राजस्थान नहर से सिंचित होने के पश्चात भेड़ों के चरने हेतु उपलब्ध नहीं होगा ? अगर हां, तो क्या सरकार ने भेड़ों के लिये चरागाह समस्या के समाधान हेतु कभी विचार किया ?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में कथित लड़ाई दंगों की कोई शिकायतें भेड़ व ऊन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) अभी ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है।

भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजों के मामले

16. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर के छोटे भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजों के काफी मामले अभी तक निपटाने शेष हैं ? अगर हां, तो कितने एवं कब से निर्णीत होने को पड़े हैं ?

(2) छोटे जागीरदारों के मुआवजों के निपटारे में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं ? उनका समाधान किसी प्रकार कर के ऐसे मामलों का निपटारा कब तक करा दिया जायेगा ?

(3) जिला जालोर में भूतपूर्व जागीरों के मुआवजों के कितने मामलों में बॉन्ड्स तकसीम करने शेष हैं ? बाण्ड्स भूतपूर्व जागीरदारों को कब तक वितरित कर दिए जावेंगे ? इतने दिनों तक बाण्ड्स वितरित न करने के क्या क्या कारण थे ?

(4) जागीर बाण्ड्स पर ब्याज देने के जिला जालोर के कितने मामले शेष हैं ? उनका निपटारा कब तक करवा कर ब्याज की रकम का भुगतान करवा दिया जायेगा ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल 1 दावा निपटाना शेष है जो उत्तराधिकारी नियुक्त होने के अभाव में शेष है ।

(2) उत्तराधिकारी नियत करने की कार्यवाही चल रही है। जैसे ही उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र पेश हो जायेगा मामला निर्णीत कर दिया जायेगा ।

(3) 693 मामलों में बाण्ड्स वितरण करना शेष है। अधिकांश बांड्स मृतक जागीरदारों के हैं, जिनके उत्तराधिकारी होने पर बान्ड्स पर उत्तराधिकारी के नाम का एन्फेसमेन्ट होने पर वितरण किये जायेंगे।

(4) केन्द्रीय कार्यालय में 22 मामले शेष हैं, इनको निपटाने की कार्यवाही चल रही है। जिला जालौर में बाण्ड्स ब्याज बाबत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम केरू की खानों का अलाटमेंट

17. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव केरू तहसील जोधपुर में पत्थर की कितनी खानों के प्लाट बनाये गये हैं व किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी खानें अलॉट हुई । सूची नाम, जाति एव गांववार देने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जो लोग हाथ से पत्थर काटने का काम करते हैं उन्हें प्लॉट नहीं देकर ऐसे व्यक्तियों को दिये गए हैं जो न तो इस गांव के हैं और न पत्थर काटने का काम कर सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों व ठेकेदारों को प्लॉट दिये गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उस स्थान पर जहां हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते हैं, पत्थर ले जाने हेतु पक्की सड़क बनाई हुई नहीं है और न पानी एवं बिजली की व्यवस्था है ? क्या खनिज विभाग इस ओर ध्यान देकर सड़क एवं पानी की व्यवस्था करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) केरू गांव क्षेत्र में खानों के लिये 1170 प्लाट बनाए गये हैं। 532 खानों के प्लाट दिये जा चुके हैं व अभी भी कुछ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। नियमानुसार अलाटमेंट्स किये गये हैं।

(3) यहां लगभग 500 मजदूर कार्य करते हैं। जोधपुर से फिदूसर तक पक्की सड़क है व फिदूसर से केरू तक ग्रेवल रोड बनी हुई है। इस क्षेत्र में खानें अभी स्वीकृत की जा रही हैं, जब खनिज लेवी बिजली की आवश्यकता महसूस करेंगे तो उचित व्यवस्था के लिये बिजली विभाग से निवेदन कर दिया जावेगा । पीने के पानी की व्यवस्था सार्वजनिक कुओं के माध्यम से है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लोटरी योजना के अन्तर्गत बचत

18. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान स्टेट लोटरी योजना के अन्तर्गत 1973 की साल में क्या बचत रही ? तथा 1973 में लोटरी के ड्रा में से लाख रुपये के ऊपर किस किस को इनाम मिला ? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट लोटरी योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-1-73 से 31-12-73 तक टिकिटों की बिक्री से रुपये 20.36 लाख की बचत रही। इस अवधि में सम्पन्न हुये ड्राज में एक लाख से ऊपर की राशि के पुरस्कार पाने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

दिनांक 1-1-73 से 31-12-73 तक एक लाख रुपये से अधिक राशि के पुरस्कार विजेताओं की सूची

क्र. सं.	ड्रा. सं.	ड्रा का दिनांक	पुरस्कार राशि (रुपये)	पुरस्कार विजेताओं के नाम व पते
1.	12वां	7-4-73	दो लाख	श्री अलाउर रहमान पुत्र श्री मो. महबूब अली, शाहपुर पटोरी, पो. आ. पटोरी, जिला समस्तीपुर (बिहार)
2.	32वां	7-4-73	दो लाख	श्री गंगू राम हासीजा, हासीजा बूट हाउस, गुड़गांव (हरियाणा)
3.	39वां	14-11-73	पांच लाख + एक एम्बेसेडर कार या रु. 25,000)	श्री लालजी बोरसिया पुत्र श्री सुगलाम बोरसिया, सं. 67।131 ए, ईश्वर गंगी, वाराणसी (उ. प्र.)

प्रधान, पंचायत समिति, देवली द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि

19. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला प्रमुख आदि के लिए कोई टी. ए. व डी. ए. के रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 22-6-73 को प्रधान, पंचायत समिति, देवली को यात्रा भत्ते के रूप में 1066.18 पैसों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो यात्रा भत्ते के बिल की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त बिल का भुगतान नियमानुसार किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यात्रा भत्ते के बिल की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में पशु विकास पर व्यय की गई राशि

20. श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चूरू जिले में पशु विकास एव दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिये अब तक क्या क्या उपाय किये गये हैं ? उनका परिणाम क्या हुआ ? इस पर कितना रुपया किस वर्ष खर्च किया गया ?

(2) भविष्य में इसके लिये क्या योजना है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में पशु विकास एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिये विशेष योजनायें तैयार की गई हैं, जिनमें संकर प्रजनन, पशु चिकित्सा, संतुलित आहार आदि की व्यवस्था भी शामिल है। इन योजनाओं पर अलग 2 वर्षों में खर्च होने वाले रुपये का विवरण एकत्रित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) विशिष्ट योजना संगठन में चूरू जिले के विकास के लिये निम्नलिखित योजनायें बनाई जा रही हैं:-

(1) डेरी के विकास के लिये सरदार शहर में एक अभिशीतन केन्द्र (Chilling Plant) स्थापित करने की योजना है। इस पर लगभग दस लाख रुपये का व्यय होगा।

(2) भेडों के विकास के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

उपरोक्त दोनों योजनायें ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम (Drought Prone Area Programme) के अन्तर्गत बनाई गई हैं और इसमें पैसा भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत होने पर ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मिलेगा।

परबतसर तहसील की जल वितरण योजना

21. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में परबतसर तहसील (बांका पट्टी) जल वितरण योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी तथा इसमें से कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों को पानी दिया जावेगा ? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त योजना में ऐसे ग्राम भी हैं जिनको अभी तक पानी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और अब उन ग्रामों को पानी कब तक दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पट्टी डोबरीया में नल कूप बनाये हैं ? यदि हां तो पट्टी डोबरीया में नलकूप होते हुए भी उस ग्राम की जनता को पानी नहीं दिया जाता ? इस ग्राम को पानी कब दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बांका पट्टी 55.74 लाख रु. की लागत की स्वीकृत की गई थी। इस पर जनवरी, 74 तक कुल 57.16 लाख रु. खर्च किया जा चुका है। योजना में स्वीकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। सिर्फ एक ग्राम डोबरी पट्टी को जल वितरण नहीं किया जा रहा है। उक्त ग्राम में स्थित नल कूप का विद्युत सम्बन्ध होते ही जल वितरण चालू किया जा सकेगा।

(3) जी हां। उक्त नल कूप का अभी तक विद्युत कनेक्शन न होने के कारण जल वितरित नहीं किया जा सका है। विद्युत कनेक्शन प्राप्त होते ही जल वितरण शुरू कर दिया जायेगा। इसके लिये आवश्यक आवेदन विद्युत विभाग को किया जा चुका है।

बामपट्टी जल दाय योजनान्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

1 भोयाकालां	2 भोयाखुर्द	3 डामोईकालां
4 दामोई खुर्द	5 सरनावडा	6 डोबरी खुर्द
7 डोबरी सांवलदास	8 डोबरी मण्ड	9 डोबरी कलां
10 शिवराशी	11 गेडा कलां	12 गेडाखुर्द
13 छापरा	14 खारडीया	15 नून्दड़ा
16 जसवन्तपुरा	17 रामशिया	18 मनानी
19 मनाना	20 हुडीया	21 मोडीचारण
22 मोडीभीखा	23 डावरीया	24 रानीगांव
25 उचेरीया	26 कुरो	27 बलादना
28 बीन्जरी	29 कल्याणपुरा	30 गोठरी
31 भवाद	32 मन्डूपुरा	33 दुन्डोखा

34 नवाद	35 जीवाडीया	36 घघनवा
37 राथलिया	38 आसरवा	39 मच्छीपुरा
40 कुरूतिया	41 मन्डुपुरा	42 खातीनाडा
43 अमरसर	44 धीरजपुर	45 मोखनपुर
46 धीरजसर	47 पट्टी डोबरी	48 बेसरोली
49 जलमालिया		

इसके अतिरिक्त निम्न ग्रामों को भी पानी देने का प्रावधान है :-

1. मूण्डाखेड़ी-यह ग्राम छपरा से पानी लेगा ।
2. सोनीया यह ग्राम उचेरिया से पानी लेगा ।
3. खरवालिया यह ग्राम मण्डपुरा से पानी लेगा ।
4. मंगलाव-यह ग्राम उचेरिया से पानी प्राप्त करेगा ।

राजस्व सम्बन्धी मामलों की जांच

22. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बगरू पंचायत समिति सांगानेर के राजस्व सम्बन्धी मामलों की जांच के सम्बन्ध में जयपुर के उप जिलाधीश श्री जे. के. सचदेव ने स्थानीय ग्राम पंचायत के कार्यालय में नागरिकों की विभिन्न शिकायतें सुनी हैं ? यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें सही पाई गई ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

(1) क्या यह सही है कि श्री सचदेव उप-जिलाधीश द्वारा की गई जांच में भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गंभीर आरोप सही पाए गए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-'क' 'ख' व 'ग') सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सरपंच के विरुद्ध प्राकृतिक उपज को अनियमित रूप से विक्रय करने की कार्यवाही सही पाई जाने पर उसे कलेक्टर द्वारा नोटिस दिया गया है कि क्यों न उसके विरुद्ध धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही करने को राज्य सरकार को निवेदन किया जाय ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गेहूं का थोक व्यापार और बिक्री कर की हानि

23. **श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)**: क्या वाणिज्य एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में राज्य में 7 लाख टन गेहूं मार्केटेबिल सरप्लस हुआ परन्तु गेहूं के थोक व्यापार के

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति लागू करते हुए भी राज्य सरकार उसमें से केवल 1.44 लाख टन ही क्रय कर पाई तथा बेचा हुआ लगभग 5.56 लाख टन ही गेहूं खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा किसान के नाम से विभिन्न तरीके से बेचा गया जिस पर कोई बिक्रीकर वसूल नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस कार्यवाही से राज्य कोष को कितनी धन-राशि की अनुमानित हानि हुई ?

(2) आगामी रबी की फसल के समय और पश्चात् उपरोक्त कर की हानि कैसे रोकी जायेगी ?

(स्थगित किया गया)

हरिजन कर्मचारियों का बकाया वेतन

24. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की नगरपालिका देशनोक, नोखा, गंगाशहर, भीनासहर आदि में हरिजन कर्मचारियों को काफी लम्बे अर्से से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितने माह का वेतन बकाया है और इसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार को मांग-पत्र भी दिया गया था ? यदि हां तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

गम्भीरी कमाण्ड एरिया में भूमि का आवंटन

25. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : श्री जवाहरमल (सहाड़ा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़ के पटवार सर्कल सैंती में गम्भीर लिफ्ट कैनाल पर कमान्ड एरिया की आवंटन कमेटी द्वारा फिक्स रेट पर भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में और क्या इस आवंटित भूमि को खारिज करने का जिलाधीश को अधिकार था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो भूमि आवंटित की गई थी वह बंजर थी तथा इसको कृषि भूमि बनाने में कृषकों ने काफी पैसा खर्च किया है ?

(3) क्या यह सही है कि टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 19 के तहत तीन वर्ष तक किसी भूमि पर किसी का नाजायज कब्जा होने पर भी उसे खातेदार मान लिया जाता है ? यदि हां, तो फिर यह कानून उपरोक्त भूमि पर काबिज किसानों के लिए क्यों नहीं लागू होता है ?

उत्तर

(1) जी हां । आवंटन अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा 1968-69 में किया गया था । आवंटित भूमि को खारिज करने के अधिकार जिलाधीश को है ।

(2) जी नहीं, भूमि पडत काबिल काश्त थी ।

(उप निवेशन मंत्री)

(3) जी नहीं।

जल प्रदाय योजना टोडारायसिंह

26. **श्री चतुरभुज** (टोडारायसिंह) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि टोडारायसिंह जल प्रदाय योजना में बड़ा सर्विस वाटर रिजर्वेयर बनाये जाने हेतु गत वर्ष से योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इसे क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया है ? इसके पूर्ण निर्माण की कब तक योजना है ?

उत्तर

जी हां, पुनर्गठित योजना तैयार की जा चुकी है, जिसमें बड़ी टंकी बनाने का प्रावधान है। यह योजना विचाराधीन है, धन राशि उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सहकारी समितियों का पंजीकरण

27. **श्री चेतराम** (टोडाभीम): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में दिसम्बर, 1973 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों की कितनी सहकारी समितियों का पंजीकरण भवन निर्माण ऋण हेतु राज्य की को-आपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्शियल सोसाइटी द्वारा किया गया ? इनमें से किन किन को कितना कितना ऋण स्वीकार हुआ है ?

(2) अनुसूचित जाति व जन जातियों के इस ब्याज रहित ऋण के लिये समाज कल्याण विभाग को सहकारिता विभाग के लिये प्रति व्यक्ति अर्थात 4000) रुपये के ऋण पर 20 साल के अदायगी समय में कितना ब्याज देना पड़ेगा तथा कितना खर्च Establishment पर होगा ? सरकार को इस मद पर खर्च करने के बदले अनुदान देने में क्या हानि होगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि, जयपुर को सहकारी समितियों के पंजीकरण का अधिकार नहीं है। 31-12-73 तक उक्त समिति ने 159 सहकारी समितियों को 5134 मकानों के निर्माण हेतु 203.71 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया है। जिन समितियों को ऋण स्वीकार किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) प्रति व्यक्ति 4000) ऋण के लिये 20 वर्ष में 4:92.82 रु ब्याज देना पड़ेगा। ऋण की राशि राजस्थान कोआपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि., अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय बीमा निगम आदि से प्राप्त करती है और उसे दीर्घ अवधि में वापिस करती है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को उक्त ऋण राशि पर ब्याज की राशि अनुदान के रूप में देकर उनकी सहायता करती है। जो व्यक्ति ऋण ले रहे हैं उन्हें यह आभास होना चाहिये कि वो अपने आप अपनी कठिना-

(सहकारिता मंत्री)
इयों का निराकरण करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रेवदर तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवारों को पट्टे

28. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आवास हेतु गत दो वर्षो में कोई निःशुल्क पट्टे नहीं दिये गये? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? और यदि पट्टे दिये गये हैं तो ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पंचायत समिति रेवदर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आवास हेतु निःशुल्क भूखंडों के पट्टे दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति के लोगों को जारी किये पट्टों की संख्या	अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को जारी किये गये पट्टों की संख्या	विशेष विवरण
1.	ग्राम पंचायत धवली	4	–	–
2.	ग्राम सभा अनादरा 1	9	–	–
3.	ग्राम पंचायत निम्बज	11	2	जिसमें 6 पट्टे कीमतन दिये गये।
4.	,, ,, सिरोड	15	92	–
5.	ग्राम सभा असावा	–	7	–
6.	ग्राम पंचायत उडवारिया	30	2	–
7.	,, ,, जैतावाड़ा	2	–	–
8.	,, ,, सोरड़ा	3	–	–
9.	,, ,, मडार	26	5	–
10.	,, ,, भटाना	–	18	–
11.	,, ,, दांतराई	65	26	–
	योग	175	152	

भूमि का बेचान

29. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गांव मावली के पास मावली उदयपुर रोड़ पर स्थित आराजी नम्बर 637 को किसी व्यक्ति ने श्री मुरारीलाल नामक व्यक्ति को बेचकर रजिस्ट्री करादी है ? यदि हां तो किस व्यक्ति ने कब बेची ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की कार्यवाही तहसील मावली में चल रही है ? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत बासड़ी द्वारा सब्जी मंडी के लिये अवाप्त भूमि

30. **श्री सुरेश चन्द्र** (कोटपूतली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की पंचायत बासड़ी द्वारा सब्जी मन्डी के लिये जमीन अवाप्त कराई गई थी? यदि हां, तो सब्जी मन्डी की प्लान क्या थी और क्या प्लान के अनुसार जमीन काम में ली गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन नीलाम की गई है ? यदि हां, तो इससे पंचायत को कितनी आय हुई है तथा क्या नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन जिस उद्देश्य से अवाप्त की गई थी काम में नहीं ली गई है और इसमें एक भी सब्जी की दुकान नहीं है तथा न ही प्लान के अनुसार कार्य किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर जमीन जिन काश्तकारों की थी उनको लौटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत द्वारा सब्जी मण्डी चलाने के उद्देश्य से भूमि अवाप्त की गई है, जिस पर निर्माण कार्य चालू है ।

(2) जी हां । पंचायत को 1,38,342.50 की आय हुई है तथा नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार की गई है ।

(3) उक्त जमीन सब्जी मण्डी चलाने के उद्देश्य से अवाप्त की गई है । दुकानों का आधा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आधे भाग का कार्य चालू है । कार्य पूर्ण होने पर सब्जी मण्डी चलाई जावेगी । अतः काश्तकारों को जमीन वापिस लौटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

सूची 'क'

पशु विभाग जिला झालावाड़ के कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची, जिन्होंने 9 जुलाई से 14 अगस्त, 73 तक की हड़ताल में भाग नहीं लिया तथा ड्यूटी पर उपस्थित रहे।

1. डा. राधामोहन भार्गव, जिला पशुपालन अधिकारी, झालावाड़।
2. डा. कैलाश चन्द्र विजय, प्रभारी, पशु चिकित्सालय, झालावाड़।
3. डा. चन्द्रकान्त जोशी, प्रभारी, चल पशु चिकित्सा इकाई, झालावाड़।
4. डा. के. राजेन्द्र पिल्लई, सहायक शल्य पशु चिकित्सक, प्रशिक्षण आरक्षित।
5. डा. श्याम मनोहर शर्मा, सहायक शल्य पशु चिकित्सक, डग।
6. डा. ओम प्रकाश तिवारी, पशु चिकित्सालय, भवानी मण्डी।
7. डा. विजय सिंह कटियार, प्रभारी पशु चिकित्सालय, असनावर।
8. डा. मोहम्मद मोहीं, प्रभारी, पशु चिकित्सालय, अकलेरा।
9. डा. कृष्णचन्द्र गुप्ता, प्रभारी, पशु चिकित्सालय मनोहरथाना।
10. डा. विश्वनाथ साहनी, प्रभारी, पशु चिकित्सालय, बकानी।
11. डा. दयाकृष्ण शर्मा, प्रभारी, पशु चिकित्सालय, खानपुर।
12. श्री नारायण लाल स्कन्धपाल, बकानी।
13. श्री बालचन्द, सईस, बकानी।
14. श्री वंशीलाल, स्वीपर, बकानी।
15. श्री विहारीलाल, स्वीपर, पिड़ावा।
16. श्री भंवरलाल, औषधयोजक, डग।
17. श्री भंवरलाल, स्कन्धपाल, डग।
18. श्री नन्द लाल, सईस, डग।
19. श्री भैरूलाल, जलधारी, डग।
20. श्री भंवर लाल, स्वीपर, डग।
21. श्री अब्दुल मजीद, स्कन्धपाल, अकलेरा।
22. श्री रामसिंह, सईस, अकलेरा।
23. श्री भीमसिंह, जलधारी, अकलेरा।
24. श्री घीसा लाल, स्वीपर अकलेरा।

सूची 'ख'

जुलाई–अगस्त, 1973 में निम्न जगहों पर जिला पशुपालन अधिकारी, झालावाड ने भ्रमण किया ।

दिनांक	स्थान	साथ में अधिकारी	यात्रा का साधन	कार्य विवरण
25–7–73 से 1–8–73 तक	जोधपुर	–	रेल व बस	कोर्ट केस उच्च न्यायालय में जिलाधीश के आदेशानुसार ।
4–8–73	भवानी मण्डी झालावाड रोड व वापस	डा. के. सी. विजय, डा. सी. के. जोशी	जीप	चिकित्सालय को देखने, झालावाड रोड से औषधियां छुडवाने वैक्सीन ड्रग भिजवाने, साथ में प्रभारी, च. प. चि. इ. थे, जिन्होंने वैक्सीन के लिये डग जाना था ।
9–8–73	रायपुर, पिडावा व वापस	डा. चन्द्रप्रकाश जोशी	"	कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान पिडावा चिकित्सालय गया बीमारी अतिवृष्टि के कारण अगर हो तो, उस क्षेत्र में रोकथाम की कार्यवाही की जा सके ।
11–8–73	जूना खेडा, असनावर	डा. के. सी. विजय डा. सी. के. जोशी	"	चिकित्सालय को हडताल के समय देखने व व्यवस्था हेतु जूनाखेडा उप-केन्द्र पर भी उक्त कार्य हेतु । बीमारियों की रोकथाम हेतु ।
12–8–73	गिरधरपुरा, टेकडी	डा. के. सी. विजय डा. सी. के. जोशी	"	जिलाधीश द्वारा प्राप्त सूचना पर गिरधरपुरा व टेकडी की तरफ बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था करवाने हेतु ।
14–8–73	अकलेरा	डा. के. सी. विजय डा. सी. के. जोशी	"	चिकित्सालय कर्मचारियों को हडताल के समय देखने गया ।
28–8–73	पिपलोद, दित्या-खेडी रायपुर सोयत वापस ।	डा. के. सी. विजय डा. के. पिल्लई	"	उप केन्द्र, पिपलोद के भवन को खाली नहीं करवाने के संबंध में सरपंच से मिलने गया । रास्ता से गाडी न जाने के कारण नहीं मिल सका ।

सूची 'ग'

जुलाई—अगस्त, 73 में कर्मचारियों एव अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों में निम्न यात्रा व्यय दिया गया :—

क्र.सं.	नाम	माह	भुगतान की गई राशि
1.	जिला पशुपालन अधिकारी,	जुलाई, 73	236.07
	झालावाड	अगस्त, 73	66.00
2.	डा. कैलाशचन्द विजय	अगस्त, 73	85.00
3.	डा. चन्द्रकान्त जोशी	अगस्त, 73	55.00

———

Page No 138

138

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न स. 4 की सूची)

क्र. स.	वर्ष	ऊन खरीद क्विन्टल	खरीद का मूल्य (रुपयों में)
(1)	1969–70	7,897.87	42,15,508
(2)	1970–71	9,868.27	52,01,470
(3)	1971–72	8,855.70	47,45,167
(4)	1972–73	7,117.90	54,17,941
(5)	1973–74	7,700 00	95,00,600 (फरवरी 74 तक) (अनुमानित)

APPENDIX ब

Year 1	Cost of Wool 2	Rate of Interest 3	Amount of Interest 4	Other Expd 5	TOTAL 6	Selling Price 7	Other Income 8	TOTAL 9	Loss or Profit 10
1969-70	O. B. Wool. 35,50,057 O. B. Packs. 40,401 Cost of Wool. 42,15,508 G. Total. 78,05,966	2.5%	2,05,746	10,67,553	90,79,265	60,08,079 21,63,012 83,530 82,54,621	1,92,644 C. B. Wool, C. B. Packs.	84,47,265	6,32,000(—)
1970-71	O. B. Wool. 21,63,012 O. B. Packs. 83,530 52,01,470 74,48,012	2⅓%	2,55,713	10,78,547	87 82,272	54,22,740 25,90,778 C.B. Wool. 1,27,974 C.B. Pks. 81,41,492	1,78,110	83,19,602	4,62,670 (—)
1971-72	O. B. Wool. 25,90,778 O.B. Packs. 1,27,974 47,45,167 74,63,919	3%	3,52,171	10,13,235	88.29.325	58,50,753 22,43,344 C.B. Wool. 1,90,320 C.B. Pks. 82,84,417	2,17,118	85,01,535	3,27,790(—)
1972-73	O. B. Wool 22,43,344 O. B. Packs. 1,90,320 54,19,927 78,53,591	6%	2,16,967	10,69,409	91,39,967	69,62,503 21,72,586 C.B. Wool. 2,52,366 C. B. Pks. 93,87,455	2,04,419	95,91,874	4,51,907 (×)

N. B.—Column No. 4 includes the amount of interest paid io Bank.

(140)

परिशिष्ट 5

(अता. प्र. सं. 7 की सूची)

जिलों का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में (1971-72)
1. अजमेर	832810
2. बांसवाड़ा	506721
3. बाड़मेर	2817158
4. बीकानेर	2728342
5. बून्दी	557481
6. डूंगरपुर	378140
7. जैसलमेर	3883427
8. जालोर	1056431
9. झुन्झुनू	592761
10. जोधपुर	2264437
11. झालावाड़	619204
12. सीकर	774922
13. सिरोही	517930
14. टोंक	718818

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 19 की सूची)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष	संजय साप्ताहिक समाचार पत्र को दी गई धनराशि
1	2	3	4
1.	खानपुर	1970	रु. 41.66
	,,	1971	रु. 141.67
	,,	1973	रु. 108.00
			रु. 291.33
2.	डग	1967	रु. 84.00
		1968	रु. 250.00
		1970	रु. 25.33
		1972	रु. 16.67
		1973	रु. 250 00
			रु. 626.00
3.	झालरापाटन	1965	रु. 135.00
		1966	रु. 144.00
		1967	रु. 240.00
		1968	रु. 290.00
		1969	रु. 49.00
		1970	रु. 547.30
		1971	रु. 44.66
		1972	रु. 252.06
		–	रु. 56.00)) रु. 82.00
			रु. 26.00) ये 82.00 रु. किस वर्ष में दिये गये सूचना एकत्रित की जा रही है।
			रु. 1784.02

Page No 142

(142)

1	2		3	4
4.	बकानो		1964	रु. 36.00
			1965	रु. 39.75
			1967	रु. 190.00
			1968	रु. 426.00
			1969	रु. 246.00
			1970	रु. 421.33
			1971	रु. 121.66
			1972	रु. 285.67
			1973	रु. 338.00
				रु. 2104.41
5.	पिड़ावा	मु. सुनेल	1965	रु. 30.00
			1966	रु. 262.80
			1968	रु. 348 00
			1969	रु. 250.00
			1970	रु. 141.00
			1971	रु. 291.66
			1973	रु. 313.07
				रु. 163[illegible].53
6.	मनोहरथाना		1964	रु. 38.00
			1967	रु. 120.00
			1968	रु. 346.00
			1969	रु. 298.00
			1970	रु. 321.33
			1971	रु. 41.66
			1973	रु. 384.00
				रु. 1548.99

1	2	3	4
7.	जिला परिषद	1966	रु. 90.00
	झालावाड़	1968	रु. 333.00
		1969	रु. 250.00
		1970	रु. 250.00
		1971	रु. 62.50
		1972	रु. 125.00
			रु. 1110.50

(144)

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं. 20 की सूची)

पंचायत समिति सांचोर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पाठशालाओं की सूची ।

1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	धरणावास
2.	,, ,,	बोरली
3.	,, ,,	चारणीम
4.	,, ,,	कपासियों की ढाणी
5.	,, ,,	खेजड़ियाली
6.	,, ,,	पादरड़ी (दूठवा)

145

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	ऊपर से 8	प्रस्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
2	नीचे से 1	अं ति	अंकित
19	नीचे से 12	आपने	आप
19	नीचे से 9	दौरान आवटन	के दौरान आवंटन
22	नीचे से 4	...आप अपने	श्री जनार्दनसिंह गहलोत: आप अपने
26	नीचे से 14	से	को
28	ऊपर से 6	श्री गिरधारी	श्री गिरधारीलाल
29	नीचे से 3	दे	दे दें
31	नीचे से 5	होता है	होता है कि
31	नीचे से 1	करूंगा	करूंगा कि
44	नीचे से 4	पख	रख
58	ऊपर से 5	करते हुए	रखते हुए
62	ऊपर से 7	5	55
65	ऊपर से प्रथम	स्वास्थ	स्वास्थ्य
67	नीचे से 13	रामप्रसान	रामप्रसाद
68	ऊपर से 7	क्षति हुंची	क्षति पहुंची ?
75	नीचे से 7	निदेदन	निवेदन
80	नीचे से 8	है विषय	विषय है
86	ऊपर से 11	वन्कारी	इम्क्वायरी
91	नीचे से 2	रम	रंग
99	नीचे से 9	दल वेन्द्र	दल के
151	„ 13	निदोश	निर्दोष
156	नीचे से 2	बच्ची	बच्चों
181	ऊपर से 12	लगाने बाद	लगाने के बाद
209	ऊपर से 15	में	मैं
215	नीचे से 10	डिस्ट्रिकट	डिस्ट्रिक्ट
221	ऊपर से 6	भाषणा	भाषण
223	नीचे से 12	अहृदावाद	अहमदाबाद
249	नीचे से 2	वत्तर	उत्तर
250	नीचे से 4	मूमि	भूमि
252	नीचे से 1	योग 175	165